खण्ड-206, अंक-3
बुधवार, 21 श्रावण, शक संवत् 1881
(12 अगस्त, 1959 ई0)

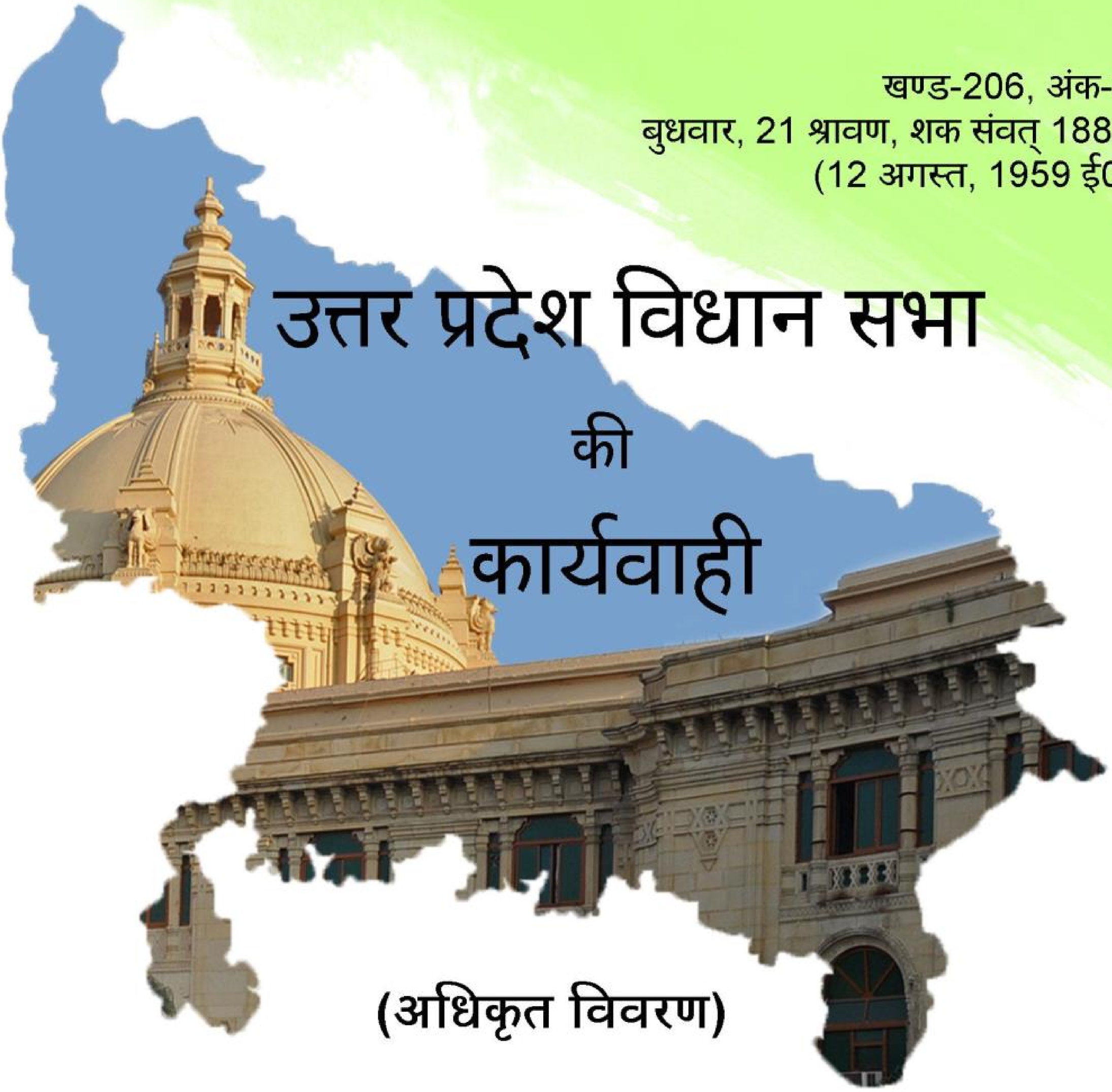

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 206 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १२ अगस्त, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३७७

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयूर अली खां, श्री

गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्द सिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकरराय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस०जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री

निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पन्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुर सिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माता प्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीर सिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री

राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती बाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भूदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त कण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री श्री महावीर सिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १२ अगस्त, १९५९

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

मऊरानीपुर अस्पताल को सरकारी प्रबन्ध में लेने की प्रार्थना

**१—श्रीमती बेनीबाई (जिला झांसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले की मऊ तहसील के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अस्पताल को राजकीय अस्पताल बनवाने के लिये अन्तरिम जिला परिषद् द्वारा पास प्रस्ताव सरकार की सेवा में सन् १९५९ ई० में आया था? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है?

न्याय मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)—जी नहीं। परन्तु मऊरानीपुर नगरपालिका की ओर से इस आशय का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। धनाभाव के कारण यह कार्यान्वित नहीं हो सका।

मऊरानीपुर नगरपालिका से जल योजना के लिये आवेदन-पत्र

**२—श्रीमती बेनी बाई (अनुपस्थित)—क्या सरकार के पास झांसी जिले की मऊरानीपुर नगरपालिका का प्रार्थना-पत्र बिजली और पानी नल संबंधी निर्माण कार्यों के लिये अनुदान दिये जाने के लिये सन् १९५८ व १९५९ में आया है? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)--बिजली के लिए अनुदान के वास्ते कोई प्रार्थना-पत्र सरकार के पास नगरपालिका से नहीं आया। केवल जल-सम्भरण योजना को कार्यान्वित करने के हेतु १९५८ में दो प्रार्थना-पत्र नगरपालिका, मऊरानीपुर से अनुदान दिये जाने के संबंध में प्राप्त हुए थे जो कि अस्वीकार कर दिये गये।

तारांकित प्रश्न

लखनऊ जिला जेल के बन्दियों की कथित भूख हड़ताल

*१--**श्री रामशरण यादव** (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)--क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल के कुछ बन्दियों ने गत जून मास में भूख हड़ताल की थी? यदि हां, तो उसका क्या कारण था?

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मी रमण आचार्य)--जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

केन्द्रीय कारागार, बरेली के बन्दी

*२--**श्री शिवराज बहादुर** (जिला बरेली) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस समय सेंट्रल जेल, बरेली में कुल कितने बन्दी हैं?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--केन्द्रीय कारागार बरेली में ३० जून, १९५९ को बन्दियों की कुल संख्या १,९८९ थी।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इनमें से कितने बन्दी ऐसे हैं जिनके केस का कमिटल होने के बाद अभी तक निर्णय नहीं हुआ है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--इसकी तो कोई सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है।

शाहजहांपुर जिला जेल के कैदियों की शिकायत

*३--**श्री त्रिलोकीसिंह** (जिला लखनऊ)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर जिला जेल के कैदियों ने आई० जी० जेल के पास कोई शिकायत कुछ समय पूर्व भेजी है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--जी नहीं।

श्री प्रताप सिंह--क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आई०जी० के अलावा सरकार के पास या किसी अन्य अधिकारी के पास शिकायत आयी है कि वहां पर भोजन की तथा अन्य व्यवस्थायें नियमानुकूल नहीं हो पाती हैं?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जी हां। सरकार के पास इस प्रकार का एक शिकायती पत्र जरूर आया जिसमें कुछ शिकायतें थीं और उनमें भोजन की भी एक शिकायत थी।

श्री प्रतापसिंह--वह प्रार्थना-पत्र सरकार के पास कब आया और उस पर सरकार ने आज तक क्या कार्यवाही की?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--यह तो मैं नहीं कह सकूंगा कि यह किस दिन हमारे यहां आया लेकिन ३ जुलाई को इसमें रिपोर्ट मांगी गयी थी। जांच कराने के लिये इसको भेज दिया गया।

नोट--तारांकित प्रश्न २ श्री प्रतापसिंह ने पूछा।

श्री प्रतापसिंह--इस पर जांच किसके द्वारा कराई जा रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--हमारे प्रान्तीय कारागार निरीक्षक के पास यह भेजी. गयी है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--इन कैदियों की मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या थीं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--रोटी के संबंध में थी कि कच्ची दी जाती है । आमतौर पर भोजन के संबंध में थी । इसके अलावा मुलाकातों में कुछ रिश्वत ली जाती है इसकी शिकायत थी और कुछ इस बात की शिकायत थी कि अस्पताल में अच्छी दवा नहीं दी जाती है और दवा के स्थान पर आम तौर पर पानी दिया जाता है । यह भी शिकायत थी कि जेलर साहब के यहां कुछ अपरेंन्टिस हैं जिनसे काम लिया जाता है । इस प्रकार की शिकायतें थीं ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--घूसखोरी के बारे में जो शिकायत आई है तो माननीय मंत्री कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जांच के दौरान में उन कैदियों की पिटाई न हो ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--इस व्यवस्था की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ऐसा होता नहीं है ।

श्री उग्र सेन--क्या मंत्री महोदय वहां पूरे समय के लिये कोई सुपरिन्टेन्डेन्ट जेल की नियुक्ति पर विचार कर रहे हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--सुपरिन्टेन्डेन्ट जेल तो वहां हैं लेकिन पूरे समय वाले हैं या सुपरिटेन्डेन्ट सिविल सर्जन हैं यह मैं इस समय नहीं कह सकता ।

महाराजा समथर द्वारा मन्दिर के पुजारियों को वृत्तियां

*४--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)--क्या सरकार को पता है कि महाराजा समथर अपनी रियासत के कई मंदिरों के पुजारियों को पूजा-रचा के लिये कुछ वृत्तियां दिया करते थे ? यदि हां, तो क्या वह उक्त मंदिरों व पुजारियों के नाम व स्थान सहित वृत्तियों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जी हां, महराजा समथर द्वारा जिन मन्दिरों के पुजारियों को पूजा रचा के लिये वृत्तियां दी जाती थीं उनकी सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २६२-२६३ पर)

*५--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसके पास उक्त पुजारियों में से कुछ लोगों की इस आशय की शिकायतें आई हैं कि समथर के झांसी जिले में विलीन होने के समय से उनको वह वृत्तियां नहीं मिली हैं ? यदि हां, तो उसने उनके संबंध में क्या कार्यवाही की ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--ऐसी कोई शिकायत सरकार के पास नहीं आयी ।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सूची की क्रम संख्या ३९ से संबंधित मन्दिर के प्रबन्ध के लिये जो कमेटी बनी है वह क्या सरकार के आदेशानुसार बनी है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--इसकी सूचना मेरे पास इस समय नहीं है ।

गोरखपुर जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा व्यय

*६--श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार १-४-५९ के गोरखपुर जिले में तहसीलवार समाज कल्याण विभाग द्वारा व्यय के संबंध में तारांकित प्रश्न संख्या १०७ के उत्तर के क्रम में बतायेगी कि :--

(क) व्यय की धनराशि कहां-कहां और किस-किस ग्राम के लिये किस क संरक्षण में खर्च की गई, तथा

(ख) मूल धनराशि में से तहसील गोरखपुर में फरेंदा तहसील से करीब ६२ गुना, बांसगांव में ५ गुना, महराजगंज में ३ गुना अधिक खर्च करने का आधार और कारण क्या है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--विभिन्न तहसीलों में व्यय की गयी धनराशि जिन-जिन स्थानों पर की गयी उनका विवरण निम्न प्रकार है :--

(क) १---तहसील फरेन्दा के:-- १---आनन्दनगर तथा २---नौतनवा ब्लाक में

(१) हरवंशपुर, (२) डेढ़वार, (३) नौतनवा, (४) छपरा और (५) खरोटी ग्रामों में व

२--तहसील महाराजगंज के:- (१)---महाराज गंज, (२)---परतावल और (३)---निचलौल ब्लाक के अन्तर्गत--

(१) महाराजगंज, (२) बैकुण्ठ पुर, (३) सिवावाद, (४) पिपैराबाबू, (५) सुमेरगढ़, (६) ऊन्टी, (७) मंगलपुर, (८) निचलौल, (९) जिगिहवा ग्राम में तथा

३--बांस गांव तहसील के १---बांस गांव ब्लाक के अन्तर्गत:--

(१) बांसगांव, (२) भुसबुल, (३) देवरार खुर्द, (४) चाड़ी, (५) विसुनपुर, (६) धनौड़ा, (७) धमवा ग्रामों में, तथा

४-गोरखपुर तहसील के--(१) चरगांवां, (२) भटहट नामक ब्लाक के अन्तर्गत:--(१) गंगटोला, (२) उत्तर टोला, (३) चौरपुर, (४) बालापुर, (५) सिरॉर, (६) भटहट, (७) गुलरिहा तथा (८) चकिया ग्रामों में व्यय की धनराशि जिला नियोजन अधिकारी के संरक्षण में तथा गोरखपुर नगर में सहायक समाज कल्याण अधिकारी के संरक्षण में व्यय की गयी।

(ख) पूर्ण धनराशि में से फरेन्दा तहसील से गोरखपुर में लगभग ६२ गुना अधिक व्यय होने का कारण यह है कि गोरखपुर नगर में विभागीय लगभग सभी योजनायें चल रही हैं तथा जिलास्तर के सभी अधिकारियों के कार्यालय गोरखपुर नगर में स्थित होने के कारण उनसे सम्बद्ध कर्मचारियों का वेतन और यात्रिक भत्ता आदि वहीं से दिया जाता है। सहायक समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय का व्यय तथा जिला संयोजिका के कार्यालय का व्यय गोरखपुर तहसील में ही होता है। जिला संयोजिका, हस्तकला शिक्षिका, जिला संयोजिका के लिपिक तथा चपरासी आदि का वेतन तथा यात्रिक भत्ता आदि गोरखपुर ट्रेजरी से ही निकाला जाता है। विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत अन्य विद्यालय तथा जिला शरणालय एवं प्रवेशालय के कारण इन पर व्यय गोरखपुर तहसील में ही होता है। इसके अतिरिक्त जिले की वे सभी सामाजिक संस्थायें जिनको विभाग के द्वारा अनुदान दिया जाता है गोरखपुर नगर में ही स्थित हैं। समाज कल्याण समितियों की योजना भी अभी जिले के मुख्यालय पर ही आरम्भ की गयी है। बाल दिवस समारोह, मृतकों के अन्तिम संस्कारों का व्यय जिले के मुख्यालय पर ही किया जाता है।

बांसगांव तहसील में फरेंदा तहसील से लगभग ५ गुना अधिक व्यय होने का कारण यह है कि बांसगांव तहसील में एक ग्रामीण युवक शिविर तथा एक महिला गतिशील शिविर फरेंदा तहसील से अधिक आयोजित किये गये।

फरेंदा तहसील में १५ दिसम्बर, १९५८ तक केवल २ ब्लाक ही थे अतः महाराजगंज तहसील में फरेंदा तहसील से महिला मंगल केंद्रों तथा उनसे सम्बद्ध सहायक ग्रामों की संख्या अधिक होने के कारण लगभग ३ गुना अधिक व्यय हुआ।

श्री गौरीराम गुप्त—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गोरखपुर तहसील और सदर तहसील में १,२५,३८९ रु० ८० नये पैसे जो खर्च किये गये हैं वह किस किस मद में खर्च किये गये? तनख्वाह में कितना खर्च हुआ और दूसरे कामों में कितना खर्च हुआ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—अध्यक्ष महोदय, आप आज्ञा दें तो मैं उसकी एक तालिका दे दूं।

श्री अध्यक्ष—तालिका लम्बी है क्या?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी नहीं, ५/६ मदें हैं।

	रु०
जिला संयोजिका के कार्यालय पर व्यय	१८,४६३.९
सहायक समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय पर व्यय ..	११,५३६.७४
अंध विद्यालय पर व्यय	५४,२३१.४३
जिला शरणालय एवं प्रवेशालय पर व्यय	३,०००.३२
नगर समाज कल्याण समिति तथा अन्य सामाजिक संस्थाओं का अनुदान आदि	३३,१७०.००
बाल दिवस तथा मृतकों के संस्कार आदि पर व्यय ..	४,९८८.२२

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि गोरखपुर जिले में तहसीलवार कुल योजना कितनी थी खर्चे की और कुल टोटल खर्चा कितना हो गया?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—कोई जिले की तो अलग योजनायें बनती नहीं वे तो केन्द्रीय योजनायें होती हैं और अलग-अलग जिले को उनकी आवश्यकतानुसार दिया जाता है।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि गोरखपुर जिलान्तर्गत बांसगांव तहसील के गाँवों में जो समाज कल्याण विभाग द्वारा कार्य किये गये तो महिला मंगल शिवर और युवक मंगल दल शिविर के अलावा और कौन-कौन से खास कार्य किये गये?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इस में दो तो महिला गतिशील शिविर हुए और एक ग्रामीण युवक शिविर हुआ।

श्री गौरीराम गुप्त—फरेंदा ब्लाक में सिर्फ एक ही गांव आनन्दनगर में क्यों २,४६३ रुपये ७३ नये पैसे खर्च किये गये और गांवों में क्यों नहीं खर्च किये गये?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—उस गांव में कार्य हो रहा था, लोगों ने कार्य किया इसलिये खर्च हुआ। और गांवों ने कार्य नहीं किया।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उनके जवाबों से यह पता चलता है कि जो कुछ कार्य ज्यादा होते हैं वे जिला स्तर पर ज्यादा होते हैं देहातों में नहीं होते। इसका क्या कारण है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मेरे उत्तर से ऐसी बात तो जाहिर नहीं हुई बल्कि उसके विपरीत हुई। जो जिला स्तर पर कार्य होता है उसका भी चूंकि भुगतान गोरखपुर से होता है इसलिये ज्यादा है। जिला स्तर पर कार्य का बहुत सारा भुगतान गोरखपुर से होता है।

श्री गौरीराम गुप्त--क्या सरकार बतायेगी कि जो रुपया आनन्दनगर में खर्च हुआ है वह किस-किस मद में खर्च हुआ ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--इसके लिये सूचना चाहिये ।

राज्य के कारागारों में अविवाहित स्त्रियां

*७--**श्री गंगाप्रसादसिंह** (जिला बलिया)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश के कारागारों में स्त्रियों की संख्या कितनी है तथा उनमें से कितनी अविवाहित हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--१ जून, १९५९ को प्रदेश के जेलों में महिला बंदियों की कुल संख्या ३११ थी जिनमें ४ अविवाहित थीं ।

श्री गंगाप्रसादसिंह--क्या सरकार बतायेगी इन चारों अविवाहित बन्दी बालिकाओं की पृथक्-पृथक् कितनी सजा है और उनके जुर्म क्या रहे हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--इसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है ।

श्री गंगाप्रसादसिंह--क्या यह सही है कि सरकार इनकी शादी के सम्बन्ध में कोई विचार कर रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जून, १९५७ में एक मुक्तबंदी और बंदी लोगों का संयुक्त सम्मेलन हुआ था और उसमें यह प्रस्ताव पास किया गया था कि जो अविवाहित बंदी लड़कियां हों जेल में उनके विवाह का भी प्रबंध किया जा सकता है । और अभी, यद्यपि इसका कोई सम्बन्ध सरकार से नहीं है, अखबारों में कुछ छप गया ३०-६-५९ को--"सर्च फार ग्रूम्स फार प्रिजनर्स" और उसके अन्तर्गत कुछ व्यक्ति विशेष और संस्थाओं की दरख्वास्तें आयी हैं । तो उसमें यदि कुछ प्रबंध किया जा सकेगा तो सरकार को कोई एतराज नहीं होगा ।

श्रीश्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--क्या सरकार बतलायेगी कि वह अविवाहितों का प्रबंध करने के लिये कोई मैरिज ब्यूरो के खोलने के सम्बन्ध में विचार कर रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--उसकी तो कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री के विभाग से कभी ऐसी विज्ञप्ति निकली है कि जिन लोगों ने उम्मीदवारी में शादी के लिये दरख्वास्त दी थी उनकी दरख्वास्तें फाइल कर दी जायं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--किसी विज्ञप्ति का मुझे ज्ञान नहीं । दरख्वास्तें बहुत-सी आईं, यह बात सही है ।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--जिन चार अविवाहित स्त्रियों का जिक्र उत्तर में दिया गया है उनको किन-किन दफाओं में सजा हुई है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--दफा का ब्यौरा तो मेरे पास नहीं है ।

श्री गंगाप्रसाद सिंह--क्या सरकार के सम्मुख यह प्रश्न है कि महिला बंदियों को जेल में बन्द न कर किसी अन्य प्रकार से उनकी सामाजिक प्रवृत्तियों को सुधारा जाय ?

***श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**--सभी बंदियों के साथ इस प्रकार की व्यवस्था की जाय ऐसी कोई योजना नहीं है ।

---

* २ सितम्बर, १९५९ को दिये गये शोधन वक्तव्य के अनुसार संशोधित ।

विभिन्न दिनों की कार्य-सूची में समान संख्या में प्रश्न रखने का सुझाव

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, प्रश्नों के सम्बन्ध में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। इस समाज कल्याण के बारे में मैंने पहले भी श्रीमान् को याद दिलाया था कि चूंकि बहुत कम प्रश्न होते हैं, आज भी श्रीमान् ने हमको बहुत लैटीट्यूड दिया मगर फिर भी बहुत कम समय में समाप्त हो गये, तो अब ऐसी व्यवस्था की जाय कि शिक्षा मंत्री और गृह मंत्री के सवाल साथ होते हैं तो बहुत कम सवाल हो पाते हैं इसलिये अगर शिक्षा भी समाज कल्याण के साथ जोड़ दिया जाय तो बहुत अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष—उसके बारे में मैं जांच कर रहा हूं। उसमें मंत्रियों से बात करनी पड़ती है क्योंकि कुछ मंत्री किसी रोज विधान परिषद् में प्रश्नोत्तर देते हैं और कभी यहां देते हैं इसलिये किस रोज किस को सहूलियत रहेगी इसका अन्दाजा लगा कर वह करूंगा। अगले हफ्ते से यह जरूर होगा कि जो समाज कल्याण मंत्री का दिन है उसके साथ अगर किसी और मंत्री का भी दिन कर दिया जाय तो बहुत प्रश्न उस दिन कार्य-क्रम में आ सकते हैं। यह करने का इरादा है।

बरेली जिले में पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को पीटने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—अब दो कामरोको प्रस्ताव मेरे पास आये हैं जिनकी मैंने मंजूरी नहीं दी। एक तो श्री उग्रसेन जी का है जो कि जिला बरेली के सहायक थानेदार तथा चार सिपाहियों द्वारा एक शख्स को पीटने के बारे में है। तो यह स्थानीय मामला मैं समझता हूं कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता। सरकार से इसका कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। माननीय सदस्य को शिकायत है तो सरकार के पास लिख कर भेज दें वह जांच करवायेगी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, यह तार आया हुआ है ....

श्री अध्यक्ष—आप स्वयं मंत्री जी के पास उसकी शिकायत भेज दें।

श्री उग्रसेन—तो मंत्री जी जरा सूचना तो दे दें ....

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, आपने नियम ५२ के अनुसार इसे नहीं पेश किया, कामरोको प्रस्ताव उपस्थित किया है जिसका मतलब यह है कि आप यह समझते हैं कि सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। इसका सरकार से प्रत्यक्ष कोई सम्बन्ध आता नहीं है और आपने कोई शिकायत भी नहीं की। तो मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

जिला बाराबंकी में घाघरा की भंयकर बाढ़ के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—दूसरा कामरोको प्रस्ताव जंगबहादुर वर्मा जी का है कि जिला बाराबंकी की रामसनेही घाट व फतेहपुर तहसील व आसपास लगातार ३१ जुलाई से घाघरा नदी में भीषण बाढ़ है और अब उसने और भयंकर रूप धारण कर लिया है। फलस्वरूप हजारों एकड़ फसल, जानवर व मकानों की हानि हुई है। सरकार की ओर से बेघरबार लोगों की उचित व्यवस्था न होने, पंचायत टैक्स व लगान की वसूली इत्यादि इसमें कई विषय एक साथ मिला दिये गये हैं, एक विषय कोई नहीं है जिसके ऊपर बहस हो। तो एक तो नियम के विरुद्ध भी है और दूसरे अनिश्चित है। इसलिये मैं इसकी भी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

इटावा जिले में चकबन्दी के बाद भूमि का कब्जा न मिलने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत न्याय मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अन्तर्गत जो मेरे पास विषय आये हैं उनम श्री भजन लाल जी का जो है उसकी मैं इजाजत देता हूं। उन्होंने कल भी उसे दिया था। वे चाहते हैं कि सरकार का ध्यान इस तरफ आकृष्ट हो और मंत्री जी इसके ऊपर प्रकाश डालें। वह इस प्रकार है :—

"जिला इटावा में होने वाली चकबंदी के अन्तर्गत अधिकांश ग्रामों में चक कट जाने पर भी अभी तक कब्जा नहीं दिया गया है जिसके फलस्वरूप जमीन ज्यों की त्यों पड़ी है, खरीफ की फसल बिलकुल नहीं बोयी गयी। जमीन जोतने-बोने का आदेश न दिये जाने व जमीन पर कब्जा न मिलने के कारण व्यापक क्षोभ व असन्तोष का वातावरण व्याप्त है और परिस्थिति विषम है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा एवं स्पष्टीकरण के लिये समय चाहता हूं।"

तो संबंधित मंत्री जी ने अगर जानकारी हासिल कर ली हो तो आज इसके सम्बन्ध में सूचना दें नहीं तो किसी दूसरे रोज दें।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—आज भी दे सकता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ३१ जुलाई, १९५९ तक की सूचना है कि २६४ गांवों में चक कंनफर्म हुए थे उनमें से २५८ गांवों में कब्जा दे दिया गया और जो नये लोगों का कब्जा हुआ वह खेती-बारी करते हैं। सिर्फ ६ गांवों में कब्जा दिलाया जाना बाकी है। इनको कब्जा दिलाने में कुछ दिक्कतें हैं। लेकिन यह कहना बिलकुल गलत है कि अधिकांश गांवों में कब्जा नहीं दिया गया और खेतीबारी का काम बन्द है। २५८ गांवों में कब्जा दे दिया गया है और वहां लोग खेतीबारी कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—उन्होंने यह कहा कि कुछ जमीन परती पड़ी हुई है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसके बारे में कोई डेफीनिट खबर नहीं है। जहां ट्रांसफर आफ पजेशन नहीं हुआ है वहां पुराने लोगों ने खेती की है। अगर कोई मुस्तकिल बात पूछी जाय तो हम पता लगाकर बता सकते हैं।

श्री भजनलाल (जिला इटावा)—अध्यक्ष महोदय, परसों ही मैंने देखा है कि दिबियापुर, अजीतमल और ककोड़ वगैरा के इलाके में काफी जमीन ऐसी है जिस पर कब्जा नहीं दिया गया है। केवल कागजात में अधिकार दिये गये हैं, लेकिन उसे कार्यरूप में परिणत नहीं किया गया है जिससे वहां की जनता त्राहि-त्राहि कर रही है और रो रही है....

श्री अध्यक्ष—यह तो आप सूचना दे रहे हैं। आप प्रश्न पूछिये।

श्री भजनलाल—जिन गांवों में कब्जा नहीं दिया गया है क्या वहां दो-तीन दिनों में कब्जा दिला दिया जायगा जिससे वह लोग अपनी जमीन जोत पायें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह जो ६ गांव बाकी हैं उनके लिये मैं जानकारी करा लूंगा। बकिया में डिमार्केशन हो गया है, ट्रांसफर आफ पजेशन हो गया है और लोग खेती बारी कर रहे हैं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार को पता है कि चकबंदी जिस ढंग से हुई है वह किसानों के लिये अहितकर है इसलिये वह कब्जा नहीं कर रहे हैं और पुरानी जमीन चाहते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वहां ऐसी कोई बात नहीं है, इटावा के बारे में।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जहां चक पूरे हो गये हैं वहां क्या नये चक में लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इलाहाबाद की सोरांव तहसील में कई गांवों में चकबंदी हो गयी है लेकिन उनको कब्जा नहीं मिला ?

श्री अध्यक्ष—यह 'इलाहाबाद', 'इटावा' में कब चला गया ? यह इटावा का प्रश्न है ।

श्री भजनलाल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जहां पर कब्जा दे दिया गया है उसके लिये मैं प्रार्थना के रूप में कहूंगा कि वहां जो गड़बड़ी चल रही है उसके ऊपर ध्यान देकर मंत्री जी कब्जा दिलाने का कष्ट करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—आप अपना प्रश्न स्पष्ट कर दें ।

श्री भजनलाल—श्रीमन्, बड़ी गड़बड़ी हो रही है और लोगों को अपने खेतों तक का पता नहीं है । दूसरे के खेत में हल चला रहे हैं जिससे जनता में असंतोष है । क्या इन असुविधाओं को दूर करने के लिये मंत्री जी अधिकारियों को सचेत करेंगे कि ठीक से नाप करके कब्जा दिलाया जाय ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—जहां तक मेरी इत्तिला है डिमार्केशन हो गया है और लोग अपन-अपने चक जान गये हैं । लेकिन फिर भी हम संबंधित अधिकारियों को हिदायत कर देंगे कि वह देखें कि ऐसी गड़बड़ी न होने पाये ।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण किसानों को खेत नहीं बताये गये हैं और इतने दिन लग गये हैं क्या उनसे नुकसान दिलाया जायगा या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जायगी ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न उठता नहीं है, मैं इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ये कब्जा किस तिथि को दिया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—तारीख तो नहीं बता सकता लेकिन बोआई शुरू होने के पहले हो गया ।

श्री भजनलाल—क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस फसल की बोआई जहां १५ जुलाई के करीब हो जाती है और आज १२ अगस्त हो गया उनकी बोआई नहीं हुई, इससे इस फसल को नुकसान हुआ है । क्या वह इस पर उचित कार्यवाही करने का आदेश देने का कष्ट करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हम तो आदेश कर चुके हैं कि जितनी जल्दी हो जाय सब को पजेशन दिलाया जाय । कोई अड़चने पड़ी होंगी जो ६ गांवों का नहीं हुआ है ।

श्री भजनलाल—क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो आपको सूचना दी गयी है कि फसल बोने के पहले चक दे दिये गये हैं ये बिलकुल गलत है ?

श्री अध्यक्ष—वे उसे गलत कैसे बता देंगे ?

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि यह आदेश कब दिया गया कि लोग अपने-अपन चक पर काबिज हों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैंने कहा कि मैं तिथि नहीं बता सकता ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जानकारी करेंगे कि जो आदेश सरकार की ओर से गया है उसका अक्षरशः पालन हो रहा है या नहीं, इसकी भी छानबीन करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने छानबीन के लिये कह ही दिया है ।

श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह (जिला गोंडा)—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जब चकबंदी हो जाती है और जब तक चकों पर किसान कब्जा नहीं करते हैं उस वक्त तक क्या खेत खाली पड़े रहते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अपने-अपने पुराने खेत पर काबिज रहते हैं ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस साल खरीफ की फसल की बोआई इटावा जिले में किस तारीख को शुरू हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हर शख्स मुख्तलिफ तारीखों में बोता है ।

श्री राजनारायण—तो किस आधार पर आप कहते हैं ?

श्री अध्यक्ष—ये तो आप बहस कर रहे हैं । यह ऐसा सवाल है जिसका आप खुद फैसला कर सकते हैं ।

श्री भजनलाल—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उस क्षेत्र में चकबंदी अधिकारी के अन्तर्गत अधिक गड़बड़ी होने के कारण सम्पन्न व्यक्तियों को तो अच्छे चक बना दिये गये जिससे . . . .

श्री अध्यक्ष—मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं । जो प्रश्न आपने उठाया था उसमें गड़बड़ियों के खयाल से नहीं उठाया था ।

श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को सूचना मान कर कि ६ गांवों में बिलकुल कब्जा नहीं मिला है और जहां पर कब्जे का आदेश हो गया है वहां भी कब्जा नहीं हुआ है इससे किसानों का जो नुकसान हुआ है सरकार उसकी जांच करा के किसानों को मुआवजा देने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष—वह कह चुके हैं कि कोई जमीन परती नहीं रही ।

श्री नन्दराम—जांच कराने और मुआवजा देने के लिये कह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष—पहले जांच तो हो । प्रश्न के दूसरे भाग की मैं इजाजत नहीं देता ।

श्री नन्दराम—क्या सरकार जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैंने अर्ज किया कि २५८ गांवों में कब्जा देकर डिमार्केशन कर दिया गया है । लोग अपने-अपने नये चकों पर काबिज हो गये हैं और खेती-बारी करते हैं । जांच कराने की कोई जरूरत नहीं मालूम होती ।

श्री बलदेवसिंह—क्या मंत्री महोदय इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हर महीने में चक को बदलने में फसल बोने में लोगों को दिक्कत होती है भविष्य में माननीय मंत्री जी ऐसा आदेश देने की कृपा करेंगे कि बैसाख में खेतों की अदला बदली हुआ करे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अमूमन खाली फसल में हुआ करता है । लेकिन अगर किसी में डिमार्केशन या फाइनेलाइज करने में कुछ देरी हो जाती है तो उसकी वजह से कुछ देर हो जाती है वरना आम तौर से खाली फसल में ही होता है ।

विशिष्ट दीर्घा का प्रवेश-पत्र न मिलने के सम्बन्ध में शिकायत

*श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। आज हमने तीन आदमियों के लिये पास के लिये लिखा था। तो उसमें दो आदमियों को तो पास मिला। मगर एक आदमी को पास नहीं दिया गया। उनको विशिष्ट गैलरी का पास न देकर विजिटर्स गैलरी का पास दिया गया। फिर जब मैंने आपके कार्यालय से इस बात को पूछा कि जिसका नाम पहले लिखा उसको न देकर के नीचे के आदमियों को क्यों दिया गया तो मुझे यह बताया गया कि....

श्री अध्यक्ष---अब यह यहां पर तो शिकायत नहीं सुनी जायगी। यह तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। इससे सदन से कोई सम्बन्ध नहीं है। आप मेरे कमरे में यह मुझ से कहें।

श्री राजनारायण---लेकिन आज तो वह व्यक्ति वंचित रह जायगा....

श्री अध्यक्ष---मैं फाइल देखूंगा। तभी कुछ कह सकता हूं। आप मेरे कमरे में शिकायत करें तो मैं देखूंगा।

श्री राजनारायण---तो कोई ऐसी व्यवस्था आप कर दें जिससे आज तो वह देख पाये।

श्री अध्यक्ष---आप बता रहे हैं कि कोई पास उन्हें मिला है.....

श्री राजनारायण---हमको जो मिला है उसको देखने से मालूम होता है कि वह दर्शक दीर्घा का पास ही है। वहां वह बैठ सकते हैं। मगर मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति को जहां हम बैठाना चाहते हैं, जिसके लिये पास मांग रहे हैं....

श्री अध्यक्ष---वह अधिकार बैठाने का आपको थोड़े ही है। आप यह कहते हैं कि पास देना चाहिये....

श्री राजनारायण---जगह न हो न दें, यह दूसरी बात है, लेकिन जब जगह हो तब....

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, यह कोई आवश्यक बात नहीं है कि यदि जगह किसी दीर्घा में हो तो उसी दीर्घा में ही बैठने की इजाजत दी जाय। इसका कोई कायदा नहीं है। वह तो आप मेरे कमरे में पूछें तो आपको पता लग जायगा। आप वहीं कहिये।

कुमायूं जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, कार्यसूची के बारे में मैं कुछ जानकारी चाहता हूं। कार्य सूची में २७ तारीख को जब हम आये तब से कुमायूं जमींदारी एबालिशन बिल रोज कार्य-सूची में छपता रहता है। मैं माननीय माल मंत्री से या माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह कुमायूं जमींदारी उन्मूलन बिल इस सत्र में पारित होगा या नहीं। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि सन् १९५६ से बराबर इस आदरणीय सदन में यह विधेयक आ रहा है लेकिन मैं नहीं समझ पाता कि कौन-सी मजबूरियां हैं कि यह पारित नहीं किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष---यह इसमें जब दिया है तो इसका मतलब यही है कि यह लिया जायगा।

श्री प्रतापसिंह---श्रीमन्, सन् १९५६ से बराबर दिया जा रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---मान्यवर, इस सिलसिले में मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। जिस बिल का माननीय प्रताप सिंह जी ने जिक्र किया उसके बारे में माननीय प्रताप सिंह जी को छोड़कर जितने भी सदस्य इधर के या उधर के हैं सब की यह राय है कि वह कुमायूं के लिये फिट-इन नहीं करता है। मैं तो माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसमें तरमीमें करके इसको पेश करें और कुमायूं की जमीन्दारी का एबालीशन करें। यह बिल तो ऐसा ही है जैसे कि किसी को लखनऊ का मलमल का कुर्ता पहना कर कुमायूं भेज दिया जाय तो वह तो वहां मर जायगा।

श्री अध्यक्ष---अभी विष्ट जी ने जवाब दिया और शायद वे ही अड़चन डाल रहे हैं, माननीय गोविन्दसिंह विष्ट, उनको आप समझा लीजिए तो जल्दी आ जायगा।

नियम ५२ के अन्तर्गत दी गयी एक सूचना के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)---माननीय अध्यक्ष जी, मैंने दफ़ा ५२ के अन्तर्गत एक प्रस्ताव दिया है जिसकी बहुत बड़ी अहमियत है। उसको आपने नहीं रखा। अगर आप उसको रखे नहीं तो कम से कम पढ़ के सुना देते कि यह चीज है।

श्री अध्यक्ष---आप नियमों का पालन करें। एक दिन में एक ही प्रश्न नियम ५२ के अन्तर्गत उठ सकता है।

श्री बंशीधर शुक्ल---तो कल आप ले लेंगे ?

श्री अध्यक्ष---मैं कोई वादा नहीं करता। जो सब से ज्यादा महत्व का होगा वही मैं लूंगा।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् विधेयक, १९५९ (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष---अब स्वायत्त शासन मन्त्री के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् विधेयक, १९५९ को संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय, विवाद जारी होगा। कुंवर श्रीपाल सिंह भाषण दे रहे थे।

*कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल इस जिला परिषद् बिल के सम्बन्ध में निवेदन कर रहा था। अब मैं थोड़ा-सा परिषद् के अध्यक्ष के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। परिषद् के अध्यक्ष के बारे में इस विधेयक के अन्दर जो योग्यता रखी गयी है कि किन योग्यताओं के आधार पर परिषद् के अध्यक्ष का चुनाव किया जायगा उसमें कोई विशेष बात नहीं है और तो वही सब हैं जो मामूली सदस्य के लिये होना आवश्यक है उसमें केवल एक गुण अधिक बढ़ा दिया गया है और वह गुण क्या है, वह यह है कि उसकी आयु ३५ वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये। यानी श्रीमन, अध्यक्ष की योग्यता का अंकन केवल उसकी उम्र से किया जायगा। एक २५ वर्ष का अत्यन्त योग्य पुरुष परिषद् का अध्यक्ष नहीं हो सकता है मगर एक ३६ वर्ष का पुरुष योग्य हो या नहीं वह परिषद् का अध्यक्ष हो सकता है। क्या ही विचित्र बात है। श्रीमन्, आयु के आधार पर योग्यता का आंका जाना, मैं अगर प्राचीन महर्षियों के सिद्धान्त का निवेदन करूं, तो केवल एक विशिष्ट वर्ण के लिये होता था। श्रीमन्, कुछ शब्द मैं वर्ण व्यवस्था के बारे में निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि उस व्यवस्था के सम्बन्ध में अब एक अजीब विचार हो चले हैं। गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर जो वर्ण व्यवस्था अपने यहां की गयी थी उसमें बौद्धिक कार्य करने वाले ब्राह्मण कहे जाते थे। योग्यता के आधार पर उनमें वरीयता को आंका जाता था। विद्वता और चतुरता पर उनकी योग्यता को आंका जाता था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†११ अगस्त, १९५९ की कार्यवाही से।

देश की रक्षा करने वाले, गरीबों के लिये अपने प्राणों को गवाने वाले दूसरे नम्बर पर आते हैं। उनकी योग्यता उनके धैर्य और उनकी कार्यकुशलता से आंकी जाती थी। तीसरे नम्बर पर जो कहे जाते थे उनकी योग्यता संग्रह करने और उनकी कमाने की शक्ति के आधार पर आंकी जाती थी और चौथे नम्बर पर जो आते थे उनकी योग्यता को उम्र से आंका जाता था। हमारे मंत्री जी जो ३५ वर्ष की योग्यता की लिमिट रख रहे हैं, उस चौथे वर्ण के आधार पर ही वह परिषद् के अध्यक्ष का निर्वाचन सोच रहे हैं।

इसके अतिरिक्त थोड़ा-सा विरोधाभास भी इसमें हो रहा है। उसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं। इस उत्तर प्रदेश जिला परिषद् विधेयक के रचयिता और उसको इस सदन के सामने उपस्थित करने वाले माननीय विचित्र नारायण जी शर्मा हैं। उन्होंने यह रखा है कि यह जिला परिषद् विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। यह दोनों बातें एक दूसरे के बिलकुल भिन्न हैं। अगर हम यह मानें कि माननीय मंत्री जी को कुछ थोड़ा सा सन्देह था कि हम इस बिल को ठीक से नहीं बना पाये हैं और उसका सुचारु रूप से प्रतिपादन और सम्पादन नहीं कर पाये हैं इसलिये उन्होंने यह रखा कि इसको प्रवर समिति के सिपुर्द कर दिया जाय, तो श्रीमन, मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इसका जवाब दें कि आया इस वजह से उन्होंने यह प्रस्ताव रखा या केवल हम लोगों के अधिकार को छीनने के लिये यह प्रस्ताव रखा है। इनको अधिकार है बिल के निर्माण करने का और उसे लाकर हाउस में रखने का। उस बिल पर बहस करना, उसकी गलतियों को देखना, उसको प्रवर समिति के सुपुर्द करना या जनमत के लिये घुमाने का प्रस्ताव रखना हम सदस्यों का अधिकार है। लेकिन माननीय मंत्री जी ने उस अधिकार को भी ले लिया। इसके मानें क्या हैं? कल मैं कह रहा था कि इसमें माननीय मंत्री जी के दो व्यक्तित्व दिखलाई पड़ते हैं। एक व्यक्तित्व विचित्रनारायण शर्मा, मंत्री स्वशासन का है और दूसरा विचित्र भाई, महात्मा गांधी के पट्ट शिष्य का है। एक व्यक्तित्व उनका मंत्री का है और दूसरा सदस्य का। मंत्री के व्यक्तित्व के नाते उन्होंने इस बिल की रचना की, यह चाहे उन्होंन स्वयं की हो अथवा सरकार के विभाग ने उसको अपने सांचे में ढाल कर तैयार किया हो, लेकिन यहां आया उन्हीं के नाम से और इस काम को उन्होंने मंत्री की हैसियत से किया और उसके बाद एक सदस्य की हैसियत से उन्होंने यह प्रस्ताव भी रख दिया कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य नियम को न जानकर बात कर रहे हैं। इसमें दिया हुआ है कि जो बिल पेश करे वह यह भी प्रस्ताव कर सकता है, वह कोई भी हो, मंत्री हो अथवा सदस्य कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी को दे दिया जाय। तो यह अधिकार केवल सदस्यों का ही नहीं है मंत्री का भी अधिकार है। मंत्री भी सदस्य हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह--मैं नैतिक बात कह रहा हूं कि मंत्री जी को इसका ध्यान रखना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--तो आप नैतिकता की बात कह रहे हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह--तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि अब मेरी समझ में यह नहीं आता कि मैं मंत्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करूं या विरोध। क्योंकि अगर मैं उसका समर्थन करता हूं तो शायद मंत्री जी कुछ दूसरा मतलब समझें और अगर विरोध करता हूं तो काम नहीं होता है। अजीब उलझन में मंत्री जी ने हम लोगों को डाल दिया है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी आयन्दा इस तरह की उलझन में हम लोगों को न डालें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय विचित्रनारायण शर्मा, सदस्य, जो गांधीवादी सदस्य हैं, उनके इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि यह बिल प्रवर समिति को भेज दिया जाय जो एक माह में अपनी रिपोर्ट दे दे। यह प्रतिबन्ध मैं इसलिये चाहता हूं कि पिछली मर्तबा अंतरिम जिला परिषद् का जब बिल आया था तो उसमें कोई प्रबन्ध नहीं रखा गया था ताकि जितने समय तक चाहें वह वहीं चलता रहे। बाद में मर ही प्रस्ताव पर अगस्त के स्थान पर दिसम्बर उन्होंने मंजूर किया था। इसलिये इसमें

[कुंवर श्रीपालसिंह]

मैं चाहूंगा कि एक महीने में ही यह वहां से पास हो जाय, उसके बाद यहां आप इसको पास कराकर दिसम्बर तक अथवा उसके पहले ही वहां के चुनाव कराकर काम शुरू करा सकें।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में समय-समय पर जो बिल प्रस्तुत होते रहे हैं, शायद ही उनमें कोई ऐसा बिल हो जो इतने समय तक गर्भाधान में रहा हो। पुराने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बिल को बने हुए करीब ३६ साल हो चुके थे। समय की आवश्यकता थी कि समय की प्रगति के साथ उसमें आमूलचूल परिवर्तन होता और एक नया बिल हमारे सामने आता। इसीलिये सरकार आज नहीं, कई वर्षों से, कदाचित् ८, ९ वर्षों से इस ओर प्रयत्नशील रही और आज यह बिल हमारे सामने है। मान्यवर, कहा जा सकता है कि इस बिल में उन सारी आवश्यकताओं, कल्पनाओं और भावनाओं का समावेश कदाचित् न हुआ हो जो इस से संभव हो सकती थीं, लेकिन फिर भी यह मानना ही पड़ेगा कि एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया गया और इसमें बड़े महत्वपूर्ण निश्चय हैं। मान्यवर, कल कुंवर श्रीपाल जी बोलते समय कई बार संबोधन कर रहे थे कम्युनिस्ट सरकार, कम्युनिस्ट सरकार. . . .

कुंवर श्रीपालसिंह---कम्युनिस्ट सरकार।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल---कदाचित् अगर कम्युनिस्ट बेंचेज़ से पूछा जाता और समय-समय पर देखते ही हैं तो वह सरकार को पूंजीपति सरकार कहते हैं। वास्तव में सरकारों की यह दिक्कत होती है। एक व्यक्ति कवि की कल्पना की तरह स्वच्छंदता से गगन में उड़ने के लिए स्वतंत्र होता है, लेकिन सरकारों को परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और उनका सामना करके ही, सामंजस्य करके ही वे कोई मेजर, कोई बिल इस सदन में प्रस्तुत कर पाती हैं।

इस सदन में कुछ परिपाटी सी हो चुकी है, जिसका मैं कई बार ज़िक्र कर चुका हूं कि हर छोटे और बड़े बिल के लिए प्रवर समिति की मांग आती है। लेकिन यह बिल वास्तव में ऐसा बिल है जिसका प्रवर समिति में जाना परम आवश्यक है। इसमें इस बात की आवश्यकता है कि इस सदन के किसी भी ओर बैठने वाले सदस्य हों वे सभी अपने सुझाव दें और उनसे इसका परिमार्जन और परिशोधन यथासम्भव हो सकेगा। इसी जनतंत्रीय प्रणाली की प्रेरणा से माननीय स्वायत्त मंत्री ने इस प्रस्ताव को इस सदन के सामने रखा। मान्यवर, मेरे आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही जब मैं कुंवर श्रीपाल को सुन रहा था कि उन्हें इस बात पर भी एतराज़ था कि उन्हें विरोध करने का अवसर नहीं मिल पाया। विरोधी दल की अगर यही परम्परा हो कि अगर विरोध करने का अवसर न मिले तो उससे उलझन पड़ जाय तो मैं इसके लिये क्या कहूं, लेकिन मेरा ऐसा विश्वास था कि वह सहर्ष, बिला किसी उलझन में पड़े हुए, इसका समर्थन करते और उस अवसर को जो माननीय मंत्री जी ने प्रदान किया था उसका सदुपयोग करते तो ज्यादा उचित होता। मान्यवर ने स्वयं ही नियम को भी बताया फिर भी कुंवर श्रीपाल सिंह कहते रहे कि यह अनैतिक है।

कल हमने इससे भी अधिक उग्र और भयंकर बातें सुनीं। हमने देखा कि हमारे शुद्ध सोशलिस्ट पार्टी के नेता जो इस सदन के बाहर सब के समान अधिकार में विश्वास करते हैं, उन्होंने करीब ३ घंटे भाषण दिया। इस सदन का कुल समय ६ घंटे के करीब होता है। यदि मैं भूलता नहीं तो २०-२२ हजार रुपया यहां एक दिन में व्यय होता है। आधे समय के माने यह हैं कि अगर आंका जाय रुपयों में तो. . .

श्री अध्यक्ष---आप समझते हैं कि वह १०,००० रुपयों की स्पीच हुई है?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल---मान्यवर, वह स्पीच कितने मूल्य की थी यह तो स्वयं माननीय राजनारायण जी पढ़ कर ही समझ सकेंगे, लेकिन गरीब जनता पर उस स्पीच का बोझ १२ या १० हजार रुपये पड़ा। अच्छा होता अगर १०-१२ हजार रुपया जनता की गाढ़ी कमाई का, व्यय होने के बाद अगर इस विधेयक की बात पर हमको प्रकाश मिलता। हमने जो कुछ सुना उसमें सारी पोलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टों का जिक्र था। हमने उसमें सुना मैकाले के शब्द जाल का जिक्र, अंग्रेजी भाषा जो उन्होंने प्रचलित की। उसमें हमने संसार के सर्वश्रेष्ठ मानव डा० राममनोहर लोहिया की गरिमा और महिमा की कथा सुनी और एक व्यक्ति विशेष के बारे में जो समय-समय पर वह एक बात कहते रहे हैं उसकी पुनरावृत्ति सुनी---एक बार नहीं, १० बार, लेकिन उनका दावा यह था कि हम जो बात कह रहे हैं वह चाहे एक बात की पुनरावृत्ति हो रही हो, लेकिन कह तो नये तरीके से रहे हैं। खैर, जनतांत्रिक प्रणाली में अधिकार है किसी भी अधिकार के सदुपयोग और दुरुपयोग करने का। इसके लिये कोई दूसरा सदस्य क्या कह सकता है? मान्यवर, मैं उन बातों की ओर न जाते हुए इस बिल के कुछ मूलभूत सिद्धान्तों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। जब यह बिल प्रवर समिति में जा रहा है, तब यह आवश्यक है कि इसमें सब तरफ के लोगों के सहयोग से इसका परिमार्जन और परिशोधन हो सके और इसमें कुछ ऐसे सुझाव आकर इसकी मंशा को पूरा कर सकें जिसके लिए यह प्रस्तुत किया गया है। फिर भी इस सदन में हम यही कर सकते हैं कि उसके मूलभूत, और आधारभूत सिद्धान्तों पर निवेदन करें और उसमें यदि आपस के विचार-विनिमय से कुछ प्रकाश पड़ सके तो कदाचित् वह उस प्रवर समिति के लिये भी लाभप्रद हो सकता है और सदन के लिये भी। मान्यवर, उसी भावना से मैं सब से पहले इस विधेयक में उस धारा की ओर कुछ संकेतमात्र निवेदन करना चाहता हूं जिसमें इसके कांस्टीट्यूशन का, जिला परिषद् का जो कांस्टीट्यूशन होगा, जिक्र है। एक तरह से वह एक महत्वपूर्ण अंग है इस सारे विधेयक का। उसमें पहली बात तो यह है कि इन्डाइरेक्ट एलेक्शन के द्वारा ग्राम-पंचायतों से लोग चुने जायंगे ज्यादा संख्या में। उसके बाद कुछ दो और श्रेणियों के आदमी होंगे, कुछ कोआप्टेड व्यक्ति होंगे जिनकी संख्या १/१० से ज्यादा नहीं होगी।

मान्यवर, जहां तक पहले वर्ग का सम्बन्ध है उसके विषय में मुझे यही निवेदन करना है कि यह इन्डाइरेक्ट एलेक्शन की प्रणाली कदाचित् ठीक नहीं होगी और न आज इस जनतंत्र के युग में वह हमारी उस मंशा को पूरा कर सकती है और न उस विकेन्द्रीयकरण की भावना को पूरा कर सकती है जो इस बिल का वास्तविक आधार है। मैं श्रीमन्, बधाई देता हूं माननीय मन्त्री जी को इस बात के लिए कि उन्होंने विधेयक प्रस्तुत करते समय जो अपना भाषण दिया था उसमें उन्होंने करीब-करीब सिद्धान्ततः यह स्वीकार किया कि डाइरेक्ट एलेक्शन ही अच्छी प्रणाली है और यदि वे इसमें डाइरेक्ट एलेक्शन का प्राविजन नहीं कर सके हैं तो उसका एक मात्र कारण आर्थिक कठिनाई है। मैं ऐसी आशा करता हूं कि जहां हम मितव्ययता के लिये अक्सर मांग करते रहे हैं कि फिजूल-खर्चियों को रोकें वहां मैं यह भी समझता हूं कि जहां पर आवश्यक व्यय की जरूरत हो उसको हम अवश्य करें। यदि एक सिद्धान्त की पूर्ति के लिये, एक मंतव्य तक पहुंचने के लिये कुछ रुपये की आवश्यकता हो तो मन्त्री जी किसी न किसी तरह से उसका अवश्य प्रबन्ध करें। मैं आशा करता हूं कि प्रवर समिति में विचार विनिमय के बाद और इस तीन रोज के वाद-विवाद के सुनने के बाद कदाचित् मन्त्री जी इस सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए, इस आवश्यकता को मानते हुए अवश्य प्रबन्ध करेंगे जिसमें इन्डाइरेक्ट एलेक्शन के प्राविजन का सिलसिला खत्म हो जाय और डाइरेक्ट एलेक्शन हो सके, डाइरेक्ट रिप्रेजेन्टेशन हो। जनता का यह अधिकार है कि वह स्वयं अपने आदमियों को चुने। मेरा यह ख्याल है कि अगर इन्डाइरेक्ट एलेक्शन हुआ तो पहले ही कदम पर काफी भ्रष्टाचार आ सकता है और नीचे के स्तर के जो सरकारी अधिकारी हैं वह प्रत्यक्षरूप में एक बड़ा हाथ इस चुनाव में रख सकेंगे, जिसका परिणाम यह होगा कि जनता के प्रतिनिधि नहीं कदाचित् वह नीचे के स्तर के कर्मचारी एक अंकुश का काम करते रहेंगे।

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

इसके बाद श्रीमन्, इसमें एक और वर्ग है जिसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट लेविल के आफिसर्स इसके पदेन सदस्य होंगे। उसके बारे में, मान्यवर, मेरा ऐसा विचार है कि जो सेक्शन २ में डिस्ट्रिक्ट लेविल के आफिसर्स की परिभाषा दी है उसमें कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट लेविल के आफिसर्स वही होंगे जिनको समय-समय पर सरकार नियुक्त करे। इसके माने यह हुए कि आज की तारीख में यह निश्चय नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट लेविल आफिसर्स कौन होंगे, वह निश्चय सरकार को करना है। मेरा ऐसा विचार है और मैं समझता हूं कि सदन के बहुत सारे माननीय सदस्यों का भी यह अनुभव होगा कि हमारे वर्तमान जिला परिषद् की जो मीटिंग होती है उसमें बहुत बड़ी पलटन डिस्ट्रिक्ट के आफिसर्स की जो होती है वह आवश्यक नहीं और उनका स्वयं यह अनुभव होता है कि हमने यहां आकर अपने समय का सदुपयोग नहीं किया और वहां पर बैठने वाले हम लोगों का भी अनुभव होता है कि उनके समय का सदुपयोग नहीं हो रहा है। इसलिये मेरा मन्त्री जी से निवेदन होगा कि अगर वह डिस्ट्रिक्ट लेविल के आफिसर्स को रखना जरूरी समझते हों तो उनकी संख्या कम से कम रखें और जिनके लिये जरूरी समझते हों उनके लिये साथ ही यह लाजमी हो कि वह अवश्य मीटिंग को अटेन्ड करें यानी वह अपनी सुविधा को देख कर कि अटेन्ड करें या न करें, यह उनकी इच्छा पर न हो। इसमें जहां पर कोआप्शन की बात आई है, कोआप्शन रहे। इसमें मुझे कोई विशेष आपत्ति नहीं है। लेकिन अनुभव यह बताता है कि कोआप्शन में डिस्क्रीशन का बहुधा मिसयूज होता है। हम यह निश्चय कर दें कि कोआप्टेड सदस्य अमुक विशेष हितों का प्रतिनिधित्व करेगा और वह उस दायरे से निकल सके, तो अच्छा होगा।

इसी विधेयक में जिक्र है कि सदस्यों की संख्या २५ से ६४ तक होगी। संख्या बहुत अधिक करने से कुछ लाभ नहीं हो पाता। वह इतना बड़ा मजमुआ हो जाता है कि किसी कार्य को अच्छी तरह से समझना, उस पर विवाद करना और विचारों का आदान-प्रदान असम्भव हो जाता है। इसलिये जितने कम सदस्य हों अच्छा है। इसमें यह भी प्रश्न है कि चुनाव सिंगिल कांस्टीट्यूएंसी से होंगे या डबल कांस्टीट्युएंसी से। एक धारा में लिखा है कि अगर एक से ज्यादा किसी कांस्टीट्यूएंसी में सदस्य है या दो से ज्यादा की डबल कंस्टीट्यूएंसी है तब किस प्रकार वोटिंग होगी। इसस जाहिर होता है कि वही डबल कांस्टीट्यूएंसीज, जैसी म्युनिसिपल बोर्ड्स में हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में भी होंगी। अनुभव यह बतलाता है कि डबल कांस्टीट्यूएंसीज काफ़ी दिक्कत का कारण साबित हो चुकी हैं। अच्छा हो कि हम डबल की जगह सिंगिल कंस्टीट्यूएंसी ही रखें।

लेजिस्लेचर के सदस्य जिला परिषद् के सदस्य हों या नहीं हों, यह इतनी अहमियत का प्रश्न नहीं है जितनी कि इसे दे दी गई है। मेरा विचार है कि लेजिस्लेचर्स इसमें राइट आफ़ वोटिंग के साथ न हों। वे मेम्बर तो हों, लेकिन केवल परामर्श देने के लिये। राइट आफ वोटिंग होने से वे छोटे वर्कर्स के कम्पीटीशन में आते हैं, जो नहीं होना चाहिये। कुछ लोगों के दिल में यह संकोच होता है कि कदाचित् वे छोटे स्तर के लोग इस योग्य तो नहीं हैं कि वे बिना हमारे वहां रहे हुए उस काम को कर सकते हैं या नहीं। शायद ठीक यही दलील अंग्रेज सरकार दिया करती थी जब कि हमें म्युनिसिपल बोर्ड्स और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का शासन सौंपा गया था। हमें इस बात का यत्न करना होगा कि हमारे जिले के स्तर के लोगों का विकास हो और हम उनके ऊपर उत्तरदायित्व अधिक से अधिक डालें।

एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिला परिषद् का कार्यकाल साधारणतया ५ वर्ष होगा। लेकिन उसका १ वर्ष तक एक समय में ज्यादा से ज्यादा एक्स्टेंशन हो सकेगा। इससे अधिक एक्स्टेंशन के लिये इस सदन की आज्ञा की आवश्यकता होगी। मैं चाहूंगा कि इस पर और अधिक प्रतिबन्ध लगावें जिससे एक्स्टेंशन की परम्परा एक परिपाटी न बन जावे और कोई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बजाय ५ साल के १० साल या ज्यादा कार्य न कर सके।

इसके बाद मैं मंत्री जी को बधाई दूंगा एक महत्वपूर्ण धारा के लिये जो उन्होंने रखी है। वह है धारा ९। यह बड़े महत्व की है और एक नये सिद्धान्त का प्रतिपादन करती है। मैं समझता हूं कि पहली बार इस ओर ध्यान दिया गया है। कोई सदस्य और कोई अध्यक्ष एलीजीबिल नहीं रहेगा री-इलेक्शन के लिये यदि वह दो निरन्तर टर्म्स में मेम्बर या अध्यक्ष रह चुका है। बशर्ते कि उसका कार्यकाल साढ़े सात साल के अधिक रहा हो। यह जनतंत्र की पुष्टि करने के लिये बड़ी महत्वपूर्ण धारा है। जिला स्तर से इसकी शुरुआत होकर यदि इसकी उपयोगिता सिद्ध हुई तो मैं समझता हूं शायद वह भी दिन आवे जबकि इस सदन के सदस्यों के लिये भी कोई ऐसी धारा हो कि वह एक बार से ज्यादा सदस्य या मिनिस्टर न रह सकें। कल सोशलिस्ट पार्टी के नेता माननीय राजनारायण जी उम्र वाली दफा की चर्चा कर रहे थे, जो धारा ३१ है। उसका इससे बड़ा सम्बन्ध है। उस में ३५ साल की उम्र अध्यक्ष के लिये है। कुंवर श्रीपालसिंह जी ने हमारे शास्त्रों की बातें भी इस सम्बन्ध में कह डालीं। यह आवश्यक है कि उम्र की कोई न कोई न्यूनतम सीमा हमें मुकर्रर करनी होगी। प्रश्न यह है कि ३५ वर्ष से कम हो सकती है या नहीं। मैं समझता हूं कि ३० वर्ष से अधिक की सीमा नहीं निर्धारित करनी चाहिये। यदि व्यतिगत बात कहने के लिये क्षमा किया जाय तो मैं कहूंगा कि जब मेरी अवस्था ३१ वर्ष की थी तो मैं बरेली नगरपालिका का अध्यक्ष हुआ। चार साल मैंने काम किया और अगर गलतफहमी मेरी कोई हो हो तो मैं यह कह सकता हूं कि मैं उस कार्य को कर सका। तो ३० साल से ऊपर के व्यक्ति से यह आशा अवश्य की जा सकती है कि वह इस कार्य को अच्छी तरह से सम्भाल सकता है। ३० और ३५ के बीच में एक प्रौढ़ एलीमेंट को नहीं छोड़ना चाहिये। लेकिन न्यू ब्लड के लिये मंत्री जी ने ज्यादा जोर दिया है और शायद किसी दूसरे प्रदेश ने अभी तक ऐसा कदम नहीं उठाया है। न्यू ब्लड के लिये इससे बहुत मौका मिलता है कि एक सदस्य दो कार्यकाल से अधिक काम न कर सके। मगर जैसा माननीय राजनारायण जी ने कल कहा था उससे जाहिर होता है कि वह रा ब्लड का अवसर चाहते थे। मेरा निवेदन है कि रा ब्लड से न्यू ब्लड के मानी निकालना गलत होगा।

डिसक्वालीफिकेशन के ऊपर कल बड़ा भारी व्याख्यान माननीय नेता सोशलिस्ट पार्टी का सुना। मैं नहीं समझ सका कि उनके पूरे व्याख्यान को बड़े आदर के साथ सुनने के बाद भी, उनकी राय या सुझाव क्या थे। उनके दिमाग में कुछ और बात मालूम होती थी लेकिन अगर उन्होंने नीचे की धारा भी पढ़ ली होती तो उनकी तमाम शंकायें साफ हो जातीं।

इसके अलावा, इसमें एक और धारा बहुत महत्वपूर्ण है। वह है जिसमें यह प्रतिबन्ध लगाया गया है कि प्रधान गांव सभा का अध्यक्ष, म्युनिसिपल बोर्ड का प्रेसीडेंट, नोटीफाइड एरिया का प्रेसीडेंट या टाउन एरिया का प्रेसीडेंट या कार्पोरेशन का मेम्बर नहीं हो सकेगा। मैं यह समझता हूं कि यह भी एक मौलिक बात है। इस तालिका में इस सदन के सदस्यों को भी बढ़ाना चाहिये। जो एम० एल० ए० या एम० एल० सी० हैं उनको प्रेसीडेंट नहीं होना चाहिये। यह मैं अपने और दूसरे मित्रों के अनुभव से कह सकता हूं कि किसी शहर या जिले की संस्था के प्रेसीडेंड का कार्य-भार इतना कठिन है कि उसको उठाकर वह किसी विधान सभा या विधान परिषद् की सदस्यता का भार भी उठा सकें, इसमें मुझे बहुत संदेह मालूम पड़ता है और उस दशा में वह दोनों में से एक के साथ भी न्याय नहीं कर सकता। इसलिये मंत्री जी इस ओर भी ध्यान दें।

आगे चल कर जहां अध्यक्ष के चुनाव और उसमें वोट आफ नो कान्फीडेंस का सवाल आता है, आये दिन हम देखते हैं कि जो ऐसी संस्थायें हैं उनमें हर साल ही तरह-तरह की बातें आती हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एक बात की ओर दिलाऊंगा कि इस वक्त की यह प्रणाली है कि जो नामांकन स्वीकार किये जाते हैं, रिटर्निंग आफीसर के सामने अगर एक दफा स्वीकार हो गया और वह इलेक्शन लड़ा इस पर कोई पिटीशन करे कि रांगफुल एक्सेप्टेंस हो गया है तो बड़ी दिक्कत पैदा हो जाती है। ऐसी ही मंशा मौजूदा म्युनिसिपल बोर्ड ऐक्ट की मालूम होती है।

लेकिन मौजूदा म्यूनिसिपल बोर्ड ऐक्ट में कुछ कमी रह गयी है जिसके फलस्वरूप हाई कोर्ट ने ऐसी रूलिंग्स दी हैं कि अगर रांगफुल एक्सेप्टेंस हो गया है तो उसके आधार पर पिटीशन

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

सकता है । श्रीमन्, अक्षरशः वही इसमें भी रख दिया गया है । एक सिद्धान्त की बात है कि एक आदमी अपना नामीनेशन कराता है और निर्वाचन अधिकारी से उसकी सूक्ष्म परीक्षा कराता है, उस वक्त दूसरा विरोधी आदमी उस पर ऐतराज करता है, उस पर बहस होती है और तब जाकर वह अथारिटी अपना यह फैसला देती है कि यह वैध है और इस प्रकार से उसका नामीनेशन ऐक्सेप्ट होता है । अगर इसी ग्राउन्ड पर फिर उसके निर्वाचन पर आपत्ति होती है तो बड़ी भारी दिक्कत पैदा हो जाती है और इससे बड़ा अपव्यय भी होता है । इसलिये थोड़े शब्दों को इधर-उधर बढ़ा कर माननीय मंत्री जी एक बड़े भारी खतरे को दूर कर सकते हैं ।

इसके बाद इसमें एक और महत्वपूर्ण धारा है जिसमें प्रदेशीय सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि यदि कोई सदस्य या अध्यक्ष अपने पद का दुरुपयोग करे तो सरकार उसको सस्पेंड या रिमूव कर सकती है । ऐसी ताकत सरकार को लेना परमावश्यक है । अगर इस अंकुश को सरकार अपने पास न रखे तो व्यवस्था चल ही नहीं सकती । लेकिन इसमें एक मौलिक बात का परिवर्तन आवश्यक है । इसमें दो बातों का अधिकार दिया हुआ है । एक तो वह सदस्य रिमूव किया जा सकता है जिसने अपने वर्तमान कार्यकाल में अपने पद का दुरुपयोग किया हो अथवा पहले टर्म में दुरुपयोग किया हो । मेरे विचार में पहले टर्म में किसी ने दुरुपयोग किया है, इसको ग्राउन्ड बनाना उचित नहीं है, न्यायसंगत नहीं है । इस ओर प्रवर समिति और माननीय मंत्री जी का ध्यान जाना परमावश्यक है ।

इसके बाद, श्रीमन्, इस सदन में इसका भी कई माननीय सदस्यों ने जिक्र किया कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर्स को एलाउन्स मिलना चाहिये या नहीं मिलना चाहिये । वर्तमान विधेयक में ऐसा प्राविजन है कि उनको कोई भत्ता नहीं मिलना चाहिये । मेरी, श्रीमन्, इससे असहमति है । मैं समझता हूं कि जो सामाजिक कार्यकर्त्ता हैं उनके लिये हम ऐसी अवस्था पैदा करें कि जो कार्य वे करते हैं वह उनके लिये बोझ न हो जाय, उन पर कोई आर्थिक दबाव न पड़े । पहले जमाने में म्युनिसिपल बोर्ड्स, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स जो हुआ करते थे उनमें अधिकांशरूप में धनी आदमी ही सदस्य हुआ करते थे । वे उसको बाअस इज्जत समझते थे कि वह पद ऐसा है । इसलिये वे काफी पैसा खर्च करके आते थे और उनमें काफी रुपया खर्च करने की क्षमता भी होती थी । लेकिन आज के जो जनसेवी हैं वे इस स्थिति में नहीं हैं कि अपने पास से पैसे खर्च करके जनता की सेवा कर सकें । अगर ऐसे जनसेवियों को उस खर्च के लिये स्वयं ही इन्तजाम करने का भार हो जाय तो कदाचित् मुश्किल हो जायगी और उनकी प्रवृत्ति गलत प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देगी ऐसे वातावरण में । तो मैं चाहूंगा कि सदन इस पर अच्छी तरह विचार करे और प्रवर समिति में भी जब यह बिल जाय तो वहां भी इस पर विचार करके अवश्य उनके लिये कुछ एलाउंसेज का प्राविजन हो ।

श्रीमन्, एक और बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है । वह जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में रोजमर्रा की कार्यवाहियां होती हैं, उसमें अनुभव यह बतलाता है कि बड़ी गड़बड़ी होती है । माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करूं कि उसमें सबसे बड़ी गड़बड़ी की गुंजायश यह रहती है कि आज जिला अन्तरिम परिषद् की बैठक हो रही है या किसी म्युनिसिपल बोर्ड की बैठक हो, उसकी प्रोसीडिंग्स लिखी जाती हैं और वह प्रोसीडिंग १० रोज के बाद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जाती है । अगर यह प्राविजन इसमें न होता तो शायद और ज्यादा मनमानी होती और जिस तरह से वे चाहते उसे तब्दील कर देते । लेकिन चूंकि वह १० रोज के बाद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्टेट के पास जाती हैं, इसलिये १० रोज के बाद ताला पड़ जाता है उस कलम में और फिर कोई तब्दीली उसमें नहीं हो सकती है । नतीजा यह होता है कि जो सदस्य होते हैं उनको अक्सर पता नहीं होता है, जानकारी नहीं होती है । तो मैं यह चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जो इस बिल में इस ओर गये हैं एक कदम और आगे बढ़ें और ऐसा प्राविजन इसमें रखें कि जो सदस्य होंगे उनको इसकी जानकारी ५ रोज

या ३ रोज के अन्दर अवश्य हो जायगी, उसकी नकल उन लोगों को मिल जायगी जैसा कि विधान सभा के सदस्यों को भी अधिकार दिया गया है कि प्लानिंग कमेटी के सिलसिले में उनके पास नकल हो। मैं समझता हूं कि प्रवर समिति जब इस पर विचार करेगी तब फिर शायद आर्थिक कठिनाई का सवाल उठाया जायगा। लेकिन मैं समझता हूं कि प्रवर समिति इस पर अवश्य विचार करेगी कि जहां हम इतना खर्च कर ही रहे हैं वहां इसमें थोड़ा-सा खर्च और बढ़ जाय तो उससे कोई अधिक खर्च नहीं बढ़ जायगा। साल में मुश्किल से १२, १४ या २० मीटिंग्स होंगी और औसत ५० सदस्यों का मान लिया जाय तो साल भर में १२ से ५० को जरब कर दिया तो वे ६०० हुए। तो जहां इतना ज्यादा व्यय होने वाला है, वहां कुछ और व्यय बढ़ जाय तो उसे अधिक नहीं समझना चाहिये। इतना पैसा व्यय न करने से जो उससे भी अधिक भयानक और भयंकर चीज होगी वह और भी खतरनाक होगी।

श्रीमन्, जितनी चीजें मुझे संक्षेप में निवेदन करनी थीं मैं समझता हूं कि उसकी सीमा में कुछ लांघ चुका लेकिन एक बात मैं संक्षेप में और निवेदन कर देना चाहता हूं। जो जिला नियोजन समिति का जिक्र इस बिल में आया है, उनका तो बिलकुल अलग ही कांस्टीट्यूशन है। मेरा ऐसा खयाल है कि जिला नियोजन समिति को उतनी ताकत नहीं दी गयी है या मैं यह कहूं कि कुछ भी ताकत नहीं दी गयी है तो शायद ठीक होगा। यह ठीक है कि प्लानिंग कमेटी आपकी थी और उसको आज भी इस बिल में जिन्दा रखा गया है। किसी न किसी तरह से लफ्ज जिला नियोजन समिति इस बिल में आ गया है लेकिन जिला नियोजन समिति क्या कर सकती है? जिला नियोजन समिति की जो राय होगी, क्या उसे जिला परिषद् मान सकती है? मैं समझता हूं कि प्रवर समिति में इस पर भी अवश्य प्रकाश डाला जायगा।

मान्यवर, आगे चल कर एक और बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जो मैं समझता हूं कि मूलभूत है और एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण इसका कदम है। यह है जो जिले के अन्तरिम परिषद् के अधिकारियों के विषय में प्राविजन, इस के लिये मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं, वह बहुत सुन्दर प्राविजन है। आज जितने प्रदेश के जिला परिषद् या म्युनिसिपल बोर्ड्स हैं उन में जितने भी झगड़े और पार्टीबाजी होती है उसका मूलभूत कारण वहां के कर्मचारी और अधिकारी रहते हैं, वही उसके पिवट होते हैं जिनके चारों ओर सारे झगड़े घूमा करते हैं। आज पहली बार मंत्री जी ने यह किया है कि जो २०० रुपये से ऊपर के वेतन वाले हैं या सहायक कार्य अधिकारी हैं और इंजीनियर्स हैं उनकी नियुक्ति का प्राविजन पी० एस० सी० के द्वारा होगा, इस के लिये मैं माननीय मंत्री जी को पुनः बधाई देता हूं और इस तरह के नियंत्रण को जितना भी कड़ा किया जा सके अच्छा है।

एक बात मैं और निवेदन करूंगा कि दफा ११३ में माननीय मंत्री जी ने एक सेन्ट्रल ट्रान्सफरेबिल केडर बनाने की कल्पना की है। यह बहुत ही सराहनीय आइडिया है और इस की नितांत आवश्यकता थी, इन संस्थाओं का अनुभव यह बताता है कि अगर हम इन एग्जिक्यूटिव आफिसर्स और मेडिकल आफिसर्स आफ हेल्थ की सर्विसेज ट्रान्सफरेबिल कर दें तो बहुत-सी दिक्कतें इन बोर्ड्स की आप ही सुलझ जांयगी। इस प्रकार की मांग भी प्रदेश में बहुत दिन से रही है और मंत्री जी इस ओर बढ़े भी हैं परन्तु अभी उनका कदम जरा धीमा है क्योंकि उसमें लिखा है कि गवर्नमेंट "मे एप्वाइंट सच ए केडर" तो यह जो इस में "मे" है यह न होकर गवर्नमेंट के लिये लाजमी होना चाहिये कि वह इस केडर की नियुक्ति करे ताकि कोई आप्शन न रहे। माननीय मंत्री जी इस सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं, उसकी आवश्यकता को मानते हैं और यदि कोई वैधानिक दिक्कत हो और किसी बिल के लाने की आवश्यकता हो तो उसको लाकर के वह दिक्कत हटाई जाय तो बेहतर है।

इसमें एक क्लाज अस्थायी नियुक्तियों का भी है और उसमें माननीय मंत्री जी ने अध्यक्ष को अधिकार दिया है कि वह हर पोस्ट के लिये अस्थायी नियुक्ति एक साल के लिये कर सकता है। यह नियुक्ति वह बिना कलक्टर, कमिश्नर या पी० एस० सी० की स्वीकृति के कर सकता है। मेरा खयाल है कि इस धारा पर भी अभी पुनर्विचार की आवश्यकता है और हमारी निश्चित

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

राय है कि इस विषय में और अधिक कड़े नियंत्रण की आवश्यकता है और इस अवधि को बजाय एक साल के ६ मास से अधिक न रखना चाहिय। इन थोड़ स आधारभूत सिद्धान्तों को बताकर मैं माननीय मंत्री जी को पुनः बधाई देता हूं इस विधयक के लिय और इस प्रस्ताव को स्वयं प्रस्तुत करने के लिये कि इस सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द इस विधेयक को किया जाय। आशा है कि सदन इस आह्वान और निमंत्रण को स्वीकार करके, मंत्री जी की भावनाओं से सहयोग करके इस विधेयक को और भी उपयोगी बनाने की कोशिश करेगा।

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि आज भाषणों का समय वक्ताओं के लिये निर्धारित कर दिया जाय, आम तौर पर सब को १५ मिनट दिये जांय और २० मिनट से अधिक किसी को न दिये जांय।

श्री अध्यक्ष--मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य स्वयं ही २० मिनट से अधिक न लेकर अपना भाषण समाप्त कर देंगे।

***श्री टीकाराम पुजारी** (जिला मथुरा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर आज चार दिन से बहस चल रही है परन्तु हम लोगों को तो जब बजट आता हैं तो दस पांच मिनट मिल जाते हैं लेकिन तीन दिन से हम देख रहे हैं कि दो घंटे, ढाई घंटे या तीन घंटे जितनी तबियत हो कोई बोले, कोई नियंत्रण नहीं है लेकिन जो लोग जिला परिषद् के काम को जानने वाले हैं, गांव के रहने वाले हैं, इधर के या उधर के, जो जिला बोर्ड को जानते हैं उनको समय नहीं मिलता है, क्या यही समाजवाद आने वाला है? यही समानता है? मैं नहीं समझ सका। चार दिन हो गये खड़े होते-होते, मुझे समय नहीं मिलता है। उन्हें ही मिलता है जो बोलने के ठेकेदार हैं।

श्री अध्यक्ष--आप कृपा करके अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री टीकाराम पुजारी--श्रीमन्, यह समाजवाद नहीं है। यह टाटावाद और डालमियांवाद हो रहा है। श्रीमन्, हमको सबसे पहले बोलने का मौका मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--आप बोल चुके। कृपया बैठिए।

श्री टीकाराम पुजारी--श्रीमन्, हमारी कोई बात नहीं सुनता है।

श्री अध्यक्ष---आप कृपया बैठिए।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि मैं इस विधेयक पर बोलूं मैं आपके द्वारा कांग्रेस पार्टी के उन माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि विधेयकों में समय निर्धारित नहीं होता। लेकिन बोलने वालों को चाहिये कि दूसरों का ध्यान रखें। मान्यवर, जब कि हम विकेन्द्रीयकरण का ध्यान रखते हैं माननीय सोशलिस्ट पार्टी के नेता ने समय का केन्द्रीयकरण कर लिया है। लेकिन समय का निर्धारण नहीं होना चाहिये।

श्रीमन्, हमारी प्रदेशीय सरकार का देहात में रहने वाली जनता के प्रति किस तरह का उपेक्षा पूर्ण रुख रहा है उसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, १९४८ में जिला बोर्ड का चुनाव हुआ और उसके बाद १९५२ में पुनः उसका चुनाव हो जाना चाहिये था। यही नहीं इसी आदरणीय सदन में हमारे स्वायत्त शासन मंत्री जी द्वारा एक साल पूर्व जिला बोर्ड का एक संशोधन विधेयक भी लाया गया और मान्यवर, आपके द्वारा आदरणीय सदन की जानकारी के लिये मैं कहना चाहता हूं कि हम सभी ने अपने विचार प्रकट करते हुए वह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संशोधन विधेयक शीघ्रातिशीघ्र पारित कराया। आज सरकार ने वहां की जनता के साथ क्या न्याय किया ? मान्यवर, हमने विश्वास करके एक साल पहले जो संशोधन विधेयक आया, उसको पारित किया। फिर एक अध्यादेश लाया गया जिसके आधार पर अन्तिरिम जिला परिषद् बनाई गई। श्रीमन्, दुनिया का इतिहास देख लीजिये। चाहे वह यूगोस्लेविया हो, चाहे स्वीडन हो, कहीं इस काम के लिये आर्डिनेन्स नहीं लाया गया। मंत्री जी के पास क्या सबूत है कि जिला परिषद् का जो विधेयक रखा है उसके अनुसार चुनाव भी करा पाएंगे या नहीं ?

जिस तरह से देहात की जनता की उपेक्षा की गई है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, चार दिन से इस पर बहस चल रही है। मैं नहीं समझ पाया कि जिला परिषद् का क्या स्वरूप होगा। इस विधेयक को लाने का मन्तव्य जो मैं समझा हूं वह यह है कि जिला बोर्ड के स्थान पर यह जिला परिषद् काम करगी। क्योंकि जिला बोर्ड की जो पावर्स थीं, जो उनके अधिकार थे, उनमें इजाफा होना चाहिये इसीलिये यह बिल लाया गया है। लेकिन, मान्यवर, इसको शुरू से आखिर तक पढ़ने से मालूम हो जाता है कि जिला बोर्डों पर जिला मैजिस्ट्रेट की जो सुप्रीमेसी थी वह आज भी है। यही नहीं, जिला बोर्ड में अध्यक्ष के खिलाफ अगर कोई अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाय तो अभी तक बोर्ड भंग नहीं किया जा सकता था लेकिन माननीय मंत्री जी और उनके सलाहकारों ने एक बात यह की है कि जिला परिषद् का प्रेसीडेन्ट गलत काम करेगा तो सारी परिषद् को भंग कर दिया जाएगा। यह एक नई बात की है। मान्यवर, आज जिला बोर्ड के जितने भी कर्मचारी थे, बोड एप्वाइन्ट करता था लेकिन इस नये विधयक के द्वारा २०० रुपये से ज्यादा जितने भी लोग हैं उन्हें उत्तर प्रदेशीय सरकार पब्लिक सर्विस कमीशन की राय से करेगी।

श्रीमन्, आगे बढ़ने से पहले मैं स्वायत्त शासन के इतिहास की ओर पांच मिनट का समय लगाना चाहता हूं। मान्यवर, मैं इस इतिहास को तीन भागों में बांटता हूं। पहला १८७१ से १८८२, दूसरा १८८२ से १९१९, और तीसरा १९२१ से १९४७। पहला जो भाग है उसमें नाम-मात्र का स्वायत्त शासन था। केवल हमारे हाथ में लोकल टैक्सेज के बारे में और लोकल सर्विसेज के बारे में अधिकार था। और सारा अफसरों का आधिपत्य था। उसके बाद में इतनी शुरूआत की गई कि जनता अपना काम अपने हाथ में ले। और इसके बाद १९२१ से १९४७ में यहां तक कहा गया, मैं लोकल फाइनेंन्स आफ इंडिया के पेज २४ से कुछ उद्धरण आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं :

"They are not now experimental stations of self-government but its constituent parts. They can now breathe in a different atmosphere and derive their vitality from the new currents of national life."

जिस तरीके से १८७१ से १९१९ तक स्वायत्त शासन का स्वरूप था आज वह बदल गया। हमारे दिन प्रति दिन के जीवन से और राष्ट्रीय जीवन से उनका सम्बन्ध जुड़ गया। और आज मैं तो यह कहना चाहता हूं कि लार्ड रिपन ने १८८२ में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा उसकी जो खूबियां हैं मैं समझता हूं उनकी इस विधेयक में उपेक्षा की गई है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का क्या आधार होना चाहिये ? लार्ड रिपन ने तीन मापदंड बताये हैं। (१) इलेक्टड मेजारिटी, (२) इलेक्टेड नान-आफिशियल चेयरमैन, (३) इंडिपेंडेंस आफ लोकल बाडीज फ्रौम आउट-साइड कन्ट्रोल। तो यह १८८२ की बात है। इलेक्टेड प्रेसीडेंट बतलाया गया है। इसमें चुनाव के द्वारा प्रेसीडेंट जरूर होगा लेकिन वे लोग चुनेंगे जो पंचायतों से चुन कर आयेंगे। और पंचायतों के चुनाव के बारे में हम सब जानते हैं, सारे हिन्दुस्तान में लिट्रेसी १४ फीसदी है, देहातों में तो बहुत कम है। वहां हाथ उठाकर चुनाव होता है और जिस ढंग के लोग चुने जाते हैं सभी को मालूम है और उन्हीं के प्रतिनिधि जिला परिषद् में आयेंगे और वही चेयरमन को चुनेंगे। मैं समझता हूं १८८२ में जो आधारभूत सिद्धान्त स्वायत्त शासन का बतलाया गया था उसको सरकार न ध्यान में नहीं रखा।

[श्री प्रतापसिंह]

मुझे दुःख है माननीय सदस्य बरेली के कहते हैं कि जिला नियोजन समिति उसमें है, उसको कोई अधिकार नहीं देना चाहिये। तो उन्होंने यह बात क्यों कही कि जिला नियोजन समिति का मतलब क्या है जब जिले का सारा प्रशासन चाहे विकास का हो, निर्माण, संस्कृति, शिक्षा का हो, सारे के सारे जिला परिषद् को दे दिये जांयगे तो मैं चाहता था माननीय सदस्य कहते मंत्री जी से कि अब नियोजन समिति की कोई आवश्यकता नहीं है। जिला नियोजन समिति को क्यों रखा गया है, मैं बताता हूं। आज मेजारिटी उनकी है और इस पर बड़ा विवाद चला कि उनको इसमें रखा जाय या न रखा जाय। तो मंत्री जी के सलाहकारों ने सलाह दी होगी कि जिला परिषद् में नहीं रखते तो एक ऐसी जगह होनी चाहिये जहां उनको रखें। तो मैं समझता हूं नियोजन समिति में उन सदस्यों को रख कर उनको जगह करने के अलावा और कोई काम नहीं है।

मान्यवर, आज तो आवश्यकता इस बात की थी यहां पर बालिग मताधिकार द्वारा चुनी हुई ऐसी एक संस्था आनी चाहिये जिसको मैं सिंगिल रिप्रेजेन्टेटिव विगरस डेमाक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कह सकूं। लेकिन दो-चार धारायें जोड़ देने मात्र से काम नहीं चलता। मंत्री जी ने कहा कि जनता के जीवन में नवजीवन का संचार करना चाहते हैं इसलिये इस विधेयक को लाये हैं--हमारे पास जो बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है बलवन्त राय मेहता कमेटी की उसके कुछ उद्धरण रखना चाहता हूं जिन्होंने इस बात को साफ़ किया है कि बालिग मताधिकार से चुनी हुई बहुत बड़ी शक्तिशाली लोकल सेल्फ़ गवर्नमेंट यहां होनी चाहिये। उन्होंने कहा है :

"We have to consider whether the time has not arrived to replace all these bodies by a single representative and vigorous democratic institution to take charge of all aspects of development work in the rural areas."

ये कमेटियां इसीलिये बनाई जाती हैं कि जिन विषयों पर हम अन्धकार में रहते हैं उन पर वे एग्जास्टिव नोट्स लायें। इसको भी देखने की कोशिश नहीं की गयी है। हमारी जिला परिषदें बनने जा रही हैं। चाहे जितना अच्छा विधेयक बनाइये। जब तक हम उनको पूर्ण सामग्री न दें तब तक विधेयक अधूरा रह जाता है। इस पर बलवन्त राय मेहता कमेटी ने कुछ कहा है :

"Such a body, if created, has to be statutory, elective, comprehensive in its duties and functions, equipped with necessary executive machinery and in possession of adequate resources."

इस विधेयक को देखने से मालूम पड़ता है कि जिन चीजों के लिये उक्त कमेटी ने सिफारिश की है उनकी उपेक्षा की गयी है। जो चैप्टर १० है उसमें सरकार को और जिला मैजिस्ट्रेट को एक तानाशाह बना दिया गया है। यह कमेटी कहती है कि हमारे स्वायत्त शासन की इकाइयों को बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिये। उसका उदाहरण मैं आपकी सेवा में पढ़ना चाहता हूं :--

"This body can function effectively only if it is the sole authority for all those development programmes which are of exclusive interest for the area. In such matters the State Government will cease to operate within the area and in special circumstances when it has to, it has to do so through the agency of this local body."

तो नियोजन समिति की बात करना और सरकार का आधिपत्य इस अन्तरिम जिला परिषद् पर कायम करना गलत है। मैं यकीन दिलाता हूं कि हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आयेगी जो हवाई फायर हो। शक्ति के विकेन्द्रीयकरण की बात कही गयी लेकिन शक्ति का विकेन्द्रीयकरण है क्या? विकेन्द्रीयकरण के बारे में कल हमारे बिजनौर के साथी ने सवाल पूछा था कि आप डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब जानते हैं? जहां तक डिसेंट्रलाइजशन का मतलब मैं समझता

हूं वह है इवेलुएशन आफ पावर्स। हमारी जो पावर्स केन्द्रित हैं उनको केन्द्रित न करके नीचे से शक्तियों को इवाल्व करें। इस सम्बन्ध में भी बलवन्तराय मेहता कमटी की रिपोर्ट में पृष्ठ ७ पर कहा गया है, उसे मैं पढ़ देना चाहता हूं :

"There should be a devolution of power and a decentralization of machinery and that such power be exercised and such machinery controlled and directed by popular representatives of the local area."

इस विधेयक में इस बात की भी उपेक्षा की गयी है।

आज इस बात की आवश्यकता है एक ओर जिला परिषद् है, एक ओर नोटिफाइड एरियाज, टाउन एरियाज, म्युनिसिपल बोर्ड्स हैं और हमारे जो बड़े से बड़े शहर हैं उनकी तमाम अलग-अलग लोकल बाडीज हैं। तो मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से इंगलैण्ड में लोकल गवर्नमेंट कमीशन की स्थापना हुई इस बात को तय करने के लिये कि हमारी लोकल बाडीज का स्वरूप क्या होना चाहिये, उनका क्या कोआर्डिनेशन होना चाहिये उसी तरह से हमारे प्रदेश में भी एक लोकल बाडीज कमीशन की स्थापना होनी चाहिये जो इस बात की जांच करे कि आज के डेमोक्रेटिक सेटअप में, नियोजन के युग में हमारे स्वायत्त शासन की इकाइयों का क्या स्वरूप होना चाहिये ? जब तक यह काम नहीं होगा तब तक मैं समझता हूं कि एक दफा आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट लाये, आपने पास करा लिया लेकिन कार्य रूप में आप उसे परिणत नहीं कर सके, इसे देखते हुए लोकल बाडीज कमीशन की स्थापना शीघ्र से शीघ्र हो जाय ताकि अधिक से अधिक काम हो सके। उसकी सपोर्ट में एक नई किताब लिखी गयी है "ब्रिटेन", उसमें आफिशियल रिपोर्ट है सरकार की, उसके पृष्ठ ६९ में कहा गया है :

"Two Local Government Commissions have been established to review the general county and county borough pattern in England (outside the Greater London Area) and Wales respectively, and, in special review areas (Tyneside, West Yorkshire, South-east Lancashire, Merseyside and the West Midlands) the district pattern and the distribution of functions as well. The Commissions are required to make recommendations for such changes in the pattern as may appear to them desirable after investigating the circumstances of local government in each area under review, and after consulting with the relevant local authorities and other interested bodies and persons."

तो उस समय जो चीज विलायत में थी उसी तरह से आज यह सरकार भी निश्चित नहीं है कि लोकल बाडीज का क्या स्वरूप होना चाहिये, किस तरह से टाउन एरिया, नोटिफ़ाइड एरिया वगैरह का कोआर्डिनेशन होना चाहिये। इसी के लिये इंगलैण्ड में रॉयल कमीशन की भी स्थापना हुई जिसके पेज ६९ में भी यह कहा गया है कि :

"Royal Commission set up by Royal Warrant in November, 1957 to recommend whether any, and if so what, changes in the local government structure and the distribution of local government functions in the area, or any part of it, would secure more effective and convenient local government."

रॉयल कमीशन की इसलिये स्थापना की गयी कि उस एरिया में जहां स्वायत्त शासन स्थापित करने जा रहे हैं, वह किस प्रकार मिले इसकी सिफारिश वह करे। इस विधेयक में टाउन एरिया का तो जिक्र किया गया, लेकिन मैं समझता हूं नोटिफाइड एरिया को मंत्री जी भूल गये।

बहुत चर्चा इस विधेयक में इस बात की है कि हम यह करेंगे, वह करेंगे, लेकिन मैं समझता हूं जब तक पुलिस लोकल बाडीज के हाथ में नहीं रहेगी हमारा काम अधूरा रह जायगा। आपकी आज्ञा से एक महत्वपूर्ण कमेटी, जो आप ही की अध्यक्षता में बैठी थी, उसकी एक महत्वपूर्ण

[श्री प्र नारायण सिंह]

सिफारिश को आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं। उसमें पेज ४० पर बताया है कि किस तरह से स्वायत्त शासन की इकाइयों के हाथ में पुलिस को होना चाहिये :

"*Powers and duties of police in relation to offences and giving assistance to Gaon Panchayat*—It should be the duty of every police officer to give immediate information to a Goan Panchayat of an offence coming to his knowledge which has been committed against the Act or against any rule made thereunder and to assist all members and servants of the Panchayat in the exercise of their lawful authority."

यही बात म्युनिसिपल बोर्ड के लिये कही गयी, यही टाउन एरिया के बारे में जिक्र है, उसके बारे में मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं। विधेयक में इसके बारे में कोई तज़किरा नहीं किया गया है। बलवन्तराय मेहता कमेटी रिपोर्ट के पेज १४ पर कहा गया है :

"The main functions of rural and urban communes are the maintenance of a police system."

कहने को बहुत कुछ था मगर लाल बत्ती हो गयी है। इस विधेयक का बहुत कुछ स्वरूप वही है जो पहले था। चैप्टर १० इस बात का द्योतक है कि सरकार जब चाहे जिला परिषद् को भंग कर सकती है और अध्यक्ष के ऊपर तो इस कदर तानाशाही है कि अगर वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, और कर्तव्य कहीं डिफ़ाइन नहीं है, तो शीघ्रातिशीघ्र चुनाव करा दिया जायगा लेकिन अवधि कोई निर्धारित नहीं है। सन् १९४८ से अब तक अवधि नहीं हुई है। तो जब जिला परिषद् का विघटन हो जाय तो एक खास अवधि के अन्दर चुनाव कराइये। दूसरे, जिला परिषद् वधेयक पारित होने के बाद आप शीघ्रातिशीघ्र चुनाव करायें, नहीं तो आप जनता का विश्वास खो चुके हैं। मान्यवर, कैबिनेट गलतफहमी में है, कैबिनेट इज़ दि कमेटी आफ दि हाउस। तो मंत्री जी इसको भी बतायेंगे कि क्यों नहीं एग्ज़ीक्यूट किया और कौन-सा ऐसा आपके पास जादू का डंडा है कि इसको पास करें। कल फिर आपकी पार्टी के लोग कहें तो आपको बदलना होगा। मुझे उम्मीद है कि जनता की उपेक्षा न की जायगी और यह विधेयक पौने छः करोड़ जनता से सम्बन्धित है। इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि इस विधेयक की तमाम चीजों पर विचार किया जाय।

श्री बेचनराम गुप्त (जिला वाराणसी)—अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। इसलिये करता हूं कि जो विकेन्द्रीकरण का सिद्धान्त है उसको यह विधेयक आगे बढ़ाता है और जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जो शासन व्यवस्था है उसको यह निश्चय करता है। इस विधेयक में खामियां हो सकती हैं और यह नहीं कहा जा सकता है कि यह विधेयक सब तरह से पूर्ण है। इसीलिये माननीय मंत्री जी ने यह प्रस्ताव पेश किया है कि इसको एक सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय जिसमें इधर के बैठने वाले और उधर के बैठने वाले सभी माननीय सदस्य इसके हर पहलू पर विचार करें। जहां तक विकेन्द्रीकरण का सवाल है, श्रीमन, यह प्रश्न हमारे सामने २०-२५ वर्षों से रहा है और हम इस दिशा की ओर धीरे-धीरे जा रहे हैं। कोई जनतंत्र बिना विकेन्द्रीकरण के सफल नहीं हो सकता है। इसको हम भूल नहीं सकते हैं। हमारे साथी माननीय राजनारायण जी अक्सर चौखम्भा राज्य का जिक्र किया करते हैं। उनका मतलब लोक सभा से. . .

श्री अध्यक्ष—बनारस में कोई मोहल्ला है शायद चौखम्भा।

श्री बेचनराम गुप्त—उनका मतलब लोक सभा से, विधान सभा से, विधान परिषद् से और पंचायत से है। जहां तक दो खम्भों का सवाल है, इसमें लोक सभा और विधान सभा हैं। इसमें उनको कोई शिकायत नहीं हो सकती है। केवल दो खम्भों के बारे में उन्हें शिकायत रहा करती है, वह जिला परिषद् और पंचायतें हैं। उसी दृष्टि से वह अक्सर उस पर

प्रकाश डाला करते हैं और हम लोगों को भी विचार करने का मौका देते हैं और हम भी चाहते हैं कि उसी दृष्टि से इस जिला परिषद् विधेयक पर विचार किया जाय तो अच्छा होगा।

पहला प्रश्न यह है कि आया विधान सभा, विधान परिषद् और लोक सभा के सदस्य जिला परिषद् के सदस्य हों या न हों? इस की धारा ९ में लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति टाउन एरिया का अध्यक्ष है, गांव सभा का सभापति है या म्युनिसिपल बोर्ड का सभापति है तो वह जिला परिषद् का अध्यक्ष नहीं हो सकेगा। इसी सिद्धान्त को कबूल करते हुए इन सदस्यों को जिला परिषद् के सदस्य नहीं होने चाहिये। कहा गया है कि जो अधिकारी वर्ग वहां रहेंगे वे सदस्यों को दबायेंगे और काम सुचारु-रूप से नहीं चल सकेगा। मैंने देखा है अपने जिले में कि विधान सभा के सदस्य जब बैठते हैं तो व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं और दो घंटे का समय इसी वाद-विवाद में चला जाता है और कोई काम नहीं होता है।

दूसरी बात यह है कि जो सदस्य चुन कर आयंगे उनके मस्तिष्क का विकास नहीं हो सकेगा क्योंकि जो विधान सभा के सदस्य वहां बैठेंगे वह लोकल सदस्यों के ऊपर डोमिनेट करेंगे। जो जिलों में बहुत से काम होते हैं, जैसे बैलों के लिये तकावी, बीज के लिये तकावी आदि यह सारे काम जिला परिषद् द्वारा होते हैं। जिला का सारा काम जिला परिषद् द्वारा होता है। इसलिए विधान सभा के सदस्यों का होना वहां बहुत जरूरी है। मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करूं कि यह बिल्कुल जरूरी नहीं है। जिनको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का सदस्य होना हो उनके लिए रास्ता खुला हुआ है, कोई रुकावट नहीं है, वह चुनाव में आ सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें कहीं इस बात का प्राविजन नहीं है कि जो विधान सभा का सदस्य होगा वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव नहीं लड़ सकेगा। जो माननीय सदस्य डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को अच्छा समझते हों, विधान सभा के सदस्य होते हुए भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन एक भयंकर परिणाम यह हो सकता है कि अगर वह हार जायंगे तो नैतिकता का तकाजा होगा कि वह विधान सभा से भी इस्तीफा दाखिल कर दें। यह उनकी इच्छा पर निर्भर है। कोई रुकावट नहीं है। वह जिला परिषद् के सदस्य हो सकते हैं।

तीसरी बात यह है जिसका माननीय राजनारायण ने भी जिक्र किया कि चुनाव प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो। इस सिलसिले में बोलते हुए उन्होंने यह भी कहा कि जो २१ वर्ष की आयु की व्यवस्था इसमें है, वह बदल करके १८ वर्ष कर दी जाय क्योंकि १८ वर्ष न करने से काफी संख्या में लोग वोट देने से वंचित रह जायंगे। मैं उनका ध्यान संविधान की धारा ३२६ की ओर आकर्षित करता हूं जिसमें लिखा हुआ है कि २१ वर्ष की अवस्था का व्यक्ति चुनाव में भाग ले सकता है। उससे कम की अवस्था वाला व्यक्ति चुनाव में भाग नहीं ले सकता। इसलिए यही उचित होगा कि जो २१ वर्ष की अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं वही चुनाव में भाग लें। हमारे विधान में चुनाव की प्रत्यक्ष पद्धति दी हुई है। इसलिए हम अच्छा समझते हैं कि वही तरीका जिला परिषद् के लिए भी अपनाएं तो उत्तम होगा। जो तरीका लोक सभा और विधान सभा के लिए है वही अपनाया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

धारा ४ में कुछ कोआप्शन की बात कही गयी है। मैं कोआप्शन के बिलकुल खिलाफ हूं। इस वास्ते चाहता हूं कि कोआप्शन बिल्कुल हटा दिया जाय। मगर कुछ एलेक्टोरल कालेज बनाये जायं। बुद्धिजीवी लोग, जिसको लर्नेड प्रोफेशन कहते हैं उनकी एक कांस्टीटुएंसी बनायी जाय। जिला भर के मास्टरों, डाक्टरों और प्रोफेसरों का उसमें प्रतिनिधित्व हो सके। उसमें एक या दो व्यक्ति जैसा माननीय मंत्री जी मुनासिब समझें जिला परिषद् में आयें। पुराने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में इस फार्म में तो नहीं लेकिन व्यवस्था थी कि जिला बोर्ड का मास्टर चुन कर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में आ जाता था।

टैक्सेशन की व्यवस्था भी इस बिल में है। इस सिद्धान्त को मानते हुए कि "नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन", मैं निवेदन करूंगा कि जो बिजनेस करने वाले व्यक्ति हैं, जिन पर इस विधयक के द्वारा टैक्स लगाया जायगा उनका भी एक एलेक्टोरल कालेज बनाया जाय।

[श्री बेचनराम गुप्त]

कम से कम उनका एक व्यक्ति चुन कर जिला परिषद् म आये। इससे उनको भी अपनी आवाज बुलन्द करने का मौका मिलेगा। लैंडलेस लेबरर का भी रिप्रेजेंटेशन जिला परिषद् में होना चाहिए। जिनके पास जमीन नहीं है, जो मजदूर हैं वे भी आयें। इस जिला परिषद् में बैठें और अपनी आवाज उठा सकें। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी जब इस पर विचार करें तो इन लोगों के, बुद्धिजीवी लोगों के, जो तिजारती पेशे के लोग हैं उनके और लैंडलेस लेबर्स के रिप्रेजेंटेटिव्ज को भी इसमें स्थान देंगे।

सारी गड़बड़ी जो इस बिल में हो रही है, श्रीमन, मैं देख रहा हूं नियोजन समिति के सम्मिश्रण की वजह से हो रही है। कल भी यह बात कही गई कि अधिकारियों को जिला परिषद् का सदस्य नहीं होना चाहिए और मेरा ख्याल है कि शायद पहले भी अधिकारी बहुत कम संख्या में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्य होते थे। मगर केवल नियोजन के प्रश्न को लेकर माननीय मंत्री जी ने उसका समावेश इस जिला परिषद् में किया है। मैं उसके बिलकुल खिलाफ हूं। जिला परिषद् में उनका आना कतई जरूरी नहीं है। उनको आप नियोजन समिति में रख सकते हैं जहां नियोजन समिति का विषय होगा उस पर वे प्रकाश डालें तो ज्यादा अच्छा होगा। उसमें हमको मदद मिल सकती है। मगर हम चाहते हैं कि जिला परिषद् में वे कतई न बैठें। मैंने यह भी देखा कि कलेक्टर के अधिकार दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और इस बिल में भी इसकी व्यवस्था है कि वह वोट तो नहीं करेगा मगर अपना प्रभाव वह मेम्बरों पर डाल सकता है। वह विचार-विनिमय में भाग लेगा। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को ऐड्रेस करेगा, और भी उसके बहुत से अधिकार हैं जो इस बिल में मौजूद हैं। मुझ ध्यान है कि जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन पर बोलते समय माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने कहा था कि अगर जिलाधीश के अधिकारों में कमी की जाय तो ज्यादा अच्छा होगा और मैं उसी राय का हूं। जिलाधीश के अधिकार आज दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिलाधीश का जितना भी अधिकार वह इस बिल में कम कर सकें उतना ही अच्छा होगा।

अब रह गई नियोजन समिति की बात जिसमें माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जिला परिषद् के सब सदस्य उसमें बैठेंगे। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जिला परिषद् के सब सदस्यों के इसमें रहने की आवश्यकता नहीं है। अगर उस नियोजन समिति को इस विधेयक से अलग कर दें तो ज्यादा अच्छा है और अगर रखना ही चाहते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि सारे सदस्यों को नियोजन समिति में रखने से कोई लाभ नहीं होगा। उसमें से पांच-सात या उनकी कार्य-कारिणी आकर बैठ जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

एक बात मुझको इसमें और खटकी कि अध्यक्षों के जो अधिकार हैं उनको कम किया गया है। समझा गया था कि आठ वर्ष के बाद जब जमाना बदल गया है तो अध्यक्षों के अधिकार और बढ़ेंगे। परन्तु इस बिल में हम देखते हैं कि उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया गया है। पहली बात तो यह है कि दो सौ रुपया या उससे अधिक की नियुक्ति तो पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा या और कोई कमेटी सरकार बनावेगी उसके द्वारा होगी। ५० रुपये तक की नियुक्ति डिपार्टमेन्ट का हेड करेगा। इसके बाद कार्याधिकारी जो है वह भी ऐसी ही नियुक्ति करेगा। मैं निवेदन करूंगा कि कौन-सी पोस्ट ऐसी बच रहती है जिसकी नियुक्ति अध्यक्ष करे सिवाय इसके कि पानी पांडे या स्वीपर वह नियुक्त कर सकता है। उसके अधिकार इस कदर जकड़ दिये गए हैं, सीमित कर दिये गए हैं कि उसका गला घोंट दिया गया है। मैं निवेदन करूंगा कि अध्यक्ष के अधिकार, उसकी मर्यादा के अनुकूल होना चाहिये तो उसके अधिकार इतने सीमित नहीं होने चाहिए। एक बात का जिक्र इसमें और आया हुआ है कि जिला परिषद् को अधिकार होगा कि वह ग्राम सभाओं से कांट्रीब्यूशन मांगेगा। इसको देख कर मुझको बड़ा आश्चर्य हुआ। आज हमारी ग्राम सभाओं की हालत बहुत खराब है और सारा काम हमको ग्राम पंचायतों में करना

है। हम तो यह सोच रहे थे कि इस बिल में इस बात का समावेश होगा कि जिला परिषदें ग्राम पंचायतों को ५०० रु० या १,००० रुपया कंट्रीब्यूट करेंगी जिससे वे एक ग्राम से दूसरे ग्राम को जाने वाली सड़कों, पुलियों और पुलों को बना सकेंगी, लेकिन जब हम देखते हैं तो इसमें उसके विपरीत बात कही गई है तो बड़ा आश्चर्य हुआ।

टैक्सेशन के बारे में जो २०० रुपये की आमदनी रखी गयी है, मैं निवेदन करूंगा कि २०० रुपया साल की आमदनी से कम में कोई मनुष्य अपना जीवन-निर्वाह नहीं कर सकता। इस वास्ते २०० रुपये की आमदनी को बढ़ाकर ज्यादा रखना पड़ेगा। अगर २०० रुपये की आमदनी रखी गई तो मैं समझता हूं कि कोई व्यक्ति बचेगा नहीं जिसके ऊपर टैक्स न लगे। इसलिये इस २०० रुपये की परिधि को बढ़ाकर ऊपर करना पड़ेगा।

इन शब्दों के साथ, श्रीमन्, मैं इस प्रस्ताव का कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय, समर्थन करता हूं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर....

श्री टीकाराम पुजारी--अध्यक्ष महोदय, मुझे समय नहीं मिला....

श्री अध्यक्ष--आपको समय मिल चुका है। अब आप बैठ जायं।

श्री टीकाराम पुजारी--जो यहां पर किसानों की हमदर्दी रखते हैं उनको यहां पर मौका नहीं दिया गया....

श्री अध्यक्ष--अब आप कृपया बैठ जायं। आप इसी तरह से बिना पूछे भाषण करते हैं।

श्री टीकाराम पुजारी--श्रीमन्, यहां पर हमको किसानों के सम्बन्ध में कुछ भी कहने का मौका नहीं मिलता....

श्री अध्यक्ष--अब आप कृपा कर बैठ जायं, नहीं तो मुझे कुछ कार्यवाही करनी पड़ेगी।

श्री टीकाराम पुजारी--यहां पर किसानों के साथ सहानुभूति रखने वाला कोई भी आदमी नहीं है। सब अपनी-अपनी बात कहते हैं।

श्री अध्यक्ष--मैं कहता हूं कि आप अपना स्थान ग्रहण करें नहीं तो मुझे आपको सदन छोड़ने के लिये कहना पड़ेगा।

श्री टीकाराम पुजारी--श्रीमन्, जिस तरह का जुल्म किसानों पर होता है उनकी कोई भी सुनने वाला नहीं है। मेरा यह कहना है कि....

श्री अध्यक्ष--अब मैं कहता हूं कि आपको सदन छोड़ देना चाहिये।

श्री टीकाराम पुजारी--मैं सदन का परित्याग करता हूं और यहां से दिन भर के लिये जा रहा हूं। यहां पर जो किसानों के नुमाइन्दे हैं वे किसानों के हक पर नहीं लड़ते हैं। यह अपने हक पर लड़ते हैं जो हमको खत्म कर देंगे और इस देश को भी खत्म कर देंगे।

(श्री टीकाराम पुजारी सदन छोड़कर चले गये।)

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--इस विधेयक पर विवाद का आज चौथा दिन है और अभी तक इसके विविध अंगों पर और विविध पहलुओं पर काफी कहा जा चुका है। इसलिये मैं कोई आमनीबस भाषण नहीं दूंगा और सभी प्रमुख महत्वपूर्ण विषयों को भी

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

चर्चा नहीं करूंगा । मैं इस सम्मानित सदन का और माननीय मंत्री महोदय का ध्यान केवल एक या दो बातों की ओर केन्द्रित करूंगा । अपनी बात कहने से पहले मैं माननीय मंत्री महोदय को इस बात के लिये बधाई और धन्यवाद देता हूं कि इस विधेयक की प्रतीक्षा प्रदेश की जनता १० वर्ष से कर रही थी, इसको आखिर राम राम करते पेश तो किया । माननीय अध्यक्ष महोदय, विधेयक के प्रारम्भ में ही कहा गया है कि "यह इष्टकर है कि शासकीय कृत्यों के विकेन्द्रीकरण के सिद्धांत को आगे बढ़ाने तथा जिलों" इत्यादि, इत्यादि । विकेन्द्रीकरण के सिद्धांत के संबंध में ही मुझे चर्चा करनी है । इस विधेयक में जो शब्द हैं वे भी विचित्र हैं, शायद माननीय मंत्री जी के नामानुसार ही वे रखे गये हैं। क्योंकि आगे बढ़ाने के माने हिन्दी भाषा में दो प्रकार के होते हैं । एक तो आगे बढ़ाना यानी उसकी आगे और प्रगति की जाय और दूसरे यह कि रास्ते से हटा दिया जाय, उस चीज को रहने मत दो . . . .

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---जैसे दूकान बढ़ाते हैं !

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---तो मैं समझता हूं कि यह शब्द 'आगे बढ़ाना' उसी मुहावरे के माने में रखा गया है । क्योंकि यद्यपि उद्देश्य यह बतलाया गया है कि हमें विकेन्द्रीकरण को आगे बढ़ाना है, उसका विस्तार करना है, लेकिन बिल में जो बातें हैं उनसे विकेन्द्रीकरण का सिद्धान्त आगे नहीं बढ़ता, वह उद्देश्य पूरा नहीं होता, बल्कि पीछे हटता है ।

विकेन्द्रीकरण की जो कल्पना राष्ट्र के बापू महात्मा गांधी और संत विनोबा ने की है वह यह है कि सच्चा विकेन्द्रीकरण वह है कि जिसमें समस्त सत्ता गांव के हाथ में हो । यह संत विनोबा का प्रिय वाक्य है कि सत्ता दिल्ली या लखनऊ में नहीं होनी चाहिये, बल्कि सत्ता गांव में होनी चाहिये और महात्मा गांधी ने यह कहा था कि सत्ता का केन्द्र गांव हो, सत्ता का स्रोत गांव हो और गांव की ओर से, नीचे से कुछ सत्ता जिले को दी जाय, जिले की ओर से कुछ सत्ता प्रदेश को दी जाय और प्रदेश की ओर से कुछ सत्ता केन्द्र को दी जाय । यह चौखम्भा राज्य नीचे से चले, न कि ऊपर से नीचे की ओर, जैसा कि आजकल चल रहा है । विकेन्द्रीकरण के सही माने यही हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि यह विकेन्द्रीकरण की चरम सीमा है । यह भी मानता हूं कि इस आदर्श पर हम एक दिन में नहीं पहुंच सकते, लेकिन मैं इतना अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि जितना हम कर सकते हैं समस्त कठिनाइयों के होते हुए उतना हमें अवश्य करना चाहिये और वह इसमें नहीं किया गया है ।

अभी-अभी माननीय बेचनराम जी गुप्त ने यह कहा कि इस विधेयक में अध्यक्ष के अधिकार कम किये गये । मैं निवेदन करूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से कि अपने स्वभाव के अनुसार मैं इस प्रकार का आरोप नहीं लगाना चाहता । यह भी नहीं कहूंगा कि कमी की गयी है लेकिन मैं यह निश्चित रूप से कहूंगा कि जितने अधिकार अध्यक्ष को मिलने चाहिये थे उतने अधिकार अध्यक्ष को नहीं दिये गये हैं। विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त का पालन नहीं किया गया है और उसका कारण स्पष्ट है । विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त तो तभी लागू होते जब कम से कम उसको अधिक अधिकार दिये गये होते । यह मैं मान लूं कि प्रदेश की हालत ऐसी है कि अभी पंचायतों को पूरे विकेन्द्रीकरण के अधिकार नहीं दिये जा सकते, मैं यह भी मान लूं कि जिला स्तर पर भी यही हालत है, लेकिन यह बात मेरी समझ में नहीं आती है कि जिले में १० लाख, १५ लाख की आबादी में कोई एक दो व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा कि जो इतना योग्य और ईमानदार हो कि जिसको वे प्रशासकीय अधिकार, जिनकी इसमें चर्चा की गयी है, न दिये जा सकें । यह बात न होना एक ऐसी बात है कि जिसका किसी प्रकार भी समर्थन नहीं किया जा सकता । माननीय मंत्री महोदय को याद होगा कि जब नगरपालिका विधेयक आया था तब भी मैंने यही बात कही थी और नगरपालिका विधेयक की प्रवर समिति में अपनी जो विमति टिप्पणी दी थी, उसमें लिखा

था कि नगरपालिकाओं में कम से कम यह होना चाहिये कि उसके अध्यक्ष का चुनाव सीधा हो और उसको कार्यपालिका के सब अधिकार (तमाम एक्जीक्यूटिव पावर्स) दिये जायं, उसको एक्जीक्यूटिव राइट्स हों जैसे कि अमरीका के प्रेसीडेंट को होते हैं। मैंने यह दलील भी दी थी कि जब संविधान बना था तो लोकसभा में इस बात पर बहस भी हुई थी कि हम अमरीकन प्रेसीडेंशियल टाइप का विधान अपने यहां लागू करें अथवा ब्रिटिश माडल का, और हमारा विधान इन दोनों की खिचड़ी, सम्मिश्रण, है लेकिन जो दलील दी गयी थी अमरीकन ढंग के संविधान को लागू करने के विरुद्ध उसमें यह कहा गया था कि हमारा देश इतना बड़ा है कि इतने बड़े पैमाने पर हम इसको लागू नहीं कर सकते। मेरी दलील उस वक्त यह थी कि देश के स्तर पर नहीं कर सकते, मान लूं प्रदेश के स्तर पर नहीं कर सकते, मान लूं, लेकिन पांच बड़े-बड़े शहरों के स्तर पर भी नहीं कर सकते, यह मानना मेरे लिए बहुत कठिन है और मैंने अपने विमति–पत्र में यह दलील दी थी और मुझे खुशी है कि आज से कुछ दिन पहले माननीय विरोधी दल के नेता ने भी यही दलील दी थी। उदाहरण के लिए जिस इलाहाबाद से भारत के प्रधान मंत्री मिल सकते हैं क्या वहां की महानगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए एक आदमी नहीं मिल सकता जो अच्छा प्रशासन चला सके? लखनऊ से माननीय मंत्री मिल सकते हैं, बनारस से मुख्यमंत्री और गृहमंत्री मिल सकते हैं, और शहरों से भी मंत्री मिल सकते हैं तो क्या उनमें कोई अध्यक्ष नहीं मिलेगा जिसको प्रशासकीय अधिकार दिये जा सकें? यह दलील मेरी समझ में नहीं आयी। आज भी मैं कहता हूं कि हमारा देश एक विशाल देश है। लोग यह भी कहते हैं कि यह देश नहीं है, महाद्वीप है, सबकांटिनेंट है और हमारे देश में हमारा प्रदेश जनसंख्या में सबसे बड़ा प्रदेश है। इसकी जनसंख्या पूरे इंगलैन्ड से ज्यादा है, जरमनी से ज्यादा है। तो यह मान लेना कि हमारे प्रदेश में नगर के स्तर पर भी हमें ऐसा व्यक्ति नहीं मिल सकता, जिले के स्तर पर भी ऐसा नहीं मिल सकता, यह कोई दलील नहीं है। हमारी जनसंख्या की यह हालत है कि जबतक गोरखपुर और देवरिया इन दो जिलों का अलग-अलग बटवारा नहीं हुआ था, दोनों जिले मिले हुए थे तो पूरे आयरलैंड से ज्यादा की जनसंख्या हमारे उस जिले में रहती थी। तो हमारे जिलों के बराबर तो दूसरे देश, हैं, लेकिन यहां यह माना जाय कि इतनी बड़ी आबादी की ३०–३० लाख और ४०–४० लाख की आबादी की जनसंख्या में एक अध्यक्ष ऐसा नहीं मिल सकता जिसको हम पूरे अधिकार सौंप सकें तो यह मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं।

अध्यक्षों के बारे में मेरा यह सुझाव है कि वैसा करें जैसा कि अमेरिका में होता है, बल्कि चुनाव इंडायरेक्ट भी करें तब भी मुझे ज्यादा एतराज नहीं होगा। मैं डायरेक्ट, इंडायरेक्ट की बहस में इसलिये नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि मुझे दो बातें मालूम हैं। १९२० और १९२६ के बीच में कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के कहने पर देशबन्धु दास और डा० भगवानदास ने एक विधान बनाकर दिया था कि स्वराज्य आने पर इसको लागू करेंगे। उसमें उन्होंने सत्ता गांव से ही शुरू की थी और इंडायरेक्ट एलेक्शन रखा था। गांव पंचायत का चुनाव सीधा हो मैं अब भी कहता हूं कि आप सीक्रेट बैलेट (गुप्त वोट) से वहां का चुनाव कराइये, उसके बाद अगर इंडारेक्ट करा दें तो मुझे एतराज नहीं होगा, लेकिन इस पर मुझे एतराज है कि अध्यक्ष का चुनाव मेम्बर करें। वह तो इंडायरेक्ट का इंडायरेक्ट हो गया और अध्यक्ष को कोई अधिकार भी नहीं रहा जो उसको मिलना चाहिये। इस विधेयक में विकेन्द्रीकरण की जो बात कही जाती है, मैं उसको सही नहीं मानता, जितना विकेन्द्रीकरण होना चाहिये उतना नहीं है। मानी हुई बात है कि अगर अध्यक्ष को पूरे अधिकार दे दिये जायं तो प्रशासन अच्छी तरह चल सकता है। मैं उस दलील को मानता हूं कि अगर अध्यक्ष के चुनाव डायरेक्ट होता है और सदस्य दूसरी पार्टी के आवें और संघर्ष हो तो क्या होगा? मैं उसका भी उपाय बता सकता हूं। इस संबंध में अमेरिका का उदाहरण मौजूद है। वहां चेक्स और काउंटर-चेक्स दोनों मौजूद हैं, रोक और प्रतिरोक दोनों मौजूद हैं। राष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाकर उसको हटाया नहीं

[श्री श्री कृष्णदत्त पालीवाल]

जा सकता, लेकिन बजट के पास करने का अधिकार सदस्यों को है और अगर वह बजट पास न करें तो काफी नियंत्रण हो जाता है। इसी तरह से अपने देश की परिस्थिति को देखते हुए प्रवर समिति में इसमें इस प्रकार के चेक अध्यक्ष के सम्बन्ध में रखे जा सकते हैं, लेकिन अधिकार अध्यक्ष को पूरे मिलने चाहिए। मैं तो यहां तक जाऊंगा कि प्रादेशिक सरकार अधिकार ले सकती है कि अगर कोई अध्यक्ष, जो डाइरेक्ट एलेक्शन से चुना हुआ हो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करे तो हाईकोर्ट के जजेज के स्तर का कोई आदमी या ट्रायबुनल द्वारा उस शिकायत की जांच करें। और अगर जांच करके वे कहें कि उसने अधिकारों का दुरुपयोग किया है तो उसके हटाने का अधिकार प्रादेशिक सरकार को हो, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी लकिन यह बंधन और चेक्स लगाकर भी अगर अधिकार न सौंपे जायं तो यह सर्वथा अनुचित है।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि अधिकारियों के अधिकार बहुत बढ़ा दिये गये हैं। इस विधेयक के अन्त में दे दिया गया है "उत्तर प्रदेश जिला परिषद विधेयक, १९५९ में दिये हुए ऐसे उपबन्धों के सम्बन्ध में ज्ञाप जिनमें विधायन अधिकारों का प्रतिनिधान अन्तर्ग्रस्त है।" इसमें अगर देखा जाय तो कई तो बहुत ही खतरनाक हैं। इन उपबन्धों के होते हुये जिला परिषद के अधिकार और अध्यक्ष और सदस्य के अधिकार बिलकुल निगेटिव कर दिये जाते हैं, कुछ रह नहीं जाता है, कुछ माने नहीं होते हैं। मैं २० वर्ष तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का सदस्य रहा हूं और १० वर्ष तक उसका चेयरमैन रहा हूं और उसके बाद चेयरमैनी से इस्तीफा इसलिये दे दिया क्योंकि मुझे मंत्रिमंडल में शामिल होना पड़ा और मैंने नैतिक कर्त्तव्य समझा कि उसके कार्यभार से मुक्त हो जाऊं। मुझे इस बात का अनुभव है कि अधिकारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग जनतंन्त्र की हत्या करने के लिये और बोर्ड को अपना गुलाम बनाने के लिये किस तरह करते हैं। इसके मैं दो-तीन उदाहरण ही २०-३० में से देना चाहता हूं। एक तो छोटी सी बात यह हुई कि हमार जिला बोर्ड में ६ हजार रुपया एलोपैथिक दवाओं के लिये प्रोवाइडेड था बजट में उसमें से मैंने २ हजार रुपया देशी दवाओं के लिये दिलवा दिया। इस पर कमिश्नर ने एतराज किया कि आप यह नहीं कर सकते। उन्होंने यहां तक कहा कि मैं अंग्रेजी दवाओं का विरोध करता हूं। उन्होंने कहा कि यह तो जो रुपया मिला है वह सरकार ने आपको एलोपैथिक दवाओं के लिये दिया है, इसमें आप कम नहीं कर सकते। मैंने कमिश्नर महोदय को बताया कि सरकार ने केवल ३ हजार रुपया दिया है एलोपैथिक दवाओं के लिये और बाकी ३ हजार रुपया बोर्ड का है और उसमें तो मैंने मेहरबानी की कि हमने एलोपैथिक दवाओं के लिये एक हजार रुपया और ज्यादा दे दिया है, और हमने जो कमी की है वह बोर्ड के रुपयों में से की है। तो इस तरह से अधिकारी हस्तक्षेप करते हैं।

इसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण बहुत ही विचित्र है। मेरे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के एक सीनियर वाइस-चैयरमैन ने कुछ ऐसे बुरे काम किये जिसकी शिकायत मुझे सरकार से करनी पड़ी थी। उन कामों में तीन प्रकार के काम थे जैसा कि मैंने उनको श्रेणियों में बांटा। एक तो यह था कि बोर्ड के बजट में चेयरमैन के टूर, यात्रा के भत्ते के लिये एक हजार रुपये का प्रबन्ध था। उन सज्जन ने चेयरमैन के बजाय यात्रा का भत्ता स्वयं लिया। जब चेयरमैन अनुपस्थित रहते थे उस दिन आकर के वह कह देते थे कि मैंने दौरा कर दिया और दौरा करने पर उनके दौरे के बिल के भुगतान में एक हजार रुपया तीन महीने में ही खत्म हो गया और अगले महीने में कमिश्नर ने एक हजार रुपया और दे दिया और वह भी खत्म हो गया। तो जब मैं चेयरमैन हुआ तो मेरे सामने वह बात लाई गई कि इन बातों पर कमिश्नर एतराज करते हैं। तो मैंने आदेश दे दिया कि चेयरमैन के टूर में, यात्रा के भत्ते में किसी एक महीने में ५० रुपये से ज्यादा या दूसरे साल में ५०० रुपये से ज्यादा नहीं खर्च होना चाहिये। मेरा मतलब यह था कि चेयरमैन की अनुपस्थिति में अगर सीनियर वाइस चेयरमैन यात्रा भत्ता लेना चाहेगा तो ५० रुपये से ज्यादा

नहीं ले सकेगा। इसके पहले के जो बिल थे उसमें इस प्रकार था कि एक दिन वह दो बजे बोर्ड में आये और इससे पहले उन्होंने एक इक्के पर बैठकर इतनी यात्रा कर ली कि उनके इक्के का बिल उन्यासी रुपये हो गया। और आगरे में दो मवेशीखाने ऐसे थे जहां शिकार का अच्छा मौका था वहां उसके इमरजेंसी विजिट साल में आठ-आठ होते थे और भत्ते का बिल बोर्ड से लिया जाता था। जिन स्थानों का निरीक्षण दिखाया गया था वहां पर कोई ऐंट्री नहीं थी कि वहां कोई निरीक्षण हुआ या नहीं हुआ।

एक बात और उन्होंने यह की कि जो कार्यवाही थी उस कार्यवाही के बीच में यह बढ़ा दिया कि कुएं के निर्माण का सवाल सर्वसम्मति से पास हुआ। न तो यह चीज़ एजेन्डे में थी और न चेयरमैन की कार्यवाही में। फिर उस कुएं का ठेका अपने गांव के ही एक आदमी को दे दिया गया। ओवरसियर से कहलवा दिया गया कि कुआं बन गया और कुआं बना नहीं। फिर कुएं के बनने का चेक अपने पिता को दे दिया।

दूसरी बात यह की कि उनके भाई के ऊपर बोर्ड का ७ हजार रुपया चाहिये था। जब बोर्ड की उस पर डिग्री हो गयी तो वाइस चेयरमैन की हैसियत से वह मुकदमा मुल्तवी करा दिया। इस बीच में भाई साहब ने संपत्ति को अलहदा कर दिया। इस प्रकार से बोर्ड का ७ हजार रुपया मारा गया। इस शिकायत की जांच के लिये खासतौर से दो आई० सी० एस० मुकर्रर हुए। इसके साथ-साथ ज़बानी उनको आदेश दिये गये कि हो सके तो चेयरमैन के खिलाफ कोई चीज़ निकालें। साल, डेढ़ साल तक कोशिश की गयी और अन्त में उन दोनों आई० सी० एस० ने यह कहा कि चार्जेज़ ठीक हैं। अन्त में जब गवर्नर महोदय ने आरोपों को भी सत्य पाया तो लिखा कि चूंकि पहला अपराध है इसलिये चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है इस प्रकार गवर्नर तक से अधिकारियों के अधिकार की रक्षा के लिये ऐसा किया जाता रहा है।

(इस समय १ बजकर १८ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठात्री, श्रीमती चन्द्रावती पीठासीन हुईं।)

दूसरा उदाहरण तो ऐसा है जिसकी आप को जानकारी है। कुछ अध्यापिकायें थीं जिनका वेतन १५-१५ वर्ष से नहीं बढ़ा था। बोर्ड ने उनकी दो रुपया माहवारी वेतन वृद्धि कर दी बोर्ड ने उनकी, उसका १५० रुपया माहवार होता था लेकिन वह भी उनको दिया गया। इस प्रकार से एक आदमी को ठेका दिया गया लेकिन उसको नामंजूर कर दिया गया। बोर्ड के पुनर्विचार के लिये दो बार गया लेकिन फिर भी सर्वसम्मति से पास हो गया तो नाराज हो कर बजट को ही नामंजूर कर दिया और बोर्ड के काम को ही ठप्प कर दिया। उन्हीं दिनों आप इस विभाग के इन्चार्ज थे, आपने बीच में पड़ कर उसको मंजूर कराया, तब काम आगे बढ़ा। इस प्रकार अधिकारीगण अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं और जनता के प्रतिनिधियों के अधिकारों की हत्या की जाती है। इसीलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहता हूं कि वे इस विकेन्द्रीकरण के प्रश्न पर फिर से विचार करें। अगर आप कोई अधिकार सदस्यों और बोर्ड को नहीं देना चाहते हैं तो कम से कम जनता द्वारा चुने हुए सीधे चेयरमैन को तो दीजिये और अधिकारियों को जो अधिकार दे रखे हैं, उनको कम करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं यह मानने के लिये कतई तैयार नहीं हूं कि आप विकेन्द्रीकरण के मानों में आगे बढ़े हैं बल्कि इसके विपरीत यह मानूंगा कि आप इस माने में आगे अवश्य बढ़े हैं कि जितने अधिकार उनको पहले दिये हुए थे, उनको भी आपने समाप्त कर दिया है।

श्री रामकृष्ण सारस्वत (जला फर्रुखाबाद)---माननीया अधिष्ठात्री जी, आपने मुझे जो इस जिला परिषद् विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। इस विधेयक पर जहां तक जो बातें कही गयी हैं, उस पर बहुत साथियों ने कई दिनों से अपने विचार प्रकट किये हैं और उसकी धाराओं पर तरह-तरह के मत व्यक्त करने की चेष्टा की है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री जी ने दस वर्ष की प्रतीक्षा के बाद इस विधेयक को सदन में रखने की कृपा की है। इस विधेयक में जो चीजें रखी गयी हैं अगर उसकी

[श्री रामकृष्ण सारस्वत]

एक-एक धारा पर विचार किया जाय तो सम्भव है उसमें बहुत-सी ऐसी त्रुटियां निकलें जिससे शायद इस विधेयक में फिर बहुत समय लग जाय। मैं इतना अवश्य कहूंगा कि इस विधेयक के लिये जो एक सुझाव प्रवर समिति में भेजने के लिये आया है, विधेयक तो प्रवर समिति में जायगा ही, लेकिन इसकी कुछ धाराओं का उल्लेख मैं आपकी जानकारी के लिये करना चाहता हूं।

इस विधेयक के पेज २५ पर धारा ५७ में जहां जिला परिषद् के अध्यक्ष के हटाये जाने के सम्बन्ध में लिखा गया है वहां पर यह स्पष्ट कह दिया गया है कि अध्यक्ष जिला परिषद् जब सरकार की ओर से हटाया जायगा तो उस अध्यक्ष को कहीं भी किसी न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं होगा। माननीय मंत्री महोदय से मेरा यह निवेदन है कि अगर अध्यक्ष को सरकार द्वारा हटाया जाय, अपने स्थान से, तो अध्यक्ष को न्यायालय में अपनी अपील करने के लिये पूरा अवसर देने की कृपा करने की ओर भी ध्यान दें।

धारा ४८ में इस बात की ओर संकेत है कि जहां पर सदस्यों में बराबर-बराबर मत प्राप्त किये हों, वहां निर्वाचन अधिकारी को यह अधिकार दिया गया है कि उसका कोई निर्णय "जहां तक उक्त अभ्यर्थियों का निर्णय उपर्युक्त प्रश्न का समाधान करता हो, याचिका के प्रयोजनों के लिये प्रभावी होगा"। मैं चाहता हूं कि निर्वाचन अधिकारी का कोई निर्णय शब्द या पर्ची द्वारा गोली डाल कर निर्णय करने की बात है उसे हटा कर उसके स्थान पर यह कर दिया जाय कि उसका चुनाव पुनः कराया जाय।

इसी प्रकार धारा ७७ में जिला परिषद् की बैठक को जिलाधीश द्वारा किसी सम्बद्ध विषय पर सम्बोधित करने के सम्बन्ध में लिखा गया है कि जिलाधीश किसी भी सम्बद्ध विषय पर आकर सम्बोधन कर सकता है। मैं चाहता हूं कि जिलाधीश को जहां पर परिषद् के पूर्ण अधिकार दिये गये हैं वहां पर जिलाधीश अध्यक्ष की स्वीकृति लेने के पश्चात् ही जिला परिषद् में आकर सम्बोधन करने का प्रयास करे। ऐसा न हो कि जब जिलाधीश का मन चाहे, जब जिलाधीश की इच्छा जिस विषय पर सम्बोधन करने की हो, उस विषय पर आकर वे परिषद् में अपने सम्बोधन द्वारा दबाव डालें और अपने मन की बात पास कराने की कोशिश करें। आज सब जानते हैं कि जिलाधीश जिले में अपना एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थान रखता है जिससे प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक व्यक्ति का एक बहुत बड़ा सम्बन्ध है। अगर इतनी छूट जिलाधीश को परिषद् में भी दे दी गयी कि वह अपने मनमाने ढंग से परिषद् में आकर सम्बोधन करे तो कभी भी न्याय-संगत या सही निर्णय परिषद् नहीं ले सकेगा, क्योंकि एक प्रकार से जिलाधीश का प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से दबाव अवश्य पड़ जाता है।

मुझे एक निवेदन और करना है। मैंने माननीय मंत्री महोदय से और इससे पहले जो इस विभाग के मंत्री थे उनसे अनेकों बार निवेदन किया कि जहां तक नगरपालिकाओं की बात है वह तो अभी समय नहीं है लेकिन जिला परिषद् के जो पदाधिकारी हैं उनका तबादला प्रादेशिक स्तर पर किया जाय। अध्याय ४ की धारा १०६ में 'क' से लेकर 'च' तक जितने अधिकारी हैं उनका तबादला प्रदेशीय स्तर पर होना चाहिये। मेरा निवेदन है कि यह जिला परिषद् के जितने भी अधिकारीगण हैं उनमें अधिकतर इस बात का प्रयास करते हैं कि अपने-अपने दल बनायें और अपने ढंग के तमाम चीजों को पास करायें, ऐसी चेष्टा उनकी रहती है। जिस तरह से धारा १०८ की उपधारा (३) में दंड व्यवस्था प्रदेशीय स्तर पर देने का उल्लेख है, इसी तरह से इन अधिकारियों के तबादले भी प्रदेशीय स्तर पर ही होने चाहिये।

अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि धारा १५९ में जो स्थानिक कर, प्रत्येक जोत पर ३१ नये पैसे का प्रति एकड़ के हिसाब से लगाने को लिखा है यह उचित नहीं है। इसके लिये मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि यह कर बहुत अधिक है, इसके स्थान पर यदि १९ नये पैसे प्रति एकड़ का कर लगाया जाय तो ठीक होगा।

इसी तरह से सम्पत्ति कर लगाने की बात है और २०० रुपए की वार्षिक आय पर भी कर लगने का उल्लेख है। चाहे शहर की बात हो या देहात की बात हो २०० रुपया वार्षिक आय का कोई महत्व नहीं है, आजकल इस आय का कोई मूल्य नहीं है। अभी तक तो जिला बोर्डों में ६०० से अधिक की आय पर टैक्स की व्यवस्था थी। ऐसे समय में अगर २०० रुपए पर टैक्स की व्यवस्था होती है तो यह चीज नितांत अनुचित और निरर्थक-सी मालूम होती है। मेरा निवेदन है कि कम से कम १,००० रुपया से ऊपर प्रति वर्ष आय पर सम्पत्ति कर लगाने की कृपा मंत्री जी करें। पहले जब ६०० रुपए से ऊपर पर सम्पत्ति कर लगता था उस हिसाब से भी आज की स्थिति में १,००० की आय पर सम्पत्ति कर लगाना बड़ी चीज न होगी।

धारा २३७ में इस बात का जिक्र है कि आग्नेय अस्त्र व आतिशबाजी आदि से आग लगने की जहां सम्भावना हो वहां पर २० रुपए के दंड का प्राविजन है, ऐसे जुर्म के लिये २० रुपए का दंड कोई माने नहीं रखता। किसी की गलती से अगर किसी के मकान, खलिहान में आग लग जाय तो उससे केवल २० रुपया दंड लेकर छोड़ना मुनासिब न होगा, यह दंड कम से कम १०० रुपए का होना चाहिये ताकि हर व्यक्ति आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग सावधानी से करे।

जनतंत्र की बहुत दोहाई दी जाती है, परन्तु जब यह बात सामने आती है तो देखने में आता है कि जनतंत्र का नाम केवल शाब्दिक रूप में ही रह गया है। जिसे देखो वह पूरे अधिकार प्राप्त करने की फिक्र में है और चेष्टा भी पूरे अधिकार पाने की की जाती है। कार्य अधिकारी को इतने अधिकार दिये हैं कि जिनका कोई पारावार नहीं। मैं एक शब्द में माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इन कार्य अधिकारियों के अधिकारों की ओर पुनः एक बार गम्भीरतापूर्वक विचार करें, इसमें विकेन्द्रीकरण का अंश तक नहीं है। इस बिल के द्वारा तो केन्द्रीयकरण करने का स्पष्ट प्रयास किया गया है, जिलाधीश के महान अधिकार और जो अध्यक्ष जनतांत्रिक रूप से चुनकर आये उसके अधिकार इतने कम। कार्याधिकारी के अधिकार इतने हैं कि वह जो चाहे सो करे। इस ओर भी मंत्री महोदय जरा अच्छी तरह से विचार करने की कृपा करें। विधेयक और उसकी धाराओं के संबंध में तो मैंने थोड़ा-सा संकेत मंत्री महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया। लेकिन मेरा यह निश्चित मत है कि अब जिला परिषद् विधेयक का कोई महत्व नहीं है। मेरी राय में जिला परिषद् की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैंने एक बार इसी प्रकार से जिला परिषद् के न होने की बात इसी आदरणीय सदन में कही थी।

जिला बोर्ड के पास केवल तीन बड़े काम होते हैं, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य। बड़ी सड़कें पी० डब्ल्यू० डी० के और छोटी सड़कें पंचायत की एक यूनिट बनाकर उनके सुपुर्द कर दी जायं। शिक्षा को शिक्षा विभाग के सुपुर्द कर दिया जाय। एक ही काम के लिये दोहरा-तेहरा खर्च होता है, वह ठीक नहीं है। स्वास्थ्य की बात रही। उसके लिये स्वास्थ्य विभाग में सिविल सर्जन हैं। उसमें आवश्यकतानुसार एक दो अधिकारी बढ़ाकर स्वास्थ्य का काम उनके सुपुर्द कर दिया जाय। फिर और कोई विशेष काम जिला परिषद् के लिये बाकी नहीं रह जाता। मेरा तो यही सुझाव था। लेकिन न मालूम क्यों माननीय मुख्य मंत्री महोदय के आश्वासन देने के बाद भी इसकी आवश्यकता अनुभव की और यह विधेयक लाया गया। खैर, मैंने अपने विचार आपके सामने रखे। अन्त में मैं इतना अवश्य निवेदन करूंगा कि जो थोड़े से संशोधन मैंने प्रस्तुत किये हैं उन पर मंत्री महोदय अवश्य गम्भीरता से विचार करने की कृपा करें। मैं, श्रीमन्, आपका फिर आभारी हूं कि आपने बोलने का मौका दिया।

श्री भोखालाल (जिला उन्नाव)---माननीया अधिष्ठात्री महोदया, आज जिस अधिनियम पर हम दो-तीन रोज से इस सदन में विचार कर रहे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है। इस अधिनियम की प्रतीक्षा इस प्रदेश की जनता को बहुत दिनों से थी। पिछले बहुत समय से इस सदन में और इस सदन के बाहर भी बार-बार इस बात का आश्वासन दिया गया कि हम जिला बोर्ड के स्थान पर ऐसा एक क्रान्तिकारी बिल ला रहे हैं जिसके जरिये से नये समाज की रचना होगी, समाज नये तरीके से बनाया जाएगा, गांव का और जिले का

[श्री भीखा लाल]

प्रशासन नये ढंग से किया जाएगा जिसमें सत्ता का विकेन्द्रीकरण होगा, अधिकारियों के अधिकार कुछ कम किये जाएंगे और ऐसी संस्थाओं के अधिकार बढ़ाये जाएंगे। मुझे याद है माननीय स्वायत्त शासन मंत्री ने भी इस तरह का आश्वासन इस सदन में बार-बार दिया है। मुझे यह भी स्मरण है कि सन् ५७ का जब बजट पेश हो रहा था, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हम खुद परेशान हैं कि जिला अधिकारियों के अधिकार बहुत बढ़ते जा रहे हैं लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि जिस समय जिला काउन्सिल का बिल लाएंगे उसमें जिला अधिकारियों के अधिकार कम करके जिला परिषद् को देंगे। आज जब बिल आता है तो हम देखते हैं कि हमारी यह आशा बिलकुल निराशा में परिणत हो जाती है। अगर हम इस अधिनियम का पुराने जिला बोर्ड अधिनियम से मुकाबला करें तो कोई फर्क नहीं पायेंगे। केवल २, १ मामूली तब्दीलियां की गई हैं, जो नहीं के बराबर हैं। अगर कोई तब्दीली हमारी समझ में आती है तो यह है कि गांव सभाओं को हमने जिला परिषदों के मातहत दे दिया है। मैं आगे बताऊंगा कि जिला परिषदों को जो विकास के कार्य दे दिये हैं वे भी किस प्रकार नहीं के बराबर हैं। इसके विपरीत अगर हम देखें इस अधिनियम के द्वारा पुराने ऐक्ट से हम कितने पीछे गये हैं तो पायेंगे कि जो दुहाई दी जा रही थी उनको असली जामा नहीं पहनाया गया है। हम देखते हैं जिला अधिकारियों का परिषद् के ऊपर पहले से भी अधिक मजबूत हाथ रखा गया है, उनके अधिकार बढ़ा दिये गये हैं। जिस प्रकार जिला बोर्ड पर अधिकारियों का अधिकार था बिलकुल वही इसमें भी है।

दूसरे जो डायरेक्ट इलेक्शन की प्रणाली थी उसको तब्दील करके इनडायरेक्ट चुनाव में परिणत कर दिया है। मान्यवर, मैं सबसे पहले आपके जरिये सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करूंगा कि जिला परिषद् के ऊपर जिला अधिकारियों का हस्तक्षेप किस तरह से बढ़ाया गया है? चैप्टर १० में धारा २६९ से २७७ धारायें जिला परिषद् के लिये बहुत ही घातक हैं। इन धाराओं के जरिये से जिलाधिकारी को, प्रेसक्राइब्ड अथारिटी को और राज्य सरकार को बहुत ही अधिकार दे दिये हैं। जिलाधिकारी जब चाहे जिला परिषद् के कागजात का मुआयना कर सकता है, मीटिंग बुला सकता है और जिस तरह से चाहे हस्तक्षेप कर सकता है। अगर जिला परिषद् कोई काम नहीं करना चाहती है लेकिन अगर जिलाधिकारी चाहे तो अपने हुक्म से उसको करा सकता है और जिला परिषद् को उसके पैसे की अदायगी के लिये बाध्य कर सकता है, जिला परिषद् की निधि से पेमेन्ट करा सकता है। हम देखते हैं जिला परिषद् और उसकी निधि पर जिलाधिकारियों का अधिकार बढ़ा दिया गया है।

विकास का कार्य जिला परिषद् के हाथ में दिया गया है। लेकिन एक धारा इसमें है जिसके मातहत प्रेसक्राइब्ड अथारिटी अगर किसी समय चाहे तो उसके किसी भी प्रस्ताव को अपने हुक्म से रोक सकता है। कहा जाता है विकास के काम परिषद् को दे दिये। अगर कोई विकास का काम परिषद् अपनाती है, कोई प्रस्ताव पास करती है तो प्रेसक्राइब्ड अथारिटी अगर उस काम को न चाहे तो उसको रोक सकता है। इस तरह से परिषद् को विकास के काम देने के नाम पर आगे बढ़ने के बजाय पीछे खींच रहे हैं। इसलिये मैं मंत्री जी का ध्यान इन धाराओं की तरफ खासतौर से दिलाना चाहता हूं और चाहता हूं कि प्रवर समिति में जब इस पर विचार हो तो इसका ध्यान रखा जाय।

इसी के साथ धारा २७५ और २७६ जिनके जरिये से राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है जिस समय भी वह चाहे अगर उसके पास कुछ ऐसी शिकायतें मौजूद हों और उसको विश्वास हो गया हो कि जिला परिषद् ठीक तरह से काम नहीं कर रही है तो उसको सुपरसीड या डिजाल्व कर सकती है। मैं कहना चाहता हूं सुपरसीड करने की प्रथा बहुत पुरानी है और यह अंग्रेजों ने अपनायी थी क्योंकि उनको अपने अधिकारियों और नौकरों पर ज्यादा विश्वास था, जनता के द्वारा चुनी हुई संस्थाओं पर ज्यादा विश्वास नहीं था। इस वजह से उन्होंने सुपरसीड करने का यह प्राविजन किया था क्योंकि वे चाहते थे कि अपने अधिकारियों के जरिये उनका

प्रशासन चलाया जाय, क्योंकि उनमें उनका विश्वास था। अब हम जनतंत्र की दुहाई दें, समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की दुहाई दें और विकेन्द्रीयकरण की दुहाई दें और फिर भी सरकार लोकल गवर्नमेंट और स्थानीय निकायों के अधिकार छीनना चाहती है। हमने देखा है कि सुपरसीड इंस्टीट्यूशंस का क्या हश्र हुआ है। लखनऊ व कानपुर म्युनिसिपैलिटीज ६-७ साल से सुपरसीड पड़ी है लेकिन चुनाव नहीं किये गये। सरकार सुपरसेशन का प्राविजन रख कर अपने हाथ में ज्यादा अधिकार लेना चाहती है ताकि जब चाहे बोर्ड को खत्म कर दे, इसलिये मैं इस धारा का सख्त विरोध करता हूं और चाहता हूं कि मंत्री जी इस पर विचार करें।

दूसरी बात यह है कि सरकार बोर्ड को डिजाल्व कर सकती है अगर यदि सरकार के पास कुछ ऐसी शिकायतें और आरोप पहुंचते हैं तो क्या कार्यवाही होगी, लेकिन उसमें यह भी दिया हुआ है कि डिजाल्व करने का सरकार जब आदेश देगी तो समय नियत किया जायगा और उसके अन्दर बोर्ड का फिर से चुनाव होगा। लेकिन हमने डिजाल्व करने की सूरत में तथा सुपरसीड करने की सूरत में देखा है कि किस तरह से उस समय को बढ़ाया जाता है और उस समय को लिंगर आन किया जाता है, जिससे चुनाव की नौबत नहीं आती। इसलिये डिजाल्व करने की सूरत में यह अवश्य होना चाहिये कि समय नियत होना चाहिये और वह समय ६ महीने से ज्यादा न होना चाहिये जैसा कि संविधान में विधान सभाओं के लिये है और ६ महीने से अधिक समय किसी सूरत में भी न बढ़ाया जाय, क्योंकि उस तरह से हम जनतंत्र की हत्या करेंगे यदि हम उसे बढ़ाते चले जायंगे।

इसमें विकास के काम भी दिये गये हैं। विकास के कामों को करने के लिये एक नियोजन समिति के निर्माण का भी इसमें प्राविजन किया गया है। इस नियोजन समिति में परिषद् के सदस्य और विधान मंडल के सदस्य तथा पार्लियामेंट के सदस्य होंगे। इस नियोजन समिति का काम प्लान के मुताबिक जिले का प्लान बनाना होगा और उसमें प्राथमिकता फिक्स करना होगा और फिर अपनी रिपोर्ट जिला परिषद् को दे और नियोजन समिति यह भी देखेगी कि जिला परिषद् उस काम को किस ढंग से कर रही है। यह कमेटी ३ महीने में एक बार मिलेगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस कमेटी में और विधान परिषद् में कोई अन्तर नहीं है। केवल १०-१२ सदस्य और विधान मंडल के सदस्य मिला दिये जाते हैं--इतनी बड़ी दूसरी कमेटी की क्या आवश्यकता थी। कोई जरूरत नहीं है कि दो ऐसी कमेटियां बनाई जाय। इस कमेटी का काम सिर्फ यह होगा कि वह अपने सुझाव जिला परिषद् के पास भेजे, परिषद् के काम की देख-रेख करे और उसमें जो कमी देखे उसकी रिपोर्ट परिषद् के पास भेज दे। यह काम तो कार्य समिति को भी सौंपा जा सकता था और इसकी कोई जरूरत नहीं थी कि एक नियोजन समिति बनाई जाय। अभी २-३ रोज बहस के दौरान में इस बात पर भी जोर दिया गया कि परिषद् में विधान मंडल के सदस्यों का होना भी जरूरी है। लेकिन सरकार व मंत्री जी इसके माफिक नहीं हैं। लेकिन यह जो नियोजन समिति बनाई गयी है इससे यह आभास होता है कि उनको सांत्वना देने के लिये और उनको इसमें लाने के लिये नियोजन समिति बना दी गयी है।

जहां तक विधान मंडल के सदस्यों का इसमें सम्मिलित होने का सम्बन्ध है मैं इसका हामी नहीं हूं कि वे शामिल किये जायं। लेकिन जैसा कि माननीय गोविन्द सहाय जी ने कल कहा था कि अगर सरकारी अधिकारी इस परिषद् में रखे जाते हैं तो विधान मंडल के सदस्यों का भी होना बहुत आवश्यक है। मैं उनके विचारों से पूर्ण रूपेण सहमत हूं और मैं भी उसी बात पर जोर देता हूं। लेकिन अगर जिला अधिकारी उसमें नहीं रखे जाते हैं तो मैं उनके भी नहीं रखने के पक्ष में हूं और मैं इसका सख्त विरोध करता हूं कि परिषद् में जिले के अधिकारी रखे जायं। और इस तरह से जिला अधिकारियों को परिषद् में रखना मैं उचित नहीं समझता हूं। मंत्री जी कहेंगे कि विकास के कार्यों में जरूरी होता है कि अधिकारियों से रिपोर्ट लें। मैं इस सम्बन्ध में यही कहना चाहता हूं कि अगर परिषद् किसी समय जरूरी समझे कि किसी अधिकारी को किसी

[श्री भीखालाल]

विषय पर प्रकाश डालने की जरूरत है तो उसको एक स्पेशल इनविटेशन से बुला सकती है, उनको एक मेम्बर की हैसियत देना उचित नहीं है ।

मान्यवर, इसमें प्राविजन किया गया है कि गांव सभायें पूरे तौर से परिषदों के मातहत होंगी । परिषदें गाव सभाओं का चुनाव करायेंगी, उनका गठन करेंगी, पंचों और सरपंचों का चुनाव करायेंगी, अदालती पंचों का चुनाव करायेंगी, उनके कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगी, उनके बजट की देख-रेख करेंगी, इत्यादि इत्यादि । साथ ही साथ यह भी अधिकार दे दिया गया है कि गांव सभा की जो आय होगी उसमें से अगर जिला परिषद् चाहे तो सालाना कुछ हिस्सा ले सकती है । दूसरी तरफ एक टैक्स जिला परिषद् भी लगायेगी, जो लोकल रेट के नाम से मशहूर है और वह लोकल रेट ३१ नये पैसे फी एकड़ तक होगा । उधर गांव सभाओं का टैक्स १ आना प्रति एकड़ तक होगा । इसके माने यह होंगे गांव सभाओं द्वारा लगाये गये टैक्स में से भी जिला परिषद् ले और खुद जिला परिषद् भी टैक्स लगाये । तो मैं एक ही संस्था द्वारा दो तरह के टैक्सों की प्रणाली का विरोध करता हूं । जैसा कि इस सदन में बार-बार सुझाव आया कि गांव-सभाओं के काम को चलाने के लिये उनको फंड की जरूरत है, गांव सभाओं के काम चलाने के लिये आवश्यकता इस बात की है कि मालगुजारी का एक चौथाई गांव सभाओं को दिया जाय और उसमें से कुछ हिस्सा हर परिषद् को मुकर्रर कर दिया जाय तो हमें आपत्ति नहीं है ।

इसके साथ-साथ गांव सभाओं का पूरे तौर से नियंत्रण परिषद् के मातहत दे दिया गया है । एक दूसरी संस्था भी गांव में मौजूद है जिसको गांव समाज कहते हैं । उसका नियंत्रण किस तरह होगा, उसका संगठन किस तरह से बनेगा, गांव समाज के मातहत जो काम किये जायेंगे, जैसे कृषि सुधार सम्बन्धी कार्यों की देख रेख, वगैरह, उनका परिषद् के कामों में कोई जिक्र नहीं किया गया है । पिछले साल इसी सदन में जब जमींदारी एबालिशन ऐंड लैंड रेफार्म्स ऐक्ट संशोधित हुआ था तो गांव समाज की जितनी आमदनी है वह अलहदा कर दी गयी है । पेश्तर यह फंड एक में था । कुछ विकास के कार्य ऐसे हैं जैसे पंचायत घर बनवाना, स्कूल बनवाना, यह तो गांव पंचायत करेगी लेकिन कृषि संबंधी जितने विकास के कार्य हैं वे गांव समाज करेगा । आपने कृषि विकास के कार्यों के लिये रखा है कि जिला परिषद् करेंगे, लेकिन गांव समाज को आपने अटैच नहीं किया है । इसलिये मेरा सुझाव है कि जैसे गांव पंचायतों को जिला परिषद् के मातहत किया गया है उसी तरह से गांव सभाओं को भी जिला परिषद् के नियंत्रण में होना चाहिये ताकि कृषि की उन्नति के सम्बन्ध में हम जो कुछ करना चाहते हैं जिला परिषद् के जरिये से उसकी देख रेख कर सकें ।

जहां तक विकेन्द्रीयकरण का सवाल आता है, गांव सभाओं को उनके मातहत किया गया है लेकिन गांव सभाओं पर दोहरा प्रशासन लादा गया है । गांव पंचायत के अधिकारियों का अधिकार वैसे ही है दूसरे जिला परिषद् का अधिकार उनके ऊपर और हो गया है । इसलिये मैं समझता हूं कि पंचायत अधिकारियों के जो अधिकार गांव सभाओं के ऊपर हैं उनको हटा दिया जाय और सीधे सीधे गांव सभायें जिला परिषद् के मातहत कर दी जायं । मान्यवर, अभी मैंने लोकल रेट्स के बाबत कहा है । दूसरा हैसियत टैक्स लगाया जायगा । बहुत से माननीय सदस्यों ने इसका जिक्र किया है । मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो लिमिट रखी गई है कि २०० रुपये सालाना की आमदनी वालों के ऊपर यह टैक्स लगाया जायगा, इसके माने हुये कि १६ रुपये माहवार जिसकी आमदनी होगी उस पर यह टैक्स लग जायगा । जिस मजदूर की मजदूरी ८ आने या ९ आने रोज है और जिसके दो तीन बच्चे और बीवी है उसके ऊपर भी टैक्स यह लगेगा । अगर समाजवादी समाज की रचना में सरकार के सिद्धान्त से यह ठीक है तब तो मैं इस समझदारी के लिये कुछ नहीं कहता हूं । लेकिन मैं इसका विरोध करता हूं और चाहता हूं कि इसकी सीमा २०० रुपये से बढ़ाकर २ हजार रुपये कर दी जाय क्योंकि आजकल महंगाई

क जमाने में १५०–२०० रुपये माहवार की आमदनी जिसके तीन चार बाल बच्चे हों कुछ भी नहीं है । इसलिये मेरा मत है कि इस सीमा को बढ़ा दिया जाय । मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे और सेलेक्ट कमेटी में भी इसके ऊपर विचार होगा ।

इसके साथ ही साथ टैक्सेज के संबंध में एक और विचित्र धारा है । पिछले ऐक्ट में भी थी और इसमें भी रख दी गयी है । अगर कोई शख्स इससे संतुष्ट नहीं होता है कि उसके ऊपर जो टैक्स लगाया गया है वह ठीक है तो वह अपील कर सकता है । लेकिन इसमें एक प्राविजन है कि पहले उसे अपना टैक्स अदा करना होगा । इसके बाद वह अपील कर सकता है । मान्यवर, किसी विधान में ऐसा प्राविजन नहीं है । चाहे दीवानी का मामला हो, चाहे फौजदारी का मामला हो, अपील करने पर स्टे आर्डर मिल जाता है । लेकिन इसके लिये कोई स्टे आर्डर नहीं मिल सकता है । पहले अदा करना होगा तब अपील की जा सकती है । इसलिये मैं इस धारा का विरोध करता हूं ।

मान्यवर, धारा ५६, ५७ के जरिये से अध्यक्ष को हटाने का प्राविजन किया गया है । इसम लिखा है कि अगर कोई अध्यक्ष पिछले टर्म में या इस टर्म में अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करता है तो उसको हटा दिया जायगा । मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि अगर किसी ने खराब काम किया है तो जनता स्वयं उसको चुनकर नहीं भेजेगी । इसलिये सरकार को इस तरह की अड़चन लगाने की जरूरत नहीं है । पिछले ऐक्ट में था कि अगर कोई अध्यक्ष निरंतर अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करता है तो हटाया जा सकता है । लेकिन इसमें यह निरन्तर शब्द भी हटा दिया गया है और यह रख दिया गया है पिछले टर्म में भी खराब काम हो तो हटाया जा सकता है । मान्यवर, हटाये जाने के बाद वह किसी अदालत में अपील भी नहीं कर सकता है । इसलिये मैं चाहता हूं कि सदन इस पर विचार करे और सिलेक्ट कमेटी में भी इस पर विचार हो कि यदि कोई अध्यक्ष हटाया जाता है तो उसको अपना मामला अदालत में ले जाने का अधिकार होना चाहिये और इसका प्राविजन होना चाहिये । इन शब्दों के साथ जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं ।

श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी गढ़वाल)––अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपकी आभारी हूं कि इस विधेयक पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । इस विधेयक पर तीन चार दिन से वाद-विवाद चल रहा है । इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजे जाने का जो प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसका समर्थन करती हूं ।

मैं ऐसे जिले से आई हूं कि जहां पहले कभी जिला बोर्ड था ही नहीं । इसलिये हम लोग उसके गुण और दोषों को अच्छी तरह से नहीं जान सकते हैं । शायद इसीलिये १५९ धारा के अनुसार इस विधेयक में यह कहा गया है कि रामपुर और टेहरी-गढ़वाल जिले में जो कर लगाये जायंगे वे सीमित अधिकार से लगाये जायेंगे जब तक सरकारी विज्ञप्ति जारी न हो वे आरोपित न किये जायंगे । लेकिन इन जिलों में जो मालगुजारी उगाही जायगी उसका कुछ अंश इन्हें मिलेगा जिससे उन लोगों को कुछ राहत मिल सकेगी ।

योजना आयोग ने बड़ा अच्छा कार्य किया है । उसने कोशिश की है कि ग्रामीण जनता और सरकारी कर्मचारी मिल कर एक देहाती प्रांगण में सहयोग से काम करें । मेहता कमेटी जो बनायी गयी थी उसने हमारे सामने एक ऐसा दस्तावेज रखा है जो कि उच्च कोटि के दस्तावेजों में माना जाता है । उन्होंने ढूंढ़ कर विद्वान लोगों को उस कमेटी में रखा था । उस कमेटी की जो सिफारिश है उसकी आधारशिला लेकर यह विधेयक बनाया गया है ।

श्रीमती जी, पहले के जो जिला बोर्ड थे उनके कार्य सीमित थे । लेकिन अब जो जिला परिषद् बनायी जा रही है उसके कर्त्तव्य और अधिकार बड़े व्यापक हैं । पहले के जिला बोर्डों की आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी । अब जो जिला परिषद् बन रही है उसको अगर जिला सरकार कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी । इसमें हमारे ग्रामीणों को बहुत अच्छे अधिकार मिल रहे

[श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन]

हैं । लेकिन मैं यह कहूंगी कि सदस्यों का चुनाव बालिग मताधिकार से होना चाहिये । इससे वह अच्छी तरह से काम कर सकेंगे । जो लोग पंचायत द्वारा चुन कर आयेंगे वे ठीक कार्य नहीं कर सकेंगे क्योंकि पैसे वाले लोग अपने पैसे के बल पर नाजायज फल उठा लेंगे । ऐसी स्थिति में,गरीब जनता सही आदमियों को नहीं चुन सकती । इसलिये परिषद् के सदस्यों का चुनाव बालिग मताधिकार से हो ।

दूसरा मेरा कहना यह है कि जिला परिषद् के अध्यक्ष का चुनाव भी जनता द्वारा हो क्योंकि जनता द्वारा चुनाव होने से उसका सरकारी कर्मचारियों से काफी ऊंचा स्तर होगा । और वह एक दृढ़ता, निर्भयता और निडरता से काम कर सकेगा । सरकार को जो निलम्बन का इस्तेमाल करना पड़ता है वह भी नहीं करना पड़ेगा ।

मेरा तो आज यही कहना है कि हमारे यहां आज जो भी कार्य हो रहे हैं और योजना आयोग ने विशेष करके जो कार्य करके दिखाये हैं वह सराहनीय कार्य हैं । उनसे हमारे गांवों के अन्दर, गांवों के नजदीक शासन शक्ति केन्द्र बनने जा रहे हैं । इससे अब गांव के लोग इसमें ज्यादा दिलचस्पी ले सकेंगे । गांवों से दूर राज्य-सत्ता रहने पर वह उसमें सम्मिलित नहीं हो पाते । अब वह उसमें भाग ले सकेंगे और अपना इन्तजाम भी कर सकेंगे । मुझे इस चीज की बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि गांवों की ओर राज्य-सत्ता धीरे-धीरे बढ़ रही है जिसमें कि गांवों के लोग अच्छी तरह से उसमें भाग ले सकें और अपने विचारों को रख सकेंगे ।

दूसरी बात यह कि यह जो जिला परिषद् बनने जा रहे हैं इसमें सभी चीजें आ गयी हैं । दो चार विषयों को छोड़कर जैसे माल, पुलिस, सार्वजनिक निर्माण, और सामान्य प्रशासन, इनको छोड़कर बाकी सारे विषय जिला परिषद् के मातहत हो जायेंगे । यह एक तरह से द्वितीय श्रेणी की सरकार चलायी जायगी जो कि गांवों की सरकार कही जायगी । तीन दिन से आज इस जिला परिषद् विधेयक के ऊपर चर्चा चल रही है, उसके बहुत से अवगुण कहे गये हैं लेकिन पहले के जिला परिषद् और अब के जिला परिषद् के सम्बन्ध में मैंने जो थोड़े से विचार प्रकट किये हैं उनसे पता चल गया होगा कि अब के जिला परिषदों के द्वारा बहुत सारे कार्य होने वाले हैं । मुझे तो स्वायत शासन मंत्री जी से यह कहना है कि जो सुझाव मैंने दिये हैं उनके ऊपर अच्छी तरह से विचार करके और उन पर मनन करके उनको आप विधेयक में शामिल कर दें । ज्यादा कुछ न कह कर के मैं यही कहूंगी कि यह विधेयक जो आज चौथे रोज चल रहा है, जिस पर आज वोटिंग होने वाली है, मैं उसका हृदय से स्वागत करती हूं । जयहिन्द ।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—अधिष्ठात्री महोदया, आज जो यह बिल हमारे सामने प्रस्तुत है उस पर तीन रोज से वाद विवाद चल रहा है । मैंने तीनों दिन जहां तक मुझसे हो सका है बहुत ध्यान से इसको सुनने की कोशिश की है । मैं इस निश्चय पर पहुंचा कि केवल किसी बात के कहने से उसका पूरा नहीं पड़ा करता । मैं इस निश्चय पर भी पहुंचा कि सरकार वायदे कुछ करती रहे परन्तु सरकार की कथनी और करनी में अगर अन्तर रहेगा तो केवल कथनी से कार्य पूरा होने वाला नहीं है । सरकार को कर्म भी वैसे ही करने पड़ेंगे जैसे कि वह वायदे करती है । बहुत बार इसी माननीय सदन में सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसाइटी की बात हमने सुनी, लेकिन इस बिल को देखकर के ग्रामीण जनता जो कि बहुत आशा लगाये हुए थी कि बारह साल के बाद सरकार न मालूम क्या देने जा रही है, उसको निराशा हुई । उसने देखा कि जो बहुत से अधिकार हमारे विधान ने हमको दिये हुए थे सरकार ने यह चेष्टा की है कि उसके वह अधिकार भी न रहने दिये जायं । हमको अधिकार दिया गया है कि हर बालिग राय देकर चुनाव करेगा । जब विधान सभा का चुनाव, लोक सभा का चुनाव सबमें डायरेक्ट एलेक्शन की प्रणाली है तो मैं नहीं समझता कि ऐसे कौन से कारण थे कि हमारी सरकार ने विवश होकर के इन्डायरेक्ट एलेक्शन इसमें किये । मैं तो समझता हूं कि यहां पर कहा गया कि हमारे पास पैसा नहीं है । पैसे की कमी की बात कही गयी । मैं बड़े स्पष्ट तरीके से कहना

चाहता हूं कि यदि हमारे पास पैसे की कमी है लेकिन अगर हमको प्रजातंत्र की जड़ें मजबूत करना है और यहां पर सुचारु रूप से प्रजातंत्र को लाना है और इस मुल्क को प्रजातंत्र के ढंग पर शासित करने की बात है तो थोड़ा बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाय इसकी चिन्ता हमें नहीं करनी चाहिये । इसलिये मुझे इस बात को बिल में देखकर बड़ी तकलीफ हुई और मुझे नहीं बल्कि खासतौर पर उन गांव वालों को जिनको आशा लगी हुई थी कि न मालूम मंत्री जी उनको क्या चीज देंगे और किस किस्म का नया शासन वहां पर हुआ करेगा, उनको भी निराशा हुई । इतना ही नहीं बल्कि माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में अगस्त मास का जिक्र किया और यह कहा कि अगस्त का महीना बहुत महत्वपूर्ण है । इसी महीने के अन्दर हमको आजादी मिली और इसी महीने में बहुत बढ़िया चीज गांव में रहने वालों को हम देने जा रहे हैं लेकिन मुझे दुख है और मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि वह बढ़िया चीज क्या है ? "बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, चीरा तो एक कतरे खूं न निकला ।" पहले से बहुत शोर था कि न मालूम क्या चीज दी जायगी, लेकिन हमको निराशा हुई, इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं । इतना ही नहीं बल्कि सब से बड़ी तकलीफ इस बिल में देखकर मुझे यह हुई कि इसमें पुलिस को कतई भी जिला परिषद् के मातहत नहीं किया गया । यह एक ऐसा महत्वपूर्ण सवाल है जिसके बारे में लेखकों की बड़ी साफ राय है । एक प्रोफेसर Loyd Parry है मैं उनकी दो लाइन पढ़ देना चाहता हूं । उन्होंने यह कहा है कि :—

"The main concern of local government in its conception was the administration of justice and the preservation of the peace."

अधिष्ठात्री महोदया, जिस काम के लिये हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की स्थापना करते हैं उसका सबसे पहला कर्त्तव्य यह है कि पुलिस उसके मातहत हो । मैं एक चीनी लेखक की दो लाइन और पढ़ दूं । उन्होंने कहा है कि :—

"The attainment of Local Self-Government depends on the completion of the census, the survey of the land, the organization of an efficient police force."

जब हर देश के लेखकों की ऐसी राय है तो मैं नहीं समझता कि माननीय मंत्री जी को क्या आपत्ति थी कि पुलिस जिला परिषद् के मातहत हो, लेकिन यह तो बड़ी आसानी के साथ कहा जा सकता है और बड़ा जोर देकर कहा जाता है कि वहां पर अच्छे आदमी नहीं मिलते । जब हमारे प्रदेश में, हमारे देश में, हर किस्म के आदमी हुकूमत करने के लिये मिल सकते हैं, जब मंत्री जी मेरठ से आ सकते हैं तो क्या मेरठ में और आदमी ऐसे नहीं मिल सकते जो जिले के अन्दर पुलिस का काम चला सकें । मेरा विश्वास है और मैं अपने नेता की बात दोहराता हूं कि जब तक हमारे प्रदेश में पुलिस की सत्ता जिला परिषदों को नहीं दी जायगी तब तक यहां पर राहजनी बढ़ेगी, डकैती बढ़ेगी, कत्ल बढ़ेंगे और सुरक्षा की कोई ठीक व्यवस्था नहीं हो सकेगी । अगर आप इस बिल को देखें तो इसमें इतने अफसरों को रखा गया है कि मालूम यह होता है कि अफसरों की कोई पंचायत वहां पर बैठा करेगी जो उस जिले का इन्तजाम करेगी । मैं यह समझता हूं कि यह कोई गलत बात नहीं है । हो सकता है कि कुछ अफसरों की जरूरत हो लेकिन हर महकमें के आदमी वहां पर होंगे । उनका कुछ अधिकार होगा चाहे राय का अधिकार न हो लेकिन जो नये आदमी चुन कर आयेंगे उनके ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा इसको सोचने के लिये मैं मंत्री जी पर छोड़ता हूं ।

अध्यक्ष का बड़े जोर से जिक्र किया गया । वहां पर उसकी उम्र का पैमाना रखा गया है ३५ साल का । विधान सभा के लिये आवश्यकता नहीं, लोक सभा के लिये आवश्यकता नहीं ३५ वर्ष की लेकिन वहां पर ३५ वर्ष है । मैं बड़ी नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं आपके द्वारा मंत्री जी से कि इस ३५ साल की आयु को घटाकर आप २१ साल करने की कृपा करें । वैसे तो हर बालिग को अधिकार होना चाहिये कि वह अध्यक्ष बन सके, हमें उससे आशा करनी चाहिये कि वह अपना काम सुचारु रूप से चला सकेगा, लेकिन मैं २१ साल की बात उचित समझता

[श्री जगवीरसिंह]

हूं। २१ साल का व्यक्ति सुचारुरूप से काम चला सकेगा उससे हम यह आशा कर सकते हैं। उसका माइन्ड डेवलप्ड होता है और इसलिये ३५ साल की यह आयु बहुत अनुचित रखी गयी है।

इस बिल की धारा ५७ में सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह अध्यक्ष को हटा सकती है। मैं इस सिलसिले में एक जिक्र कर देना चाहता हूं। ऐसा अधिकार जब सरकार के पास होता है तो सरकार उसका दुरुपयोग किया करती है और मेरा चार्ज है किया ही नहीं करती, बल्कि उसने दुरुपयोग किया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब विचित्रनारायण जी जैसे मंत्री के जमाने में उसका दुरुपयोग हो सकता है तो कौन ऐसा मंत्री होगा कि जो उस अधिकार का दुरुपयोग न करे। आपके मंत्रित्वकाल में बुलन्दशहर जिले के अध्यक्ष को आपने ससपेंड किया और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दो रोज के बाद ही उनको फिर बहाल कर दिया। न मालूम कैसी उनसे गलती हुई कि उनको आपने सस्पेंड भी किया और बहाल भी कर दिया। तो इसलिये मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जब आपके जमाने में इस प्रकार से दुरुपयोग हो सकता है तो दूसरों के जमाने में क्या हाल होगा।

इतना ही नहीं, यहां बड़ा जोर दिया गया है और कुछ सदस्यों ने बड़े जोर से कहा है कि विधायकों और लोक सभा के सदस्यों का भी उसमें होना आवश्यक है। मेरा इसमें निश्चित मत है कि लेजिस्लेटर्स को जिला परिषद् में नहीं होना चाहिये। देखने में आया है कि जब लेजिस्लेटर्स वहां जाकर बैठते हैं तो शायद उनकी यहां बोल कर भूख नहीं मिटती और इसलिये वहां नये आने वाले सदस्यों को वह बोलने का अवसर नहीं देते और कुल समय स्वयं खा जाते हैं। न मालूम बोलने को वह प्रचार का रूप देते हैं या क्या, और इसलिये मेरी निश्चित राय है कि लेजिस्लेटर्स की वहां जगह नहीं होनी चाहिये। न उनको वहां बैठने का अधिकार हो, न राय देने का। आपको जनता ने वहां के लिये नहीं चुना है, उसने आपको जिले में बैठने का मौका नहीं दिया है। आप वहां जाने और बैठने के लिये यहां से इस्तीफा दीजिये और जाइये। ऐसा नहीं होना चाहिये कि चित भी मेरी, पट भी मेरी, यहां भी रहेंगे और वहां भी रहेंगे, ऐसा उचित नहीं।

जितने चुने हुए सदस्य हैं उनके १० फीसदी के कोआप्शन की बात इस विधेयक में रखी गयी है। अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कोआप्शन का क्लाज इसमें रखना उचित नहीं है। हमको इस क्लाज को निकाल देना चाहिये। अगर कोआप्शन होना चाहिये था तो कुछ ऐसा होना चाहिये था कि जिसके जरिये ऐग्रीकल्चर के आदमी होते, कुछ और विभागों के विशेषज्ञ होते। अगर उनका कोआप्शन होता तब तो बात मेरी समझ में आती। जनरल चुनाव में जो हार चुके हैं उनको कोआप्ट नहीं किया जायगा, यह बात समझ में आती है। जनता को जब किसी पर विश्वास न हो तो उनको कोआप्ट नहीं करना चाहिये और इस तरह की बात लाने के लिये मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं।

जहां तक डिसक्वालिफिकेशन की बात है उस सिलसिले में धारा ९ की उपधारा २ में रखा है कि अगर दो बार से ज्यादा एलेक्ट हो गया तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। मैं इस बात को ठीक समझ सकता हूं अगर यह बात केवल अध्यक्ष के लिये लागू कर दी जाय। लेकिन किसी मेम्बर के लिये यह उचित न होगा। मंत्री जी बार-बार चुन कर यहां आ सकते हैं, हमारे जिले से शर्मा जी तीन बार चुन कर यहां आ सकते हैं, लोग २० और २५ साल तक यहां बने रह सकते हैं। लोक सभा में भी आपको कई बार चुने जाने का अधिकार है, वहां पर कोई प्रतिबन्ध इस प्रकार का न हो तो मैं नहीं समझ पाया कि जिले में काम करने वाले उन सोशल वर्कर्स पर जिनको जनता का विश्वास प्राप्त है, कोई प्रतिबन्ध लगाया जाय, यह कहां तक न्याय संगत है। एक माननीय सदस्य गर्दन हिला रहे हैं, मालूम होता है कि वह मेरी राय से सहमत हैं। तो जिसको जनता का विश्वास प्राप्त हो वह अवश्य परिषद् में रखा जाना चाहिए।

अधिष्ठात्री महोदया, इसमें कमेटी का बहुत जोर है। धारा ८४ के अनुसार जिला परिषद् क्या होगी, कमेटीज का एक जोड़ होगी। न मालूम कितनी कमेटीज बना दी गयी हैं। उनमें से कुछ जरूरी हो सकती हैं, तो मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि जो दो चार जरूरी कमेटीज हैं वह हों, एग्रीकल्चर हो, ऐनिमल हस्बैंडरी हो, ऐसी आवश्यक कमेटियां रहें और अनावश्यक जो हों उनको निकाल दिया जाय।

जहां तक सेक्शंस १०९ से ११२ तक का सवाल है उनमें मैं केवल यह कह सकता हूं कि हमारे अधिकारों पर बहुत जोर से कुठाराघात किया गया है उनको दबाये जाने की चेष्टा की गयी है। इसमें सब से आनन्द की बात यह देखी कि जहां पर फाइनेन्स का सवाल है उसमें रखा गया है कि ३१ नये पैसे एक एकड़ पर टैक्स लगाया जायगा, जिला परिषद् लगायेगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह सोचे बैठी है कि गांव वालों के पास बहुत पैसे हैं, वह बहुत मालदार हैं? मैंने इस सदन में आंकड़े पेश किये थे, इस समय मेरे पास नहीं हैं, लेकिन पिछले १० वर्षों के अन्दर इस सरकार के कार्यकाल में हमारे गांवों के लोगों की आमदनी घटी है। एक तरफ आमदनी घटे, खाने को न हो, बच्चों को पहिनने के लिए कपड़ा न हो, पढ़ने के लिये इन्तजाम न हो, सरकार ऐलान करती है कि सातवीं की फीस माफ करेंगे और छठी की फीस लगाने की बात भी सोचने लगे और उस पर गांव के रहने वालों के ऊपर नया टैक्स लगा दे, मैं कम से कम इससे सहमत नहीं। लगाया किस तरीके से जायगा? हमारे प्रान्त में ४ करोड़ १० लाख एकड़ जमीन ऐसी है जो जोती और बोयी जाती है और २५ लाख एकड़ ऐसी है जो बागात हैं। अगर इस सब पर हिसाब लगाया जाय तो गांव में रहने वाले किसान मजदूर से हमारी सरकार डेढ़ करोड़ रुपया ज्यादा वसूल करेगी। आज गांव में रहने वाले इस हालत में नहीं हैं कि टैक्स दे सकें तो मंत्री जी एक बहुत बड़ा दुर्व्यवहार, एक जुल्म और अत्याचार इस प्रकार करेंगे। पहले के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जमाने में १ पैसा फी रुपया का हिसाब था, उसको शामिल कर दिया गया है हमारे लगान में जो हम से, गांव वालों से वसूल किया जाता है। जिसके माने यह हैं कि हमको दूना टैक्स डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के नाम पर पड़ गया और आज जो डेढ़ करोड़ आकर पड़ता है, पहले सवा करोड़ पड़ता था, तो २५ लाख रुपया ज्यादा देना पड़ेगा। तो यह अत्याचार किस लिए गांव वालों पर किया जा रहा है? मैं पालीवाल जी की एक बात को दोहरा दूं तो मैं यह जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूं कि गांव में रहने वालों के प्रति यह सरकार अच्छा नहीं बल्कि सौतेला व्यवहार कर रही है। मैं मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मंत्री जी के जमाने में किसी सेक्शन का दुरुपयोग या गलत इस्तेमाल नहीं होगा। यह हो सकता है कि मंत्री जी ने किसी अध्यक्ष को बर्खास्त कर दिया और उन पर उनके दोस्तों का दबाव पड़ा या पार्टी का दबाव पड़ा तो दो रोज के बाद मंत्री जी ने उसको बहाल कर दिया। यह तो हर मनुष्य के साथ कमजोरी रहती है लेकिन मंत्री जी के जमाने में गांव वालों के साथ अत्याचार होगा या नये टैक्स लगाये जायंगे, ऐसा मुझे विश्वास नहीं।

अन्त में मैं ज्यादा समय न लेकर कुछ बातें कहना चाहता हूं कि जब यह बिल प्रवर समिति के सामने जाय तो मंत्री जी इसमें दो-तीन बातें जरूर करने की चेष्टा करेंगे। एक तो चुनाव को डाइरेक्ट करायें, हर एक बालिग को अधिकार देंगे और गांव वालों के ऊपर जो टैक्स लगाने की बात है उसको जरूर समाप्त कर देंगे। इसके अतिरिक्त एक क्लाज और बढ़ाया जाय जिसके जरिये पुलिस जिला परिषदों के मातहत हो सके। इससे हमारे प्रदेश की जनता महसूस कर सकेगी कि उसको एक चीज मिली है, काम करने का अवसर मिला है और हमारे प्रदेश में जो बढ़ती हुई अनैतिकता है, बढ़ते हुए अपराध हैं वह कम किये जा सकें। इसके साथ ही जो प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री मिहरबानसिंह (जिला इटावा)—माननीय अधिष्ठात्री महोदया, सदन में हमारे माननीय मंत्री जी ने जो जिला परिषद् का विधेयक प्रस्तुत किया है उस पर ४ दिनों से बहस चल रही है

[श्री मिहरबानसिंह]

माननीय मंत्री जी इस विधेयक को पेश करके जिलों के अन्दर ग्रामीण राज्य स्थापित करने की चेष्टा कर रहे हैं। आज से सवा वर्ष पहले जब कि हमारे प्रदेश में जिला बोर्ड कार्य करते थे उसका ऐक्ट सन् १९२२ में बना था और उसी आधार पर जिला बोर्ड कार्य करते थे। वह ऐक्ट उस समय बना था जब कि देश में ब्रिटिश हुकूमत थी। उस ऐक्ट के अन्दर जो कमियां थीं, जो खामियां थीं, जिस तरह से काम चलता था वह उसमें कार्य करने वाले सभी व्यक्ति जानते हैं। मैं भी अपने जिले में सौभाग्य से १० वर्ष जिला बोर्ड का सदस्य रहा हूं और उस समय में उसके अन्दर जो कमियां थीं, जिस तरह से कार्य होता था, उसका मुझे अच्छी तरह से अनुभव है। पिछले समय में हमारे मंत्री जी ने जिला बोर्ड के ऐक्ट में संशोधन इसी सदन में पेश किये गये थे उस समय मुझे थोड़ी-सी निराशा हुई थी कि इस छोटे से संशोधन को पेश करके हम अपने देश का क्या हित करेंगे। उस संशोधन पर बहस चली और वह सरकार की तरफ से पेश हुआ था और पास हुआ, चुनाव होने को था लेकिन इसके बाद हमारी सरकार के विचार में यह बात आई कि जो ऐक्ट ब्रिटिश हुकूमत के जमाने का है जिसमें विशेष अधिकार नहीं दिये गये हैं उससे जनता का ज्यादा हित नहीं होगा और वह संशोधन सहित ऐक्ट तो वहीं रहा और १ अप्रैल, १९५८ को जिला बोर्ड भंग कर दिये गये और ऐसी घोषणा की गई कि अब जिलों के अन्दर जिला परिषदें बनेंगी, उनका नया बिल होगा, अब नया विधेयक बनाया जायगा जिससे कि जनता को काफी अधिकार प्राप्त होंगे। तब मुझे तो ऐसी आशा हुई कि नये विधेयक में क्रान्तिकारी परिवर्तन होंगे और वह प्रजातांत्रिक ढंग का होगा। परन्तु उस आशा की झलक मुझे इस बिल में नहीं मिली क्योंकि यह प्रजातांत्रिक ढंग का विधेयक नहीं है।

आज चार दिन से इस पर बहस में माननीय सदस्यों ने कुछ बातों पर अपने अलग-अलग विचार व्यक्त किये हैं चुनाव की पद्धति क्या हो, सदन एक हो या दो, विधान सभा, विधान परिषद् और लोक सभा के सदस्यों का क्या स्थान हो, अधिकारियों के अधिकार कितने हों, जिला परिषद् की आमदनी क्या हो, सदस्यों और अध्यक्ष की आयु क्या हो, कितनी आमदनी पर टैक्स लायें यही खास-खास बातें उस विवाद में कही गई हैं, जो चुनाव की पद्धति रखी गई है, मेरा तो स्पष्ट मत है कि वह प्रजातांत्रिक ढंग की नहीं है। डायरेक्ट चुनाव होना चाहिये था। पंचायतों और टाउन एरियाओं के मेम्बरों से चुनाव की पद्धति उचित नहीं है। जैसा बहुत से सदस्यों ने फरमाया है, पंचायतों के चुनाव खुद ही ठीक नहीं होते तो उसके द्वारा परिषद् के चुनाव कैसे ठीक हो सकते हैं? यदि पंचायतों में चुनाव बैलट से हों तो वहां की गुटबन्दी बन्द हो जायेगी और अल्पमत को बहुमत में या बहुमत को अल्पमत में नहीं पलटा जा सकता है। मैं निजी जानकारी के आधार पर कहता हूं कि यह बात कहां तक सही है। एक पंचायत के चुनाव के बाद पोलिन्ग अफसर ने डिक्लेयर नहीं किया कि कौन जीता या किसको कितने वोट मिले, और वह वहां से चला गया। जो पक्ष हारा था वह उसके साथ जाकर बातें करने लगा कि भाई, किसी तरह से हमें जिता दो तो हम तुमको कुछ रकम दें। यह शिकायत दूसरा पक्ष लेकर मेरे पास आया। वहां के चुनाव अधिकारी भी वहीं मेरे नजदीक, पड़ोस में, रहते थे। मैंने उनको बुलवाया और कहा कि उस मामले को देखें वह स्वयं जब पोलिन्ग अफसर के घर गये तो हारे हुए प्रधान पोलिन्ग अफसर से बातें कर रहे थे इसमें कोई शक नहीं कि वह कुछ ऐसी ही बातें कर रहे होंगे। तो जब किसी भवन की नींव ही कमजोर है तो भवन कैसे मजबूत होगा? माननीय मंत्री जी ने दलील दी कि वह इतना पैसा कहां से लावें। मुझे आश्चर्य है कि और तमाम बातों पर तो लाखों रुपये खर्च किया जा रहा है, लेकिन प्रजातन्त्र की असली चीज के लिये हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह सही ढंग से डायरेक्ट चुनाव करावें, तभी यह चुनाव सफल होकर सच्चा प्रजातंत्र कायम होगा।

इसके बाद, मैं नहीं समझता कि एक जिले में दो सदनों की क्या आवश्यकता है। सदन एक हो और उनके निर्वाचन क्षेत्र हों जिनमें सदस्यों को काम करने का पूरा अधिकार हो।

राय देना तो हर एक का कर्त्तव्य है। अपने-अपने क्षेत्रों से हम विधान सभा के सदस्य चुनकर आते हैं, हमें अपने क्षेत्र की ग्राम सभाओं इत्यादि को देखना है और न्याय के साथ देखना है। इसी तरह से हर व्यक्ति देख सकता है।

श्रीमन् विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्यों के इसमें रहने का तो मैं सख्त विरोधी हूं। हम एक तरफ तो कहते हैं कि सत्ता का विकेन्द्रीयकरण होना चाहिये और अपने लिये हम चाहते हैं कि जिला परिषद् पर भी हमारा आधिपत्य रहे। जिला परिषद् के सदस्यों को हम सलाह मश्विरा दे सकते हैं लेकिन क्या जरूरत है कि वहां मेम्बर होकर रहें और चूंकि हमारे हाथ में कानून बनाने की शक्ति है, इसलिये हम इसका यह फायदा उठावें कि उसके पदेन सदस्य रहें यह जरूरी नहीं है।

तीसरी बात अधिकारियों की कही गई है। हमारे माननीय सदस्यों ने कहा है कि आज प्रजातंत्र का बोलबाला जिला परिषद् में नहीं दिखाई देता है। सही बात तो यह है कि वहां इतने अधिकारी भर जाते हैं कि लोग हर तरह से दबते हैं। मेरी तो स्पष्ट राय है कि जिन्हें अधिकार दिया जाय उन पर विश्वास किया जाय। मंत्री जी ने कहा था कि बहुत झगड़े बढ़ते हैं, सरकार के पास शिकायतें आती हैं कि संस्थाओं को सस्पेन्ड किया जाय, इत्यादि। मैं समझता हूं कि हम अभी प्रजातंत्र के पूरे आदी नहीं है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ९ वर्ष ही हुए हैं। प्रजातंत्र क्षेत्र में हमसे गलतियां होंगी और हमें उनके लिये सजायें मिलेंगी। लेकिन गलतियों या सजा के लिये हम अपने उस सिद्धांत को नहीं छोड़ सकते जिसके लिये हम अंग्रेजों से ५० साल तक लड़े। हमारा कहना है कि आप अधिकारियों को इतने अधिकार न दीजिये कि जिससे परिषद् परिषद् ही न रह जाय तथा अधिकारियों की मनमानी हो। आप परिषद् के अध्यक्ष और सदस्यों पर विश्वास करें और उन्हें पूरी ताकत दें।

चौथी बात यह है कि मैंने आप से यह अर्ज किया था कि मैं दस वर्ष तक जिला बोर्ड का सदस्य रह चुका हूं, और उस समय मैंने देखा कि किस तरह से बोर्ड चलाते हैं, उसमें कितनी दिक्कतें आती हैं। हमारे पास पैसा नहीं होता है, हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे ऊपर तरह-तरह की चीजें होती हैं। अगर सरकार जिला परिषद् बनाकर एक क्रान्तिकारी कदम उठाना चाहती है तो उनको शक्ति दीजिये और उनके लिये पैसे का भी प्रबन्ध कीजिये। उसमें आमदनी बढ़ने का कोई जरिया आप रखें। कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि मनोरंजन कर में कुछ हिस्सा दिया जाय, मालगुजारी से कुछ हिस्सा दिया जाय जब तक हमारे पास पैसा नहीं होगा तब तक सब बातें थोथी ही होंगी और जिला परिषदों को सरकार का मुंह देखते ही रहना पड़ेगा। अगर आप जिला परिषदों को खुशहाल देखना चाहते हैं तो उनके लिये अधिक धन देने की व्यवस्था करें जिससे वे अपना काम अच्छी तरह से चला सकें।

माननीय सदस्यों ने परिषद् के सदस्यों और अध्यक्ष की उम्र के बारे में भी जिक्र किया। मैं तो समझता हूं कि बात कुछ-कुछ सही सी है। जब हम विधान सभा के सदस्य २५ वर्ष की आयु में ही विधान बना सकते हैं तो फिर वे क्यों २५ वर्ष की आयु में अपना काम नहीं कर सकते? जब हम तो ४० करोड़ जनता के लिये विधान बना सकते हैं लेकिन वह अपने जिले के अध्यक्ष नहीं हो सकते। इसलिये मेरी राय है कि अध्यक्ष की उम्र २५ वर्ष रखी जाय और बालिग मताधिकार से परिषद् के मेम्बरान का चुनाव कराया जाय।

इसके अलावा टैक्सेज की बात भी चली। माननीय सदस्यों ने टैक्सेज का जिक्र किया। यह उचित ही है कि २०० रुपये की आमदनी वाले व्यक्ति पर टैक्स लगाया जाना बहुत ही नामुनासिब है। १६ रुपये मासिक की आमदनी वाला व्यक्ति कपड़ों की तो कौन कहे, भर पेट खाना भी नहीं खा सकता है, उन पर कोई टैक्स लगाना बिलकुल अन्याय होगा। मेरी स्पष्ट राय है कि कम से कम ५०० रुपये की आमदनी वालों पर कोई टैक्स न लगाया जाय, इससे ज्यादा आमदनी वालों पर ही लगाया जाय। मंत्री जी तो जनता के शुभचिंतक हैं, मेरी ऐसी धारणा है कि वे इस बात को अवश्य मान लेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो संशोधन हम लोगों ने रखे हैं, उन पर गम्भीरता से विचार करें और उनको स्वीकार करें।

श्री अधिष्ठाता—२० मिनट का समय भाषणों के लिये निश्चित किया गया है, लेकिन अभी बहुत से सदस्य ऐसे हैं जो बोलना चाहेंगे, इसलिये मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या यह आपको वांछित होगा कि २० मिनट के बजाय १५ या १० मिनट कर दिया जाय ?

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—अधिष्ठात्री महोदया, अभी जनसंघ के नेता के अतिरिक्त एक भी मेम्बर और नहीं बोला है, इसलिये मेरी राय है कि १५ मिनट समय कर दिया जाय।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह संसदीय प्रथा है, और गालिबन इसीलिये माननीय अध्यक्ष ने जब-जब ऐसा प्रस्ताव आया, सदन को कोई निर्णय इस विषय में नहीं लेने दिया कि जब विधेयक पर आम वाद-विवाद करने के लिए माननीय सदस्यों के भाषणों के लिए समय निर्धारित नहीं होता है। इस विषय में, मैं स्वयं माननीय सदस्यों की राय से सहमत हूं कि १० मिनट का समय कर दिया जाय। किन्तु उसके लिये आपकी तरफ से यह कह दिया जाय कि माननीय मंत्री को छोड़ कर जो भी माननीय सदस्य इस वाद-विवाद में हिस्सा लेंगे वे यथा संभव १० मिनट में अपना भाषण समाप्त करने का प्रयत्न करेंगे तो बेहतर होगा। कोई निर्णय न किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—ठीक है, तो माननीय सदस्य १० मिनट के अन्दर ही अपना भाषण समाप्त करने की कृपा करेंगे।

*श्री रूर्मसिंह (जिला शाहजहांपुर)—माननीया अधिष्ठात्री महोदया, हमारा ख्याल था और प्रदेश की जनता का भी ऐसा ही खयाल था कि स्वायत्त शासन मंत्री जी महात्मा गांधी के विचारों को मानने वाले हैं। महात्मा गांधी का विचार था कि जनता के हाथ में अधिक से अधिक अधिकार दिया जाय और जनता स्वयं अपना प्रबन्ध करे। लेकिन जब माननीय मंत्री महोदय ने यह विधेयक पेश किया तो मेरे दिमाग में यह बात आयी कि मंत्री महोदय महात्मा गांधी के विचारों से कोसों दूर ही नहीं बल्कि महात्मा गांधी की विचारधाराओं के बिल्कुल प्रतिकूल जा रहे हैं और मुझे तो ऐसा दिखायी देता है कि जो यह सरकार है वह महज अपनी सुख शान्ति कायम रखने के लिये, जनता को अचेत अवस्था में रखने के लिये तैयारी करती है और सरकार सदैव इसी तरीके के बिल और विधेयक पेश करती है।

आज सरकार ने कहने के लिये प्रदेश में अर्द्ध सरकारी संस्थायें बना रखी हैं और यह भी सरकार कहती है कि हमने जनता को अधिकार दे रखे हैं, लेकिन सचमुच में महज जनता को भ्रम में डालने के लिये, जनता को धोखा देने के लिये इन संस्थाओं का निर्माण होता है। सरकार ताकत स्वयं अपने हाथ में रखती है जैसा कि इस विधेयक को देखने से मालूम होता है कि इसमें जो चुनाव की पद्धति थी, मैं कहना चाहता हूं कि अंग्रेज सरकार ने जब यहां जिला बोर्ड्स बनाये थे और उनके अन्दर जो जनता को अधिकार दिये थे, आज की सरकार और हमारे गांधी विचार-धारा के मानने वाले मंत्री महोदय ने उन अधिकारों को भी अपने हाथ में लेने की कोशिश की है। मंत्री महोदय कहते हैं कि ग्राम पंचायतों के सदस्यों और पंचों के द्वारा अन्तरिम जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जायगा। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या ग्राम सभाओं के सदस्यों और पंचों का चुनाव ईमानदाराना तरीके से हुआ है ? या उन ग्राम सभाओं का चुनाव जिनके हाथ में ताकत थी, जिनके हाथ में लाठी थी उनके बल पर हुआ है ? और मैं यह कहूं तो मुबालगा न होगा कि गुंडाशाही के ठेकेदार ग्राम सभाओं और अदालती पंचायतों में पहुंचे हैं और आज मंत्री महोदय उन्हीं के जरिये इन जिला परिषद् के सदस्यों का चुनाव कराना चाहते हैं, जो जनता के वास्तव में प्रतीक नहीं हैं, जो अपनी ताकत की बिना पर जनता को डरा धमका कर ग्राम पंचायतों के पंच और सदस्य बन गये हैं। मैं इस विधेयक को अच्छी तरह से पढ़ने और समझने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह सरकार जनता के हाथ से अधिकार

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बराबर छीनती चली जा रही है। प्रजातन्त्र के नाम पर जनता को भ्रम में डालती है और धोखा देती है। मेरा तो दावा है कि १२ साल के अन्दर इस प्रदेश की सरकार और देश की सरकार इस प्रदेश और देश के अन्दर प्रजातन्त्र की स्थापना करती तो आज हमारा देश दूसरे मुल्कों के बराबर नहीं तो किसी से कम नहीं रहता और हिन्दुस्तान और प्रदेश की जनता भी जोश और उत्साह के साथ देश के उत्पादन में और अपने इन्तजाम के लिये आगे बढ़ती और आगे बढ़ कर देश को समृद्धिशाली बनाती। लेकिन इस सरकार ने देश और प्रदेश की जनता को पंगु बनाने में कोई कसर नहीं उठा रखी है।

बिल में कहा गया है कि जनता को अधिकार देने जा रहे हैं और चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से कराया जायगा, तो सरकार को हिम्मत होनी चाहिये कि वह हिम्मत के साथ आगे बढ़े। आज मैं देख रहा हूं कि सरकार सारे अधिकार अपने हाथ में ले रही है और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज कोई भी मंत्री सारी फाइलों को नहीं देख पाता है, आंख मींच कर उन पर दस्तखत कर देता है। जैसा आफिसर्स चाहते हैं वैसा ही मंत्रियों को करना पड़ता है और इसीलिये प्रदेश के अन्दर सारी गड़बड़ी है। मेरा तो दावा है कि अगर सरकार कामों का बंटवारा कर दे और जनता के हाथों में अधिकार देकर उसके कर्तव्यों का ज्ञान करा दे तो जितना भी करप्शन है, भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, डकैती है, भाई भतीजावाद है, वह सारा का सारा खत्म हो जाय। और जनता अपने देश की तरक्की के लिये आगे बढ़ सकती है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करना चाहती। अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब क्या है? यह कि जो अपनी ताकत के बल पर गुन्डाशाही के द्वारा जनता को डरा धमका कर जिस तरह से आज ग्रामों में पंचायतों आदि में सदस्य बने हैं वैसे ही बनते रहें। इस तरह से क्या वास्तव में जनता के हितैषी अन्तरिम जिला परिषद् में आ सकेंगे? वह नहीं आ सकेंगे, वह तो पीछे रह जायंगे क्योंकि वह तो ऐसे लोगों को चुनेंगे जो गलत हैं। इसलिये सरकार हिम्मत करके चौखम्बा राज के आधार पर विकेन्द्रीकरण करे। मैं तो यहां तक कहूंगा कि जिला स्तर पर आज जितने भी कर्मचारी हैं वह सब अन्तरिम जिला परिषद् के मातहत किये जायं।

क्या आज जिले के अफसर लोग जनता से डरते हैं? नहीं डरते हैं। आमतौर से दस-बीस लाख जनता जो जिले में होती है उसकी किसी को परवाह नहीं है, जिले के अफसर तो खुशामद मंत्रियों की करते हैं, उनकी आंखें तो लखनऊ की तरफ लगी रहती हैं। उनके दिमाग में तो यह चीज रहती है कि हमसे मंत्रिगण खुश रहें, तभी हमारी भलाई है और वह अगर नाखुश हैं तो खराबी है, परन्तु उनको जनता की फिक्र नहीं है। आज सब जगह दस बजे से कचहरियों का समय है लेकिन हाकिम लोग १२ बजे १ बजे और ११ बजे कचहरी पहुंचते हैं और चिराग जला जला कर मुकदमें करते हैं। वह ऐसा क्यों करने की हिम्मत करते हैं? क्योंकि जिले की जनता से उनको कोई भय नहीं है। इसलिये मंत्री महोदय हिम्मत करें और जिला स्तर के कर्मचारियों को जिला परिषदों के मातहत करें, उनको जिला परिषदों के रहमोकरम पर छोड़ें ताकि वह उन की बरखास्तगी, मोअत्तली सब कुछ कर सकें। जो दस बजे ठीक से न पहुंचें उसकी वह बरखास्तगी कर सकें तब आप देखें कि कौन देर से आता है। प्रदेशीय स्तर के अफसरों को सरकार अपने हाथ में रखे और जो केन्द्रीय स्तर के हैं वह दिल्ली की सरकार के मातहत रहें। परन्तु यह सरकार तो जनतन्त्र के नाम पर राजतन्त्र की स्थापना करती चली जाती है।

आज हम देख रहे हैं कि अमीरों की तरफ यह सरकार टैक्स लेने के लिये नहीं बढ़ती है। इस विधेयक में इस बात की व्यवस्था की गई है कि प्रति एकड़ ३१ नये पैसे का कर प्रत्येक जोत पर लगाया जा सकता है जिला परिषदों द्वारा। आज गरीबों पर सरकार टैक्स इसलिये लगाना चाहती है कि उनका जोर नहीं है वह शोर नहीं करते, आन्दोलन नहीं करते, हल्ला नहीं मचाते, इसलिये जहां तक हो सकता है गरीबों का शोषण किया जाता है। क्यों नहीं इस बात की व्यवस्था होती कि अमीरों पर टैक्स लगे? आज शहरों में आय कर ३,००० से ऊपर है ३ रुपया सैकड़ा के हिसाब से और यह है २०० रुपये की आय पर ३ रुपया सकड़ा का

[श्री रूर्मासिंह]

टैक्स। यह सरासर अन्याय है। अगर मंत्री जी वास्तव में गांधी जी की विचारधारा को मानने वाले हैं तो वह इस तरह की गन्दी टैक्स लगाने की व्यवस्था को फौरन खत्म करें। पिछले जिला बोर्डों में भी ५०० रुपये पर यह टैक्स था और अब जब कि रुपये की कीमत ४ आना भी नहीं रही तो यह बढ़ाया जा रहा है। इसलिये २,००० से ऊपर आय वालों पर ही यह लगाया जाय तो ठीक होगा। जिला परिषदों को तोड़ने का कलेक्टर को अधिकार दिया गया है, और कांग्रेसी सदस्यों का कहना है कि कलेक्टर आज सर्वेसर्वा है, मैं तो कहता हूं कि आज मुख्य मंत्री सम्पूर्णानन्द जी से भी प्रदेश की जनता नहीं डरती, लेकिन जनता को कलेक्टर का डर है। कलेक्टर को तो आपने ईश्वर बना दिया है और मंत्री जी और भी अधिकार उसके हाथ में दे रहे हैं, मेरा तो कहना है कि कलेक्टर को भी जिला परिषद् के मातहत कर दें। अगर विधान को जिला परिषद् तोड़े तो उसको भंग करके उसके बाद दोबारा चुनाव करा लेना चाहिए। लेकिन आप कलेक्टर को अधिकार दे रहे हैं। मैं सिफारिश करता हूं कि कलेक्टर को जिला परिषद् के मातहत कर देना चाहिए।

माननीय जगदीश नारायण अग्रवाल ने यहां पर एक बात कही कि समाजवादी दल के नेता श्री राजनारायण तीन घंटे तक बक लिये, बहुत रुपया जाया किया है जनता का। मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम समाजवादी दल के नेता ने सैकड़ों सुझाव आपके सामने रखे हैं और जनता के हित की बात कही है। आपकी सरकार करोड़ों रुपया बरबाद कर रही है जिसका नमूना इसी सदन में है कि यह जो ध्वनिवर्धक यंत्र लगाये गये हैं इसकी मैशीनरी में लाखों रुपया विदेशों में भेजा गया है। तीन-चार लाख रुपये की और स्कीम है कि इसको एयर कंडीशन्ड बनाया जाय तब कहीं यह काम देंगे। हिन्दुस्तान कामर्शियल कार्पोरेशन में भी लाखों करोड़ों रुपया बरबाद किया गया। इसी तरह से रिहन्द बांध में बर्बाद हुआ और भी बहुत-सी योजनाएं हैं जिनमें रुपया बरबाद हुआ। इनकी तरफ माननीय जगदीश-शरण ने इशारा नहीं किया। हमारे समाजवादी दल के नेता ने कीमती सुझाव दिये जिनसे आमूल परिवर्तन हो सकता है और जनता तरक्की की ओर जा सकती है। उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है। अन्त में मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को जनमत संग्रह के लिये भेजा जाय।

श्रीमती सुनीता चौहान (जिला रायबरेली)—माननीया अधिष्ठात्री महोदया, इस समय जो विधेयक सदन में पेश है उसको पढ़ने से प्रतीत होता है कि माननीय मंत्री महोदय के विचार जनहित में कितने सरल और उच्च थे। इस सदन के माननीय सदस्यों के विचारों की कद्र करते हुए इस विधेयक को इसलिये यहां पेश किया गया है कि हम लोग अपनी-अपनी राय दे सकें।

महोदया, अब तक पंचायतों के चुनाव हाथ उठा कर ही होते चले आये हैं। किन्तु हम लोग यह महसूस करते हैं—शायद और माननीय सदस्य भी महसूस करते होंगे—कि उसमें उसी प्रकार के आदमी आ सकते हैं और आते हैं जिनके धन का और बल का तथा और अन्य दबाव दूसरों पर पड़ सके जो कि उनको चुनते हैं। मैं ऐसा महसूस करती हूं कि अब जो पंचायतों के चुनाव हों उसमें गुप्त मतदान हों ताकि उसमें निष्पक्ष भाव से लोग अपना वोट दे सकें और किसी का दबाव न पड़े। पंचायतों का कार्यकाल सन् १९६० में समाप्त होता है। मैं चाहूंगी कि पहले पंचायत का चुनाव हो जाय और उसके बाद वही सदस्य डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल के सदस्यों का चुनाव करें। डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल में भी ऐसा है कि १० परसेंट कोआप्टेड सदस्य आते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है कि कोआप्टेड सदस्य की कसौटी क्या होगी? उनकी क्वालीफ़िकेशन्स क्या होंगी? हालांकि क्वालीफ़िकेशन्स का सवाल तो यहां आता नहीं। उनकी कुछ कसौटी होनी चाहिये जिसके आधार पर वे कोआप्ट किये जायं। जैसे कोई हरिजन सेवा संघ या सर्व सेवा संघ, उनके प्रतिनिधियों को कोआप्ट करना चाहिये। मुझे आशा है मेरे विचारों से माननीय मंत्री जी तथा बहुत से साथी सहमत होंगे।

इसमें यह भी रखा गया है कि नियोजन समिति बनायी जायेगी। मैं इससे सहमत हूं। साथ ही जिला परिषद् में एम० एल० एज० का समावेश न हो मैं उससे भी पूर्णतः सहमत हूं। किन्तु मैं इसको नहीं मानती कि एम० एल० एज० की वजह से वहां के नेताओं को अपनी जागृति का मौका नहीं मिलेगा। जो सदस्य वहां चुनकर आये हैं उनको खयाल करना पड़ेगा कि उनको फिर वहीं जाना है। किन्तु यदि एम० एल० एज० उसमें नहीं रहेंगे और आफ़िसर्स को प्रिफरेंस दिया जायगा और वह लोग पदेन सदस्य होंगे, तो मैं नहीं समझती कि एम० एल० एज० की वजह से उनके ऊपर अनुचित दबाव पड़ता रहेगा। फिर इन पदेन सदस्यों के कारण कैसे नहीं पड़ेगा। मैं इतना कहना चाहती हूं और सहमत हूं कि एम० एल० एज० कदापि न रहें। किन्तु जब अफसर नियोजन समिति में रह रहे हैं तो सब अधिकारियों की जिला परिषद् में एक ही साथ क्या आवश्यकता है? नियोजन समित में एम० एल० एज० के साथ तो रहना आवश्यक ही है, किन्तु जिला परिषद् में वही अधिकारी रहें जिनके विभाग के सम्बन्ध में जिला परिषद् विचार करती हो।

अब रही नियोजन समिति की बात। उसमें एम० एल० एज० होंगे, अफसर भी होंगे ही, किन्तु परिषद् के जितने सदस्य हैं वह भी उसमें शामिल होंगे तो मेरी समझ में नहीं आता कि इतना बड़ा मेला लगाने की क्या आवश्यकता है। कुछ परसेंटेज नियुक्त कर दिया जाय जिसको कि परिषद् के सदस्यगण चुन कर नियोजन समिति में करें, ऐसा मेरा विचार है।

परिषद् के अध्यक्ष की आयु का जहां तक सवाल है, प्रदेश की जिम्मेदारी यहां के माननीय सदस्यों के ऊपर २५ वर्ष के बाद ही आ सकती है लेकिन परिषद् में ३५ वर्ष रखी गई है। मेरी राय में ३० वर्ष की आयु उचित होगी क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं उससे लोगों को काफी अनुभव होते चले आये हैं जो सदस्य रहे हैं उनको भी और जो सदस्य नहीं रहे उनको भी, इसलिये ३० वर्ष आयु ठीक होगी।

ब्लाक का जो रूप है, उसका जो कर्तव्य और अधिकार है वह जिला परिषद् के द्वारा ही तय होना है। तो मैं चाहूंगी कि यहां से उसका आकार और कर्तव्य तय हो जायं ताकि जिला परिषद् का उसके ऊपर कोई अनुचित दबाव न पड़ सके, साथ ही भ्रम न हो। इस प्रकार से ब्लाक सुचारु-रूप से कार्य कर सकेंगे।

जहां, कोआप्टेड सदस्य हैं उनमें से यदि हो सके तो एक स्थान महिलाओं का भी होना चाहिये क्योंकि इसका जिक्र कहीं नहीं है। मैं समझती हूं कि माननीय सदस्यों की तरह महिलायें भी योग्य होती हैं और वे भी अच्छी से अच्छी राय व्यक्त कर सकती हैं इसलिये इनका भी कोआप्शन अवश्य होना चाहिये। इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

*श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--माननीय अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विधेयक पर मुझे अपने विचार पेश करने के लिये मौका दिया। महोदया, जब माननीय मंत्री जी इस बिल को उपस्थित कर रहे थे तो मुझे ऐसा आभास हो रहा था कि जिस तरह माननीय मंत्री जी ने इसकी तैयारी में १० वर्ष लगाये थे उतना ही सुन्दर विधेयक वे इस सदन में लाये हैं और अब देहात व जिले स्वतंत्र होने जा रहे हैं, हर तरह की आजादी उनको मिलेगी। लेकिन इस विधेयक को देखने के बाद जैसे-जैसे मैं इसको पढ़ता गया उतना ही मुझे ताज्जुब होता गया, क्या बात है कि कहने में तो इतने सुन्दर ढंग से माननीय मंत्री जी ने इसे प्रस्तुत किया लेकिन असल में यह चीज क्या है, आखिर इसमें इस तरह के अप्रजातांत्रिक प्राविजन्स क्यों रखे गये हैं? कहां तो विकेन्द्रीकरण का जिक्र किया जाता है और कहां उलटे सारे अख्तियारात जिले के छीन कर अधिकारियों के हाथ में दिये गये हैं? यह चीज मेरी समझ में नहीं आई। क्या इसका अर्थ यह समझा जाय कि जैसा नाम हमारे मंत्री जी का है वैसा ही विचित्र यह विधेयक है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अब्दुल रऊफ लारी]

महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने इसमें जो डायरेक्ट चुनाव कराने पर कहा कि इससे खर्चा ज्यादा होगा, यह सुन कर मुझे और भी अचम्भा हुआ। लेकिन मंत्री जी का ध्यान उधर नहीं जाता जिन बातों में नाजायज ढंग से खर्चा होता है। किस खर्चे में प्राथमिकता दी जाय, कहां खर्चा किया जाय इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। बल्कि एक होड़ लग जाती है। चहारदीवारी बनाने में कई लाख रुपये खर्च हो गये। हर जिले में मुख्य स्थानों पर, मंत्रियों व अफसरों के बंगलों के किनारे चहारदीवारी बन रही है जब कि सैकड़ों वर्षों से वहां कांटेदार झाड़ियां या तार लगे हुए थे। आज वहां चहारदीवारी बनाने के लिये प्रान्त का लाखों रुपया खर्च हो रहा है। इसी तरह से व्यर्थ में इमारतें जगह-जगह बन रही हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं है। अभी बजट के जमाने में नाजायज पैसे के खर्चे की ओर विरोधी पक्ष और सरकारी पक्ष दोनों ओर से काफी जोरदार शब्दों में तजकिरा किया गया लेकिन एक इंच भी असर इस सरकार पर नहीं हुआ। उस तरफ तो खयाल नहीं जाता लेकिन प्रजातंत्र ढंग जो है डायरेक्ट चुनाव करा कर किसी भी कमेटी को बनाना, उसके लिये मंत्री जी कहते हैं कि खर्चा होगा। इसलिये वे चाहते हैं कि टाउन एरियाज व ग्राम सभाओं के सदस्यों द्वारा जिला परिषदों का चुनाव किया जाय।

महोदया, मैं चाहूंगा कि जरा मंत्री जी देहातों की तरफ जायं और देखें कि आज ग्राम सभाओं की क्या हालत है ? ग्राम सभाओं में जो हाथ उठा कर उन्होंने चुनाव करा दिया है उसका नतीजा क्या है ? वे लोग जो काफी संगठित थे, मिल-जुल कर काम करते थे आज वहां दलबन्दी का जोर है और जो दो दल बन गये थे वे आज तक कायम हैं और उसे हम आज तक मिटाने में नाकामयाब रहे हैं, जिससे आज ग्राम की सारी प्रगति रुक गयी है। जो जालिम और जोरदार आदमी हैं वह पूरी तौर से हावी है। लेकिन अगर किसी तरह से किसानों और गरीबों का सभापति चुन भी गया तो उसकी कुछ नहीं चल पाती। वे जरा देखें कि कितने सभापति हमारे मारे गये। किसी सेक्रेटरी या लेखपाल के खिलाफ आवाज उठाई गयी कि वह मीटिंग्स में शिरकत नहीं करता तो बस वहां के सभापति से कानूनगो और तहसीलदार नाराज हो गये और हुक्म दे दिया कि भेज दो अपने कागज, चेक किये जायंगे और साल साल भर वे कागज उनके दफ्तरों में पड़े रहते हैं और उन ग्राम समाजों का सारा काम हर्ज होता है। मंत्री जी के पास लिख कर भेजा जाता है लेकिन उन तक शायद पहुंच नहीं पाता होगा और कान पर वैसे किसी के जूं नहीं रेंगती। तो मैं यह कहूंगा कि यह अप्रजातांत्रिक तरीका है, इसको छोड़ें और प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव करावें, और बालिग मताधिकार से चुनाव करावें, यह बहुत गलत होगा कि उन लाठी के जोर से चुने हुए लोगों के जरिये से जिला परिषद् का चुनाव करावें। इसका मैं घोर विरोधी हूं और मंत्री जी से विनय करता हूं कि इस तरफ ध्यान दें नहीं तो पूरा जिला एक अखाड़ा बन कर रह जायगा और बजाय तरक्की करने के बरबादी की तरफ वह जायगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने जिला परिषद् का संगठन किया है, अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव कराया है, वह तो मान लिया कि ठीक है लेकिन दूसरी तरफ जो नंगी तलवार उनके सिर पर लटका रखी है राज्य सरकार और कलेक्टर की वह कुछ मेरी समझ में नहीं आता है कि इन तलवारों की मौजूदगी में वे कैसे स्वतंत्रतापूर्वक काम कर पायेंगे। मेरा दावा है कि वे कभी भी स्वतंत्रापूर्वक काम नहीं कर पायेंगे और अगर कोई काम स्वतंत्रतापूर्वक किया तो यहां से तुरन्त एक आर्डर जारी होगा जिसके जरिये से वे बेदखल किये जायंगे, सस्पेंड किये जायंगे, मुअत्तल किये जायंगे क्यों कि इस वक्त इस सरकार के जितने भी काम हैं वे यह जाहिर कर रहे हैं कि यह सरकार जनता के लिये या राज्य के लिये नहीं बल्कि केवल अपने ग्रुप और अपने लिये काम कर रही है। ऐसी दशा में मैं यह कहूंगा कि जो कलेक्टर की पाबन्दी रखी गयी है यह हटा दी जाय। और जो राज्य सरकार की पाबन्दी रखी गयी है कि जब उसके काम से नाखुश हो तो हटा दें, तो नाखुश होना कोई बड़ी

बात नहीं है। जब एक दलबन्दी चल रही है, अपनी ही पार्टी के कुछ लोगों से नाराज होकर जब यह सरकार उनके खिलाफ कुछ ऐक्शन लेने की सोच रही है तो फिर एक जिला परिषद् का अध्यक्ष या उसके सदस्य कैसे ठीक काम कर सकते हैं यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं इसके लिये भी आपके द्वारा इस सदन के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस मामले में वे जोरदार शब्दों में लड़ें ताकि यह नंगी तलवार जो उनके ऊपर लटक रही है वह हटे।

टाइम आपने हम लोगों को बहुत कम दिया है इसलिये मैं जल्दी-जल्दी कुछ खास बातें कह देना चाहता हूं वैसे कहना तो बहुत कुछ है। सब से जरूरी चीज यह है कि इस पर जो कर का बोझ रखा गया है उससे मेरा खयाल है कि मंत्री जी का इस विधेयक को लाने का उद्देश्य ही यह है कि कोई तरीका निकाल सकें देहातों को लूटने का। इतना कर लगा हुआ है देहातों पर, पंचायत टैक्स के जरिये और जो लोकल टैक्स है उसके जरिये कि वहां की जनता खाने बगैर मर रही है। इसमें ३१ नये पैसे फी एकड़ के हिसाब से टैक्स लगाने की बात है जो १ आना रुपया होगा और बाज जगह पर २ आने रुपया होगा। आज गांव के गरीब किसान के ऊपर जो खाने के बगैर मर रहा है, जिसके तन पर चिथड़ा नहीं है, जिसके रहने के लिये मकान नहीं है उस पर इस तरीके से कर लगाना एक बहुत बड़ा बोझ उसके ऊपर लादना है। एक हंसी की बात इसमें यह है, पता नहीं हमारे मंत्री जी और यह सरकार यहां बैठने वाले सदस्यों को क्या समझती है, शहरों में रहने वाले पूंजीपतियों पर तो ३ हजार के ऊपर ३ रुपया सैकड़ा टैक्स है मगर देहातों में रहने वालों पर २०० रुपये सालाना की आमदनी पर टैक्स रखा गया है। आ5 आने रोज मजदूरी करने वाले की भी आमदनी २०० रुपये सालाना हो जाती है। तो अगर उससे भी ३ रुपये लेंगे तो उसकी क्या हालत होगी ? यह करों का बोझ जो इस बिल के जरिये लादा गया है इसको हटा दिया जाय और कम से कम १ हजार या उससे ऊपर की आमदनी वालों से अगर कुछ टैक्स लेना ही है तो लें। और १२ एकड़ या कम से कम ६ एकड़ से नीचे वालों पर जो ३१ नये पैसे वाला टैक्स है इसके लिये भी पाबन्दी लगानी चाहिये कि यह टैक्स उन पर न लगने पावे। महोदया, मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो पुलिस का जिक्र किया था कि अभी जिले के लोग इस लायक नहीं हुए हैं कि उनको पुलिस अधिकार दिये जायं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो मंत्रिगण अपने को लायक समझते हैं और हैं भी क्योंकि वह पूरे प्रदेश से चुनकर आये हैं और वाजिद-अली शाह के तख्त को वह सुशोभित कर रहे हैं, मैं उनसे आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि आज जो पुलिस जनता के ऊपर जुल्म कर रही है, लूट खसोट मचाये हुए है, साम्प्रदायिकता के नाम पर वह दंगे-फिसाद करा रही है। मुबारकपुर में देख लीजिये, सीतापुर में देख लीजिए, वहां कोई हिन्दू मुस्लिम दंगा-फिसाद नहीं था। महज पुलिस ने एक आड़ लेकर वहां के लोगों को बहुत बुरी तरह से पीटा है, आज तीन-चार महीने बीत गये हैं, लेकिन वह लोग चारपाई से जमीन पर अभी तक पैर नहीं रख पाते हैं। ८०-८० वर्ष के बूढ़ों को पीटा गया है और जिन्होंने स्वतंत्रता के संग्राम में अपना खून पसीना बहाया था उन लोगों को भी पीटा गया है..

श्रीमती अधिष्ठात्री--आपका समय समाप्त।

श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)--अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया है। इस बिल के लिये मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। जिला परिषद् के चुनाव के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि चुनाव बालिग मताधिकार के अनुसार होने चाहिये जिस प्रकार कि असेम्बली के तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के चुनाव होते थे उसी तरह से इसके भी चुनाव होने चाहिए।

हरिजनों के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि उनको उनके जन-संख्या के अनुपात से लिया जाय। इसके अलावा मुझे कहना है कि विधान सभा तथा विधान परिषद् के सदस्यों का जिला परिषद् में होना अनिवार्य है क्योंकि जब वह लोग इसमें सदस्य होंगे तभी तो उनको

[श्री खुशीराम]

जिले की हालत मालूम होगी। जिले की प्रगति के लिये सारे हालात जिले के उन्हें मालूम होने चाहिये तभी वह असेम्बली में कुछ कह सकते हैं। इसलिये उनका जिला परिषद् में होना बहुत जरूरी है।

इसके साथ ही साथ इनके चुनाव की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह तो जनता के द्वारा चुनकर ही आये हैं और यह जनता के प्रतिनिधि हैं। इनको सरकारी अफसरों की तरह से ले लेना चाहिए इसके अलावा अध्यक्ष का चुनाव सदस्य लोग करेंगे। उम्र की बात जो आई है कि उनकी उम्र क्या हो? इसके लिये किसी ने ३५ वर्ष और किसी ने २५ वर्ष कहा है लेकिन म समझता हूं कि ३० वर्ष की उम्र रखना उपयुक्त होगा। आजकल की परिस्थिति में ३० वर्ष की उम्र अध्यक्ष के लिये काफी है।

एक बात यह है कि जिला परिषदों में जो शिक्षा विभाग का अध्यापक वर्ग है उसके भी प्रतिनिधि इसमें आने जरूरी हैं। पहले भी वह इसमें आते थे और अब भी उनका अधिकार न छीना जाय। यह आवश्यकीय बात है। इसके साथ ही साथ एक बात मुझे और कहनी है। वह यह है कि स्त्रियों के लिए कोई स्थान सुरक्षित कर दिया जाय या जो तरीका मंत्री जी उचित समझें इसकी व्यवस्था करें। स्त्रियों का आना भी बहुत जरूरी है। इसके साथ ही साथ एक बात मुझे यह और कहनी है कि जिले में जो भ्रष्टाचार समितियां हैं उनको भी इसके साथ संगठित कर दिया जाय। यह जिला परिषद् के अधीन हों। भ्रष्टाचार दबाने और कम करने में इससे बहुत मदद मिलेगी। मेरी यह राय है।

इसके साथ ही साथ परिषद् के सदस्यों को जो टी० ए०, डी० ए० मिलने की बात है मेरी सम्मति में उनको टी० ए०, डी० ए० जरूर मिलना चाहिए। पहले जो बोर्ड थे वह उसमें सदस्य पैसा खर्च करके आते थे, अपनी इज्जत के लिए आते थे। अब काम करने के लिए गरीबों को इसमें लाना है। मैं अपने पहाड़ के अनुभव से कहता हूं कि २०० मील दूर से वह प्रतिनिधि कैसे आयेंगे? अगर पैदल चलते हैं तो २०० मील में १२ दिन लगेंगे। मोटर में आने के लिये पैसा चाहिए। इसलिए उनको टी० ए०, डी० ए० मिलना अनिवार्य है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वह इन बातों पर ध्यान दें और जिला परिषदों को आदर्श रूप में लायें जिससे यह काम अच्छी तरह से चल सके और जिस उद्देश्य से परिषदों की स्थापना की है वह उद्देश्य सफल हो। वह तभी हो सकता है जब कि हम उसके लिए हर बात पर खयाल करेंगे। बस मुझे आप का ज्यादा टाइम नहीं लेना है।

*श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—माननीया अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे १० मिनट का समय दे दिया। हम अपना यह दुर्भाग्य समझें कि जनसंघ दल को इसमें मौका ही नहीं मिला। हमारे माननीय नेता जी को केवल समय मिला और वह भी दस मिनट। इसके लिए भी मैं आभारी हूं।

महोदया, माननीय मंत्री जी ने यह विधेयक जो प्रस्तुत किया इस पर आज चौथा दिन है। अब यह समाप्त होने जा रहा है। जब तक यह विधेयक नहीं आया था तब तक प्रान्त को बड़ी आशा थी। लोग यह समझते थे कि अब की बार बड़े अनुभव के बाद, यह सरकार १२वें वर्ष में पदार्पण कर रही है और दस साल इस विधेयक के बनाने में लगे तो कुछ बहुत ही अच्छा सोच-समझ कर इसका निर्माण हुआ होगा और अब यह सदन के सामने आयेगा तो उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, जिलों का अब ठीक प्रकार से निर्माण हो सकेगा, ऐसी आशा थी। परन्तु जब इस विधेयक को पढ़ा तो कुछ ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे कोई विद्यार्थी साल भर तक कुछ न पढ़े और अन्त में जब परीक्षा का समय आ जाय और मालूम पड़े कि परीक्षा देनी है तो परीक्षा देने के समय पर उल्टा-सीधा नोट तैयार करके रख दे, उसी तरह से हमारा यह विचित्र तरीके का विधेयक माननीय

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्वायत्त शासन मंत्री ने प्रस्तुत किया है। इसकी एक-एक लाइन को देखा जाय, एक-एक लाइन पर विचार किया जाय तो कुछ ऐसा मालूम पड़ता है, या अगर इस प्रकार कहें कि यह बहुत सोच-समझकर के बनाया गया है तो कुछ ऐसा आभास होता है कि अब हमारी सरकार या हमारे माननीय मंत्री महोदय प्रजातन्त्र के नाम पर अधिनायकवाद की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अब उनका कदम अधिनायकवाद की ओर बढ़ रहा है। यह तानाशाही का विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

श्रीमन्, इस सदन में न मालूम कितनी बार ग्राम पंचायतों के चुनाव के बारे में इस ओर से और उस ओर से कहा गया कि उनका चुनाव हाथ उठाकर के नहीं होना चाहिए। उनका चुनाव उसी प्रकार होना चाहिए जिस प्रकार से एम० एल० ए० आदि का होता है। वह तो बात पूरी नहीं हुई जिसका परिणाम आज इतना ज्यादा भयंकर हो गया है कि इन पंचायतों के एलेक्शंस में कत्लेआम हुए हैं। हमारे विरोधी दलों की ओर से ही नहीं बल्कि सरकारी बेंचेज के सदस्यों ने भी मांग की लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया। उसका परिणाम आज यह है कि जो काबिल आदमी होने चाहिए थे उस जगह के लिए, मंत्री महोदय भी जानते हैं, वह वहां नहीं पहुंच पाये न पहुंचने की हिम्मत करते हैं और अगर हिम्मत करते हैं तो चुनने के पहले ही, अधिष्ठात्री महोदया, वह व्यक्ति जिसका कि चुनाव होता है, जो कि शक्तिशाली है, मतिष्क से नहीं बल्कि डंडे के बल से, गुंडों के बल से, वह व्यक्ति पहले ही कह देता है कि जो हाथ मेरे विरोध में उठेगा वह हाथ तोड़ दिया जायगा।

इस प्रकार से गांव आज एक दलबन्दी का अखाड़ा-सा बन गया है। इस तरह से चुने गये व्यक्ति सही माने में गांव का और वहां के जन-जीवन का कोई प्रतिनिधित्व नहीं करते। ऐसे व्यक्ति अपनी लाठी के जोर से प्रधान और सदस्य बन जाते हैं और वही सदस्य इस जिला परिषद् के सदस्यों का चुनाव करेंगे, माननीय मंत्री महोदय ने उन आदमियों को यह अधिकार दे रखा है, यह बड़े अचम्भे की बात है। एक बात और कहनी है। इसको यदि, श्रीमन्, ठीक ढंग से पढ़ा जाय, देखा जाय तो इस विधेयक में सरकार ने सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिये हैं, अपने ही आदमियों को दे दिये हैं या यों कहा जाय कि माननीय मंत्री जी की तो इसमें कुछ सलाह-सी नहीं मालूम पड़ती है, उन्होंने कुछ शायद सोचा नहीं, यह उनके नीचे की जो मशीनरी है, जो निरन्तर इस बात को सोचती रहती है कि कैसे उसके अधिकार बढ़ें, उसने यह देखा कि क्योंकि जिला परिषद् एक खास चीज है, वहां से जिला गवर्न होता है, वहीं से शासन चलता है, तो वह किस प्रकार से अपने कब्जे में रहें, कोई मंत्री महोदय के कब्जे में नहीं, उनके पास तो बहुत देर में और बहुत दूर चलने के बाद फरियाद आती है, उन आदमियों के हाथ में रहे जो कि यहां लखनऊ की ऊंची अट्टालिकाओं में बैठकर के सेक्रेटेरिएट की शोभा बढ़ाते हैं, उनको यह अधिकार दे दिया गया है।

इसमें अध्यक्ष को तो पावरहीन रखा। अध्यक्ष तो नाम का है। इसी तरह की एक बात याद आ गयी, अभी थोड़े दिन पहले पेपर में निकली थी। शायद हमारे बम्बई के मेयर थे। वह एक जगह गये। उनसे किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि सच पूछा जाय तो मेयर का तो वह स्थान है कि वह बिलकुल अधिकारहीन है। उसी प्रकार से अध्यक्ष को अध्यक्ष बनाकर रखा है तो बिलकुल अधिकारहीन, नाम का पुतला अध्यक्ष बना बैठा है। और फिर उस पद का लोभ दे दिया और उस पद का लोभ देने के पश्चात् उसके सिर पर नंगी तलवार घूमती है। वह सिर पर पड़ेगी तो सिर कलम कर दिया जायगा। इसके पश्चात् उसको हटा दिया जाता है। कोई उसकी व्यवस्था नहीं है। यहां पर बैठी हुई यह सरकार अगर यह सोचे कि काम ठीक नहीं हो रहा है तो बस अध्यक्ष समाप्त कर दिया जायगा।

दूसरी बात यह है कि इसमें कोई प्राविजन उन सदस्यों के लिये नहीं रखा गया है जो जिले के सदस्य चुन कर अपने घर से जिला बोर्ड में आयेंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि वह व्यक्ति जब अपने घर से चलेगा और चलकर आयेगा तो एक दिन या दो दिन बाहर रहेगा और अपना

[श्री भुवनेश भूषण शर्मा]

समय खराब करेगा, वह खायेगा, पीयेगा और वहां पर बैठकर जिले के बारे में कुछ सोचेगा, यदि उसको कुछ भत्ता नहीं मिलेगा तो फिर वह कैसे आयेगा। इस सदन में आप देखें कि १० रुपया रोज मिलता है और हमारे लिये रहन-सहन के लिये अच्छा प्रबन्ध है फिर भी, अधिष्ठात्री महोदया, आपको कोरम के लिये घंटी बजानी पड़ती है। यहां का कोरम पूरा नहीं होता। जब वहां पर खर्चा नहीं मिलगा तो कौन वहां पर घर से आकर काम चलायेगा और वहां पर बैठकर सोचेगा ?

एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे मित्र खुशीराम जी ने कहा कि जो हम लोग एम० एल० ए० यहां पर चुनकर आते हैं उनके लिये भी स्थान उसमें जरूर होना चाहिये। मैं इसका विरोधी हूं। नहीं होना चाहिये। इस विधान सभा में सलाह देने के लिये किसी भी एम० पी० को, जो दिल्ली चुनकर जाते हैं, कोई अधिकार नहीं होता है कि वह यहां आकर सलाह दें। इसलिये जिला परिषद् में जब चुनाव हो जाय तो चुनाव के पश्चात् जो आदमी वहां पर आयें वही सब काम करें। हम एम० एल० ए० वहां पर क्या करेंगे ? एम० एल० एज० के लिये वहां पर कोई स्थान नहीं होना चाहिये जैसा कि हमारे जनसंघ के नेता दुबे जी ने कहा था।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें एक जगह यह कहा गया है कि इस प्रकार का व्यक्ति जो भ्रष्टाचारी और राज्यद्रोही है, उसकी सदस्यता के लिये खड़ा नहीं हो सकता। बड़ी खुशी की बात है। कभी नहीं होना चाहिये लेकिन उसके आगे पढ़ लिया जाय उसमें लिखा हुआ है कि ५ साल का समय बीत गया हो तो वह व्यक्ति वहां चुनकर आ सकता है। भ्रष्टाचारी हो, राजद्रोही हो और उसको सजा भी हो जाय तो ऐसे आदमी को कभी भी अधिकार नहीं देना चाहिये। यह क्या बात है कि वह ५ साल के बाद आ जाय। कोई कितना भी यहां पर अच्छा आदमी हो अगर उसको जाब्ता फौजदारी में सजा हो जाय तो उसके लिये कुछ नहीं रखा गया है कि वह आ सके। दो साल की भी अगर सजा हो गई तो वह फिर खड़ा नहीं हो सकता है। वहां उसके लिये प्रतिबन्ध ५ साल के बाद समाप्त कर दिया जा रहा है। मजिस्ट्रेट अब दो साल से ज्यादा ही सजा करते हैं। मैं समझता हूं ऐसा आदमी कोई भी नहीं मिलेगा। अच्छे आदमी ही सरकार से टकराते हैं और अगर वह टकराते हैं तो उनको सरकार की तरफ से बड़ी सजा होगी। उस व्यक्ति को खड़ा होने का अधिकार नहीं रहेगा। इधर २ साल की सजा वाले व्यक्ति को खड़ा होने का अधिकार नहीं है। उधर राजद्रोही व्यक्ति को सजा भी हो गई तो वह ५ साल के बाद खड़ा हो सकता है यानी जिसने देश के साथ गद्दारी की और देश को नीचे ले जाने की बात सोची उसको ५ साल का समय व्यतीत होने पर यह सरकार ठीक मानने लगेगी।

मैं समझता हूं आज हमारे इस विधेयक को, प्रवर समिति के सुपुर्द किया जा रहा है, लेकिन मेरा निवदन है कि इसको बिलकुल छोड़कर नये तरीके से अच्छे ढंग से, ठंडे मन से विचार करके सबकी राय लेकर सरकार इस तरह के विधेयक को लाये। आज तो माननीय मंत्री महोदय इसका समर्थन करेंगे ही, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा विधेयक उधर के बैठने वालों को भी अखरेगा और इस बात का अनुभव बाद में होगा। हमारे नेकराम जी कह रहे हैं कि अभी अखर रहा है। तो इसलिये मैं कहता हूं कि इस पर हमें ठीक प्रकार से सोचना चाहिये। यह नहीं सोचना चाहिये कि एक हवा है, इसलिये हम अपने हित की सारी बातें कर लें। समय आयेगा, आ सकता है कि जब मुश्किल पड़ जायगी। इसलिये पक्षपात की बात न करके, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को पूरा करने की चेष्टा न करके, हम जिस विधेयक को विकेन्द्रीकरण के लिये लाये हैं उसके द्वारा सच्चे मानों में विकेन्द्रीकरण को करना चाहिये।

एक और निवेदन करना है। आपने अध्यक्ष के लिये ३५ साल की उम्र का बंधन रखा है। इसके लिए और लोगों ने भी कहा है और मंत्री जी उसका उत्तर देंगे, लेकिन मेरी राय में यह प्रतिबन्ध इसमें कदापि नहीं होना चाहिये। इतना बड़ा सदन ह, बड़े-बड़े कानून यहां बनते हैं,

अनुभवी लोग हैं। लेकिन यहां कोई प्रतिबन्ध नहीं। लेकिन उसके लिये आपने वही प्रतिबन्ध रखा ह कि जो अपने देश के राष्ट्रपति के लिये है। जिला स्तर पर काम करने वाला कम उम्र का व्यक्ति भी योग्य और अनुभवी हो सकता है, वहीं से राजनीति शुरू होती है, लेकिन यदि वह आ जाय तो उसके लिये उम्र की डिस्क्वालिफिकेशन है। यह समाप्त होनी चाहिये और उसके लिये बालिग-मताधिकार के अनुसार व्यवस्था होनी चाहिये।

श्रीमन्, एक और निवेदन करना है और वह यह कि चुनाव का तरीका स्पष्ट होना चाहिये। अध्यक्ष के चुनाव के लिये आपने कहा है कि वह बैलट द्वारा होगा, लेकिन सदस्यों के लिये चुनाव किस प्रकार होगा यह नहीं दिया गया है। इसको विधेयक में स्पष्ट किया जाना चाहिये।

श्री त्रिलोकीसिंह--अधिष्ठात्री महोदया, मैं अपना सौभाग्य समझता यदि समाजवादी दल के माननीय नेता, जिन्होंने ३ घंटे भाषण देने की कृपा की, इस समय मौजूद होते। मेरी राय में इतने महत्व का विधेयक इस विधान सभा के कार्यकाल में कोई दूसरा नहीं उपस्थित हुआ। देर से काम हुआ और अगर यह मसला सामने रखा जाय--देर आयद दुरुस्त आयद--तो कोई शिकायत का मौका पैदा नहीं होता।

सन् १९४८ में इसी पार्टी की सरकार ने उस समय की विधान सभा में यह घोषणा की थी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के यह चुनाव थोड़े समय के लिये ही थे और वह बहुत जल्द ही नया मुकम्मिल विधेयक लायेगी जिसके अनुसार जिला बोर्डों का काम चलाया जायगा। ११ साल के बाद आज यह दिन देखने में आया कि इस इरादे ने एक शक्ल अख्तियार की। लेकिन मुझे हैरत हुई यह जानकर और देख कर कि पुराने जिला बोर्ड के जो कर्त्तव्य थे, जो फंक्शन्स और ड्यूटीज थीं और इस नये विधेयक में जो जिला काउन्सिल क कर्त्तव्य लिखे गये हैं, चाहे वह लाजमी हों अथवा डिस्क्रिशनरी, उनमें एक भी मामले में ऐसा नहीं है कि जिसमें अधिकार बढ़ाये गये हों। लफ्ज-ब-लफ्ज वे ही अधिकार हैं। कुछ मानों में घटाये गये हैं। पुराने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड किसी प्रकार के स्कूल की स्थापना कर सकते थे और चला सकते थे, नयी जिला कौंसिलें केवल जूनियर हाई स्कूल की स्थापना कर सकती हैं और उन्हें चला सकती हैं। शिक्षा के मामले में किसी पर रुकावट डालना यह इस सरकार ने एक नया उसूल बनाया है कि यदि कोई शिक्षा का काम करना चाहे तो उसके लिए भी मुमानियत हो, रुकावट हो। उसकी जीती-जागती मिसाल दफा १३३ में जिला कौंसिल बिल में मौजूद है। धारा १३४ में लिखा है कि डिस्क्रिशनरी फंक्शन्स के अन्तर्गत स्कूलों के सिलसिले में कुछ और काम कर सकते हैं, मगर स्कूल नहीं चला सकते। खयाल यह था कि मंत्री जी बड़ा मुकम्मिल मसविदा पेश करेंगे जिसमें पहले से ज्यादा अधिकार जिला काउन्सिल को प्राप्त होंगे, लेकिन पहले जितने अधिकार थे उनमें भी कमी की गयी है, केवल एक फिकरा जोड़ दिया गया है कि "प्लानिंग का काम ये करेंगी।" उसमें भी भ्रम है। एक धारा में स्टेट प्लानिंग लिखा हुआ है, दूसरी १३३ में लिखा हुआ है कि अपने जिले की प्लानिंग करेंगे। दोनों की शब्दावली एक है, ये ओवरलैपिंग सेक्शंस जो एक दूसरे की बात को दुहराएं, भ्रम पैदा करें इसस मंत्री जी के दिमाग का भ्रम स्पष्ट है। उनके इरादे की झलक इसमें आती है।

अधिष्ठात्री महोदया, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कुछ परम्परा है, कुछ उसूल हैं, यह जिला कौंसिल कानूनसाज असेम्बली नहीं है, यह है काम करने वाली जमाअत। उसके एग्जिक्यूटिव फंकशंस हैं। अस्पताल खोल, स्कूल खोल, कृषि का काम कर, यह अधिकार किसका होगा? बड़ा बुनियादी उसूल है कि लोकल अथारिटीज का काम व्यक्ति के द्वारा नहीं, कमेटीज के द्वारा होना चाहिए। सरकार का काम चलता है व्यक्ति के द्वारा, कमेटी के द्वारा नहीं। मंत्रिमंडल के पीछे जो लोग बैठे हुए हैं माफ करेंगे, चाहे वह मंत्रिमंडल के साथ हों, न साथ हों या मुंह से साथ हों लेकिन उन्हें एक व्यक्ति की लीडरशिप तस्लीम करनी पड़ती है। आज नेहरू गवर्नमेंट है, यह सम्पूर्णानन्द गवर्नमेंट है। लेकिन स्थानीय निकायों में कमेटियों द्वारा सब काम चलता है, और सारी पावर्स कमेटियों में वेस्टेड होनी चाहिए। लेकिन मैं हैरत से देखता हूं कि ७५ वर्ष

[श्री त्रिलोकी सिंह]

के तजुर्बे के बाद कार्य समिति का चुनाव होगा। क्यों नहीं पब्लिक हेल्थ कमेटी बनती, एजूकेशन कमेटी बनती, हाईवेज कमेटी बनती, वाच ऐंड वार्ड कमटी बनती, इन सारी कमेटियों में सारे काम होते ? कमेटी की मीटिंगों में मैं बहुत नम्रता के साथ और इत्मीनान के साथ अर्ज कर सकता हूं कि उनमें ज्यादा सदस्य आयेंगे, ज्यादा अच्छा काम होगा, सब खयालों का प्रतिनिधित्व होगा। लेकिन यहां एक कार्याधिकारी बना दिया गया। वह काम करेगा जिला कौंसिल का, मातहत होगा सरकार का। सरकार से क्या मतलब ? हमारे यहां संविधान है, उसकी हमने शपथ खाई है। उसमें लिखा है कि अगर कोई अपने अधिकार से बढ़ जाय, तजावुज करे, अनियमित काम करे तो दूसरा आदमी चाराजोई कर सकता है। वह आर्टिकिल २२८ के मुताबिक हाईकोर्ट जायगा, आर्टिकिल ३८ के मातहत सुप्रीम कोर्ट में चला जाय और रिट के लिए दरख्वास्त दे। रिट किस किस्म का ? मैंडेमस। किस किस्म का ? को-वारंटो। किस किस्म का ? शर्टियोरैरी। और यह भी लिखा हुआ है कि, "एनी अदर रिट आर सूटेबिल आर्डर।" तो अगर कोई ऐग्रीव्ड पार्टी हो, वह वहां जा सकती है। एक्सटर्नल कंट्रोल के क्या माने हैं ? डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल भंग की जा सकती है। कौन है भंग करने वाला ? क्या भंग करने वाले उनको चुनने वालों से ज्यादा काबिल होंगे ? वही बालिग मताधिकार से डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल चुनी जायगी और उसी से यह असेम्बली जो इस प्रदेश की सरकार के लिये अपना मंत्रिमंडल बनायेगी। तो जो उसको भंग करने वाला हो उसकी कम से कम अक्ल ज्यादा होनी चाहिए, उसकी शोहरत ज्यादा होनी चाहिये, उसकी काब्लियत ज्यादा होनी चाहिये और उसकी हैसियत ज्यादा होनी चाहिये।

अन्य सभ्य देशों में डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल पर नियन्त्रण होता है और मुझे आज खुशी है माननीय मुख्य मंत्री, नेता सदन को कोट करने में, उस दिन उन्होंने पता नहीं बिना समझे या समझ कर, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं समझ बूझकर-कहा था कि ५० फीसदी ग्रान्ट देने के बाद पुलिस पर, हालांकि पुलिस वहां लोकल अथारिटीज की है, ब्रिटेन की सरकार का पूरा नियन्त्रण है। मैं आज कहना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी से कि वह ५० फीसदी ग्रान्ट दें एजूकेशन को, ५० फीसदी एग्रीकल्चर को, ५० फीसदी मेडिकल को, ५० फीसदी सेनीटेशन को और ५० फीसदी हाईवेज को और उनका नियन्त्रण इन्सपेक्टोरेट के द्वारा करें, मुआइना कर सकते हैं। ग्रान्ट रोक दीजिये और फिर देखिये कि काम ठीक प्रकार होगा वरना वहां की जनता बिगड़ जायगी। लेकिन करते क्या हैं, मुअत्तल करते हैं।

मैं एक निजी वाकया बताना चाहता हूं। पहले इसी देश में, प्रदेश में म्युनिसिपैलिटी के सदस्य मुअत्तल नहीं किये जाते थे। बदकिस्मती से आज से २० साल पहले मैं लखनऊ जिला बोर्ड का चेयरमैन था। मेरा झगड़ा हुआ कमिश्नर से, झगड़ा हुआ सरकार से और शक्ल यह हुई कि सरकारी अधिकारियों की न चली। मैं चेयरमैन था, मैंने जिला मजिस्ट्रेट से कहा कि दूसरे कमरे में बैठिये, हमारी प्रोसीडिंग्ज वाच नहीं कर सकते हैं, हिस्सा नहीं ले सकते हैं, पुराने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट के अन्तर्गत वह हमारी कार्यवाही को नहीं देख सकते थे। मैंने कहा बाहर तशरीफ रखिये, चपरासी ज़रा कुर्सी डाल दो। उन्होंने मेरी रिपोर्ट सर मौरिस हैलेट से की और कहा कि मुअत्तल कर दो। मैंने उस पर लिखा कि क्या ख़लल दिमाग है, कानून में कोई गुंजायश नहीं है कि मुझे मुअत्तल किया जा सके। मैं तो बच गया। लेकिन मैं वह बदकिस्मत शख्स हूं जिसकी वजह से १९४१ में आर्डिनेंस निकला कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या म्युनिसिपैलिटी के सदस्य मुअत्तल किये जा सकते हैं।

शर्म की बात है, कलंक की बात है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को मुअत्तल करना। क्या कभी एसेम्बली के सदस्य मुअत्तल किये गये ? मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करना चाहता हूं कि क्या पार्लियामेंट के सदस्य मुअत्तल किये गये ? असेम्बली और पार्लियामेंट के सदस्यों को केवल, एलेक्शन ट्रिब्यूनल की आज्ञा से हटाया जा सकता है। जब किसी के

विरुद्ध शिकायत हुई तब क्या उसे निकाला गया। शिकायतें होती हैं, अपने स्थान का दुरुपयोग करते हैं लेकिन किसी प्रकार का एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है। कांस्टीट्यूशन के जो प्राविजन्स हैं वह उनके बिलकुल विपरीत है।

मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का बुनियादी उसूल क्या है? क्या इरादा है कि वहां राज्य सरकार का रूल हो? क्या किसी एक अधिकारी का रूल होना चाहिये? मुझे यकीन है कि अगर वह इतिहास के पन्ने उलटेंगे, अगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इंस्टीटयूशन्स की हिस्ट्री को देखने की कोशिश करेंगे, अगर हिन्दुस्तान में लार्ड रिपन ने जो लिखा था उसको देखने का प्रयत्न करेंगे तो उनमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि कमेटी का रूल। उन्होंने कमेटी के रूल को रूप दिया है केवल एग्जीक्यूटिव कमेटी का रूल। अन्य देशों में इसकी मिसाल नहीं मिल सकती है, मगर बदकिस्मती से इस प्रान्त में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सिलसिले में पहली बार १९४८ में कायम हुई। अंग्रेज एक अधिकार देते थे और फिर वापस लेने का प्रयत्न करते थे। आज उसकी क्या जरूरत? क्या आज कोई सन्देह करने की गुंजायश है? क्या आज किसी की नीयत पर शक करने की गुंजायश है? मैं कहूंगा कि हरगिज़ नहीं। यहां पर क्या अधिकार हैं? अगर किसी बड़े अधिकारी को नियुक्त करना हो तो उसकी मंजूरी सरकार से लें। इंगलैण्ड में काउन्टी काउन्सिल है बड़े से बड़े अधिकारी की नियुक्ति करती है, कुछ में केवल एप्रूवल होता है, इसलिये कि फिट पर्सन हो। इसके अलावा सारे अधिकार काउन्टी काउन्सिल के हैं। इस विधेयक में सरकार जिला परिषद् को भंग कर दे, सुपरसीड कर दे यह अधिकार है। किस को सुपरसीड कर दे? कौन होते हैं सुपरसीड करने वाले? क्या अपनी जेब से पैसा देते हैं? टैक्स के सम्बन्ध में नाना प्रकार की रोक लगाई है। केवल यह कर सकते हैं कि किस प्रकार से टैक्स लिया जाय। लेकिन यह क्यों करते हैं कि उनको २०० रुपया वार्षिक आमदनी वालों पर भी टैक्स लगाने का अधिकार दे रहे हैं। २०० रु० से साढ़े सात आना रोज की आमदनी होती है। अब जिसकी आमदनी साढ़े सात आना रोज़ होगी क्या उस पर आजकल के हिसाब से टैक्स लगाना चाहिये? लेकिन विधेयक में है कि एक एकड़ पर ३१ नये पैसे टैक्स होगा। यह अधिकार उन्हीं को होना चाहिये कि वह किस आधार पर लोकल रेट लगायें। लखनऊ में २९ अस्पताल हैं और आजमगढ़ में, हालांकि आबादी चौगुनी है, उतने नहीं हैं। अब लखनऊ वाले ५० पैसा टैक्स लगा सकते हैं और आजमगढ़ वाले १० नया पैसा लगा सकते हैं। कोई सरकार नहीं होनी चाहिये। मैं उम्मीद करता था माननीय मंत्री से कि जिस वातावरण में उन्होंने परवरिश पायी है और जिस वातावरण में उन्होंने अपनी जिन्दगी का ज्यादा हिस्सा गुजारा है, उसके लिये उन्हें भी फख्र होना चाहिये और मुझे भी है, वह ध्यान रखेंगे कि जनता के अधिकारों पर, कम से कम नियंत्रण हो। महात्मा जी की बात को वह याद करें जो कहते थे कि "वैस्ट गवर्नमेंट इज़ दैट गवर्नमेंट विच गवर्न्स दि लीस्ट"। लेकिन यहां तो हर मौके पर एक कील लगा दी है। यह सब किस नजरिये से कर रहे हैं? वह अपने मुख्य मंत्री जी की बात को याद करें और उसका अनुसरण करें, वह उनके नेता हैं। हालांकि मैंने उस दिन उनकी बात काट दी थी। उन्होंने कहा था कि पुलिस के लिये ५० प्रतिशत ग्रान्ट देकर और सर्विस रेग्युलेशन्स बना कर उसके कार्य पर कंट्रोल हो जाता है। सन् २२ में कलेक्टर की चेयरमैनी खत्म हुई। उसी वर्ष इस प्रदेश की सरकार ने एक कमेटी बनायी जो कीन कमेटी के नाम से प्रसिद्ध है और पब्लिक वर्क्स कमेटी कहलाती है। वह उन अंग्रेजों ने और हिन्दुस्तानियों ने लिखी है जिनको हम पिछड़ा हुआ या दकियानूसी कहते हैं, हमको उनका आदर करना चाहिये। उन्होंने कहा कि सारी सड़कों को चुने हुए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को दे देना चाहिये लेकिन आज की सरकार यह कार्य उनको देने को तैयार नहीं है। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, केवल बुनियादी तौर पर यह अर्ज करूंगा कि कमेटी का नियंत्रण होना चाहिये। काउन्सिल के ऊपर किसी भी प्रकार का एक्जीक्यूटिव कन्ट्रोल सरकार का

[श्री त्रिलोकी सिंह]

नहीं होना चाहिये सिवाय इसके कि अगर उनका काम ठीक नहीं है तो ग्रान्ट रोक दे अथवा बंद कर दे । लेकिन वह कहां से धन लायें किस प्रकार से लायें, किन पर टैक्स लगायें, इसमें सरकार को नहीं पड़ना चाहिये । केवल यह बता देना चाहिये कि इस प्रकार के कर वह लगा सकते हैं ।

मैं यह भी अर्ज करूं कि इंगलैंड में यह दस्तूर है कि अगर किसी इस प्रकार की संस्था को किसी काम के लिये जरूरत है और उसका और किसी प्रकार से प्रबंध नहीं हो पाया है तो टैक्स लगाने के लिये वह पार्लियामेंट से दरख्वास्त करती है, यदि पार्लियामेंट की इजाजत उसको मिल जाती है तो वह टैक्स लगा देती है । एक काउन्टी काउन्सिल का दूसरी काउन्टी काउन्सिल के अधिकारों में बड़ा फर्क है, उनके तरीकों में भी फर्क है ।

११ साल के बाद तो यह नौबत आयी । डेढ़ वर्ष लग गये इस मसविदे को तैयार करने में, लेकिन आज भी जो प्रस्ताव है उसमें कोई समय नियत नहीं है । मैं उम्मीद करूंगा कि माननीय मंत्री अपने प्रस्ताव को इस प्रकार संशोधित करेंगे जिसके लिये मैं इस आदरणीय सदन में भी प्रार्थना करूंगा संयुक्त प्रवर समिति को कि रिपोर्ट अधिक से अधिक ९० दिन के अन्दर आ जानी चाहिये । मुझे अन्देशा है कि कहीं ऐसा न हो कि डेढ़ वर्ष तक रिपोर्ट ही न आवे क्योंकि नगर-पालिका बिल के सम्बन्ध में मैं देख चुका हूं कि उस की रिपोर्ट आ गई तो भी वह डेढ़ वर्ष तक सदन को विचार करने का अवसर ही न मिला । आज भी हम कुमायूं जमींदारी एबालिशन बिल को देख रहे हैं कि वह एजेंडे पर बराबर आता है और फिर टाल दिया जाता है, भगवान जाने कि वह कब पेश होगा । इस तरह से टालमटोल न कीजिये और ९० दिन के अन्दर ही संयुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट को पेश करने के बाद अपने प्रस्ताव में रखिये । मुझे दुख है इस बात के कहने में लेकिन मैं किसी की नीयत पर शुबहा नहीं कर रहा हूं, समय का निर्धारण मैंने ९० दिन का जान-बूझ कर इसलिये किया है कि ३०० सेक्शन से ज्यादा का यह बिल है और उसके लिये कम से कम १०, १५ बैठकें होंगी ही तो इतना समय तो उनको रिपोर्ट प्रस्तुत करने में लग ही जायगा । अगर मंत्री जी अपने प्रस्ताव में ९० दिन के अन्दर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बात रख लें तो मैं इस प्रस्ताव का सहर्ष समर्थन करूंगा लेकिन यदि वह ऐसा संशोधन नहीं करते हैं तो मुझे बहुत दुख है कि इस प्रस्ताव का समर्थन करने में मैं अपने को असमर्थ पाऊंगा ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—महोदया, मैं इस माननीय सदन का बहुत आभारी हूं कि इस सदन ने ४ दिन तक लगातार अपने विचार इस विधेयक पर दिये । जैसे विचार आये हैं, जो सुझाव आये हैं, मैं अनुभव करता हूं कि उनमें से कुछ बहुत ही विचारणीय हैं और मैं इस सदन को विश्वास दिलाता हूं कि उनमें से जो मौलिक हैं, जिन पर आमतौर से लोगों ने, माननीय सदन ने जिनको उचित समझा है उनका समावेश जिस स्थिति में वह प्रवर समिति में जायगा उसमें करना चाहूंगा, और मुझे यह निश्चय है कि जो माननीय सदस्य प्रवर समिति में इस माननीय सदन की मार्फत नियुक्त किये जायंगे वे भी उनका खयाल रखेंगे ।

इतना ही नहीं, मैं विरोधी दल के माननीय नेता से यह प्रार्थना करता हूं कि वे मुझे मजबूर न करें कि मैं उनका यह सुझाव मान ही लूं । लेकिन अगर वे विश्वास कर सकते हैं तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं ३ महीने के अन्दर ही इस रिपोर्ट को इस माननीय सदन में पेश कर सकूं । और मुझे दुख ही नहीं होगा बल्कि मुझे लज्जा भी होगी अगर हम ऐसा नहीं कर सकेंगे ।

मुझे एक बात से और भी खुशी हुई और आनन्द हुआ गो कि वह बात हर वक्त मैं उस आनन्द का भोग नहीं कर सका हूं कि अधिक माननीय सदस्यों ने इस बात का खयाल नहीं किया कि वे किस पार्टी के हैं और किस दृष्टि से उनको राय देनी चाहिये, बल्कि उन्होंने जो ईमानदारी के साथ अपनी राय समझी, वह दी है और इसलिये वह राय महत्व रखती है, उसका आदर होना चाहिये। उस का आदर करना चाहिये, मुझे अगर कुछ शिकायत है तो सिर्फ इतनी कि जहां उन्होंने अपनी ईमान-दारी, नेकनीयती पर यकीन किया वहां वह यह यकीन न कर सके कि दूसरी तरफ से भी शायद उतनी ही नेकनियती से यह प्रस्ताव रखा गया होगा, शायद उन्हें शक है हमारा कि इस सरकार

की ताकत को परपीचुएट करने का विचार है । जिस समय मैंने यह बिल पेश किया था उसी समय मैंने निवेदन किया था कि ईश्वर करे इस प्रदेश की जनता एक व्यवस्थित जीवन का उपभोग बरसों तक कर सके, इस बिल या ऐक्ट के रूप में और बरसों तक यह प्रदेश में चले अपने अनुभव से हम इसमें संशोधन करेंगे और हमारे बाद हमारी भावी सन्तति भी आवश्यकतानुसार इस को संशोधित करेगी, कुछ परिवर्तन करेगी लेकिन जो ढांचा हमने मोटे तौर पर बनाया है वह शायद कायम रहेगा और इस लम्बे अर्से में न मालूम कितनी बार पार्टियों के एलाइनमेंट्स बदलेंगे, इधर से उधर सत्ता आयेगी, जायेगी । लेकिन यह समझना कि हम आज जो कुछ बना रहे हैं वह सिर्फ दो-चार या दस साल के लिये बना रहे हैं और यह समझ कर बना रहे हैं कि हमारे हाथ में ही ताकत अक्षुण्य बनी रहे मेरा खयाल है कि जिन माननीय सदस्यों के हृदय में यह सन्देह रहा उन्होंने शायद पूरे विचार से और सेल्फ कानफिडेंस से, जो उन में होना चाहिये, काम नहीं लिया और नाहक ही वह परेशान और भयभीत हुए ।

महोदया, डेमोक्रेसी की भी कुछ बात यहां की गयी । मुझे भी थोड़ा सा उसे समझने का अवसर मिला है । बार बार यहां कहा गया कि मेरा सम्बन्ध राष्ट्रपिता से भी थोड़ा रहा है । एक माननीय सदस्य ने तो यहां तक कह दिया कि मैंने जो भाषण दिया वह तो विचित्र भाई की हैसियत से, व्यक्तिगत हैसियत से दिया लेकिन जो बिल मैंने पेश किया वह एक मंत्री की हैसियत से किया । कितना गलत खयाल है यह एक गांधीवादी की बाबत कि वह एक हैसियत में एक काम करता है, दूसरी हैसियत में दूसरा काम करता है और तीसरी हैसियत में तीसरा काम करता है । यह नहीं कि उस के फंक्शन अलग अलग नहीं हो सकते बल्कि उस के मौलिक विचार और सिद्धान्त भी बदल जाते हैं, यह कोई नया तरीका किसी की तारीफ का हो सकता है । मैंने समझा कि यह बात मेरी तारीफ में नहीं बल्कि व्यंग्य में कही गयी थी लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस विधेयक में कमियां हैं । वह नहीं हैं, यह मैं नहीं कहता, लेकिन इसका जो ढांचा है उसे अगर नेक नीयती से देखा जाय तो वह अवश्य ही प्रदेश को आगे ले जाने वाला होगा । सब चीजें हम इस में अभी नहीं ला सके हैं और हम अनुभव करते हैं कि दो-तीन विभागों को छोड़कर अन्य विभागों ने अपने विचार इस दृष्टि से तय नहीं किये हैं पर इसमें यह विधान रखा है कि 'ऐज एन्ड व्हैन' । जब जरूरत हो तो वह दे सकें । मैं आशा करता हूं कि जितना कंट्रोल शिक्षा आदि का करने में वह बाडी समर्थ हो सकेगी हम अधिक से अधिक हस्तान्तरण शक्ति का जिला स्तर पर करेंगे, इस की गुंजायश इस में है । जो चीजें वह कर सकें उन के लिये उन्हें ज्यादा से ज्यादा बल मिलना चाहिये लेकिन मौजूदा परिस्थिति में इस से ज्यादा और हम क्या कर सकते थे, पंचायतों को दिया, टाउन एरियाज को दिया । कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि इस में नोटिफाइड एरियाज का जिक्र नहीं हुआ है । वह जानबूझ कर नहीं किया है क्योंकि म्युनिसिपैलिटीज और नोटिफाइड एरियाज को हमने समझा कि उनकी प्राब्लम्स भिन्न हैं उन प्रश्नों से और समस्याओं से जो कि जिला स्तर पर और ग्रामीण वातावरण में होती हैं, और यह समझ कर कि उनके प्रति ठीक से न्याय नहीं हो सकेगा, उनके प्रश्नों को उतना महत्व नहीं मिल सकेगा, इसलिये नहीं रखा । इसलिये नहीं कि हम अपने हाथ में ताकत रखना चाहते हैं । बल्कि इसलिये कि हम नया काम करने जा रहे हैं, देख लेना चाहिये कि वह कितना कर सकते हैं और अगर सुचारु-रूप से कर सकते हैं तो, जैसा मैंने कहा था, हम सोच सकते हैं कि आगे बढ़ें । पचास हजार और एक लाख की म्युनिसिपैलिटीज का भी नियंत्रण हम जिला स्तर पर ट्रांसफर कर दें । कोई कठिन बात नहीं है, यह हो सकता है । मैं समझता हूं कि जिस तरह से डेमोक्रेसी को वर्क करना चाहिये उस दृष्टि से अगर इन परिषदों का कार्य संचालन हो तो यह चीज असम्भव नहीं है, निकट भविष्य में हो सकती है । लेकिन डेमोक्रेसी हो, जनतंत्र को मौका मिले ।

अगर मुझे सिर्फ एक कल्पना में विधेयक बनाना होता जिसे इस प्रदेश में लागू न करना होता, कोई किताब लिखनी होती, कोई थीसिस लिखनी होती, तो शायद मैं भी कल्पना की उड़ान कर सकता था । लेकिन जो वास्तविकता है मैं उससे अपनी आंखें बन्द नहीं कर सकता हूं ।

(इस समय ४ बजकर ३ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

[श्री विचित्र नारायण शर्मा]

आते हैं मेरे पास प्रश्न, उनका हल हमें निकालना पड़ता है । माननीय विरोधी दल के नेता तथा उस तरफ बैठने वाले सदस्यों के लिये बहुत आसान है कह देना कि यहां कुछ नहीं करना चाहिये, कोई अधिकार नहीं होना चाहिये आपको हस्तक्षेप करने का । लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं । प्रश्न आते हैं कि म्युनिसिपल बोर्ड की और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की प्रापर्टी का लोग अपहरण कर रहे हैं । मैं बैठा हुआ देखता रहूं, यह उचित नहीं है । सिर्फ ऐसे मौके पर जहां निश्चित रूप से पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा करना हो, यह रखा है ।

वाटर वर्क्स हमने बनाये । यह सही बात है कि म्युनिसिपैलिटी का इस समय प्रश्न नहीं है । लेकिन जहां तक सिद्धान्त का ताल्लुक है, जनतंत्र और लोकतंत्र का ताल्लुक है, मैं जो कह रहा हूं वह महत्व रखता है और उसका संबंध इससे है । चार-चार, पांच-पांच वर्ष तक वाटर वर्क्स बनकर खड़े रहें और म्युनिसिपैलिटीज ने लेने से इंकार कर दिया । ग्रान्ट दी गई ड्रेनेज के वास्ते, लेकिन म्युनिसिपैलिटीज ने अपना पार्ट अदा नहीं किया । चार, पांच लाख रुपचा खर्च करने के बाद वह रुपया पड़ा रह गया और हम और रुपया खर्च नहीं कर सके, ड्रेनेज नहीं बन सकीं । मैं कितने ही उदाहरण दे सकता हूं । क्या आप मुझसे यह आशा करेंगे, सरकार से यह आशा करेंगे कि हम बैठकर देखते रहें । आज करोड़ों रुपया सरकार देती है । केन्द्र से उधार लेकर इन संस्थाओं को देती है । उसकी जिम्मेदारी है कि यह पैसा अदा हो सके और शर्तें पूरी हो सकें ।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि जिस तरह से केन्द्र यहां पर हस्तक्षेप नहीं करता है उसी तरह से प्रदेश की सरकार को भी इनमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये । मेरे माननीय मित्र विरोधी दल के नेता केरल को भूल नहीं गये होंगे । सबसे अधिक उनकी पार्टी की ओर से इस बात के लिये जोर था कि केन्द्रीय सरकार प्रदेश की सरकार के मामले में हस्तक्षेप करे और जब यह कंसीड कर सकते हैं तो यह सोचना कि एक डिस्ट्रिक्ट के अन्दर सब चीजें इतनी अच्छी तरह से चलेंगी कि कहीं भी कोई गलती हो ही नहीं सकती है । मुझे खुशी होगी ऐसा हो । मुझे आनन्द होगा कि हस्तक्षेप करने की आवश्यकता ही न पड़े ।

श्री त्रिलोकीसिंह--मैं यह दरयाफ्त करना चाहता हूं केन्द्रीय सरकार से कितनी ग्रान्ट इनको मिलती है पब्लिक हेल्थ के लिये, ऐजूकेशन के लिये, या और कामों के लिये जो हस्तक्षेप करे ? वहां हस्तक्षेप सिर्फ एक बात पर हो सकता है कि कांस्टीट्यूशन का फेल्योर हो ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--तब और भी हमारे लिये जायज होता है हस्तक्षेप करना । वहां एक पैसा भी नहीं देते लेकिन जनहित में आवश्यक हो सकता है हस्तक्षेप करना । यहां पैसा भी देते हैं लेकिन हस्तक्षेप न कर सकें चाहे कितना ही जनता के पैसे का दुरुपयोग हो, यह अजीब सी बात है ।

माननीय पालीवाल जी ने कहा था कि एक आध आदमी भी क्या हमको हर जिले में नहीं मिल सकते जो अच्छी तरह प्रबन्ध कर सकें ? आखिर हम लोग आकाश से नहीं आये हैं । लेकिन सेटिंग का फर्क है । यहां पर किसी को मुअत्तल करने का सवाल नहीं हो सकता है क्योंकि माननीय त्रिलोकी सिंह जी चाहें तो भी किसी की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकते । यहां इसकी गुंजायश इतनी कम है । हमने ऐसा सिस्टम बनाया है कि जिसके अन्दर कोई आदमी यहां या वहां आये जाये, अन्तर होता रहे लेकिन गवर्नमेंट चलती रहती है और प्रबन्ध अच्छा से अच्छा चल इसकी कोशिश जितनी इस तरफ बैठने वालों को करनी पड़ती है उतनी ही उनको उस तरफ बैठने वालों को करनी पड़ती है । यह तो शुरुआत है हम अभी यहां १२ साल से बैठे हुए हैं । अगर आदान-प्रदान होता रहता तो न तो हम अपने सर्वेन्ट्स को शक की निगाह से देखते और न वे बातें होतीं जो आज हम सोचते ह । फ्रांस को देखें हर २, ३, ४ महीने बाद सरकार आती थीं, चली जाती थीं लेकिन राष्ट्र का काम ठीक चलता रहता था ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---लेकिन अब वहां कांस्टीट्यूशन बदल गया है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--अब जो बदला है उसको चौखम्भा वाले दोस्त पसन्द नहीं करेंगे। मेरा खयाल है कि शायद हमारे कम्युनिस्ट दोस्त कुछ खुश हो जायं कि वहां एक आदमी का नियंत्रण हो गया, एक आदमी की सत्ता हो गई है, लेकिन साधारण आदमी जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं उनको इस पर गव नहीं हो सकता। वहां पर सरकार बदलती थीं लेकिन देश प्रौसपैरिटी की तरफ गया बावजूद इसके कि अलजीरिया की नष्ट करने वाली लड़ाई में वे लगे रहे फिर भी उनकी वैलबीइंग बढ़ी, उत्पादन बढ़ा। यह है, इस दृष्टि से। जो चेन्जेज होते हैं उनका असर रोजमर्रा के काम पर नहीं पड़ता है और श्रीमन्, जो विधेयक महापालिकाओं के सम्बन्ध में हमने पास किया उसमें इस सिद्धान्त को हमने तसलीम किया कि पार्टीज के रोज के बदलने से जो महापालिकाओं के काम हों वे खराब न हों। यह पैटर्न हमने माना और आज डेमोक्रेसी का ऐक्सेप्टेड प्रिंसिपल है कि जो पालिसी ले डाउन करती हैं वे एग्जीक्यूटिव से थोड़ा अलग रहें, डिटैच्ड रहें। कन्ट्रोल उसको करें लेकिन खुद उसमें न पड़ें . . . . .

श्री प्रतापसिंह---जरा फिर दोहरा दीजिये।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---जो पालिसी मेकिंग बाडी है, जो ला मेकिंग बाडी है वह डे टु डे के एग्जीक्यूटिव वर्क में दखल न दें।

श्री रूमसिंह--माननीय मंत्री जी अंग्रेजी बोलने का ज्यादा यत्न कर रहे हैं। हिन्दी में भी बता दें।

श्री अध्यक्ष---(स्वायत्त शासन मंत्री से) वह सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं कि हिन्दी में अनुवाद कर दीजिय। जो "ला मेकिंग" शब्द है उसे वे समझते नहीं हैं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--मैं थोड़ी देर के लिये माननीय राजनारायण के चरण चिन्हों पर चलना चाहता था। जिस समय वे कल अपना धारा प्रवाह भाषण दे निकले थे तो अंग्रेजी के, हिन्दी के जो भी शब्द उनके मुंह या दिमाग में आते थे सुरसा के मुंह की तरह से निकलते जाते थे। मैं भी थोड़ा जोश में था।

श्री अध्यक्ष--उनके भाषण को वे समझना नहीं चाहते थे, आपके भाषण को समझना चाहते हैं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--मैं कोशिश करूंगा कि अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग मैं कम करूं और जहां कर दूं तो हिन्दी के पर्यायवाची शब्द भी साथ में रख दूं। आचार्य कृपलानी कहा करते थे कि हिन्दुस्तानी जोश में आता है तो अंग्रेजी में बोलने लगता है। इतने प्रोवोकेटिव भाषण यहां हुए थे, खास तौर से डेमोक्रेसी की बात उसमें कही गयी थी। हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी का जहां तक ताल्लुक है वह गांव और जिले के स्तर तक रहे, वहां तक तो डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है लेकिन स्टेट लेविल पर डेमोक्रेसी से बुरी चीज कोई नहीं है। जो मजारिटी से यहां आये हैं उनको कोई अधिकार न हो, रोज नो कांफिडेंस मोशन उनके सामने आना चाहिये। डेमोक्रेसी होने के लिये कुछ एक्सेप्टेड प्रिन्सिपुल्स हैं, कुछ कंसंट्रेशन आफ इश्यूज हो, कुछ पैरिटी आफ थाट्स हो, यह नहीं कि एक चीज के पचासियों हल हैं, ऐसी जगह डेमोक्रेसी हो नहीं सकती। वेल इक्विप्ड हम हों। अच्छी तरह से नियंत्रित हों। हमारे यहां हम देखते हैं कि ६,६ और ७, ७ पार्टियां यहां हैं। रोज नित नयी बनती जाती हैं। यह डेमोक्रेसी के लिये कोई शुभ लक्षण नहीं है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--कांग्रेस में क्या है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--यह और भी दुख की बात है । मेरी बात से साफ है कि कांग्रेस के अन्दर भी ऐसा है तो उससे तो मेरी बात और भी सिद्ध होती है। सारे प्रदेश के अन्दर से चुन कर लोग यहां आते हैं, मलाई सारे देश की यहां आती है उसको कंट्रोल करने के लिये हम लोगों को और माननीय अध्यक्ष महोदय को परेशानी हो जाती है । तो उस पर यह कल्पना करना कि जिले के स्तर पर डेमोक्रेसी ज्यादा अच्छी चलेगी और सरकार को या किसी को भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करना पड़ेगा यह दिमाग पर ज्यादा प्रेशर होने की वजह से समझ में नहीं आता है। हमारे माननीय मित्र राजनारायण जी ने एक चित्र खींचा। मैं ज्यादा तो समझ नहीं सका और मैं समझता हूं कि इस माननीय सदन में भी बहुत कम सदस्य ऐसे होंगे जो उनके चित्र को समझ पाये होंगे। हां, इतना मैं जरूर समझा कि वे यह चाहते हैं कि जनमत के मुताबिक समझ-बूझ कर जनता अपना प्रबन्ध करे और उनका ख्याल यह है कि अच्छी डेमोक्रेसी को अगर कोई रिप्रेजेंट करता है तो बाबू राजनारायण जी करते हैं और वे यह चाहते हैं कि देश अन्धा होकर बिना समझे हुए उनको फालो करे और यही जनतंत्र हो जायगा। जिस चीज को जनता समझे भी नहीं, जो चीज उसके दिमाग के अन्दर भी न आ सके उस चीज के मुताबिक जनता जब तक काम नहीं करती है तब तक वह जनतंत्र से बहुत दूर है और जनतंत्र राजनारायण और लोहिया साहब का तभी आयेगा जब जनता बिना समझे-बूझे उसे मान ले।

श्री उग्रसेन--यह अर्थ कहां है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जिस चीज को जनता समझे नहीं, जिसे पसन्द भी न करती हो उसके मुताबिक देश का काम चलेगा यह बिलकुल गलत है, जनतंत्र के विरोध में है। राजनारायण जी को इतनी नम्रता सीखना चाहिये, अपनी इच्छाओं को दूसरों पर न लादें जिन्हें वे जबरदस्ती करके लादना चाहते हैं। और इस माननीय सदन के अन्दर दिक्कत होती है। साधारण जो शिष्टाचार के नियम हैं उनके मुताबिक काम नहीं करते हैं और चाहते हैं कि हम जिला स्तर पर जो पिक्चर बनायें उसमें एक नहीं अनेक केरल बन जायं और अपने हाथ से खुदकशी करें। विकेन्द्रीकरण का मतलब उनका यह है कि जो जो हो वह करें। श्रीमन्, कोई भी काम हम करेंगे उसके लिये हम इस सदन के प्रति आन्सरेबिल हैं। अगर हम अन्धे होकर अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे तो हमारे से यहां पर एक्सप्लेनेशन काल किया जा सकता है। कल ही दोगड्डा के चेयरमैन महोदय की बाबत मेरे से कैफियत तलब हुई और मैंने दी। जहां तक उसमें मेरे मन के अन्दर पाप होगा मुझे कठिनायी हुई होगी उसको जस्टिफाइ करने में। लेकिन यह समझना कि इस हाउस का नियंत्रण कुछ नहीं है, हाउस का नियंत्रण रखना ही गलत है, श्रीमन्, ऐसा नहीं है। वास्तव में हम डेमोक्रेसी इसलिये चाहते हैं कि आज जो हमारे यहां की स्थिति है उस हम बदल सकें। हम आज की स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं। स्थिति बदलेगी और अगर हमने समझदारी से काम लिया, एक दूसरे के विचारों का आदर किया तो इस देश में पंचायतराज, लोकतंत्र पनपेगा, फलेगा और फूलेगा और तब हमको ऐसे आदमी मिल सकेंगे कि आज जो हम यह नियंत्रण रख रहे हैं यह कभी भूतकाल की बात हो जायगी और उसी का जो नक्शा बनाया है वह ऐसा बनाया है कि जिन प्रलोभनों में पड़कर झगड़ा होता है वह प्रलोभन उनके सामने कम से कम हों। एप्वाइंटमेंट्स को लेकर जो पार्टीबाजी होती है, जिनकी बाबत हम कहते हैं भाई भतीजावाद, अक्सर उस तरफ से यह शब्द सुनने को मिलता है, वह एप्वाइंटमेंट्स पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हों, कमेटीज के द्वारा हों। अगर वे पक्षपात करेंगी भी तो कुछ आदमियों तक वह लिमिटेड रहेगा, कम से कम सारे सदस्य उससे प्रभावित नहीं होंगे और इस वास्ते उनके डिसीजन्स ज्यादातर सही होंगे। अगर अविश्वास की दृष्टि से हम देखेंगे तो आज की स्थिति में दो कदम भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे।

मेरे से पहले माननीय नेता विरोधी दल का भाषण सुनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। हैलेट साहब के ऊपर जो उनको गुस्सा था वह सारा हमारे ऊपर उन्होंने उतार दिया।

श्री त्रिलोकीसिंह--मैं बच गया, मुझको नुकसान नहीं पहुंचा।

एक सदस्य--कारण तो आप ही हैं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--कारण मैं हूं निश्चयपूर्वक। उन्हें शिकायत है कि मैंने बहुत सी कमेटीज नहीं बनायीं। ठीक है, जानबूझ कर नहीं बनायीं। इसलिये नहीं कि बननी नहीं चाहिये बल्कि इसलिये कि हम समझते हैं कि जिनको हम ये सारे अधिकार दे रहे हैं उनमें इतनी योग्यता होगी। हम एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाते हैं और इसलिये बनाते हैं कि हम इसकी सारी ताकत को बिखेर नहीं देना चाहते हैं। यह एग्जीक्यूटिव कमेटी एक यूनीफाइंग लिंक होगी और उसके मातहत सारी दूसरी कमेटियां होंगी।

श्री प्रतापसिंह--प्लानिंग कमेटी क्यों रखी है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--प्लानिंग कमेटी दूसरी चीज के लिये रखी है। वह तो श्रीमन्, उन लोगों के लिये है जो आदमी यहां नहीं घुस सकते थे, उनके लिये, एक क्षेत्र बना दिया गया जहां वह हाथी चला जायगा तो गरीब जनता कुचली नहीं जायगी। इसलिये किया है। इस दृष्टि से आप देखें श्रीमन्, कि एक यूनिटी कायम रहे, एक यूनिटी आफ कंट्रोल कायम रहे और एक चीज लाई जा सके और उसके मातहत सब कमेटियां हों और वह आला दिमाग आदमी जो प्रान्त को चला सकते हों, जो प्रदेश के मुख्य मंत्री इत्यादि हो सकते हों, वह लोग एक एक समिति के अध्यक्ष हो जायं। और सब लोग बैठ कर समिति में काम करें और फिर यहां पर एक्सचेंज आफ थाट्स हों। इसलिये दो समितियां रखी गई हैं। एक समिति वह है जिसका सबके ऊपर नियंत्रण रहेगा और दूसरी लेखा समिति है जो खर्चे के हिसाब पर नियंत्रण रखेगी और बताती रहेगी कि इतना खर्चा हो रहा है। बिना नियंत्रण के अकाउन्ट्स ठीक नहीं हो सकते हैं।

श्री प्रतापसिंह--किसी और देश में ऐसा हुआ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--श्रीमन्, और कहीं अहिन्सा से स्वराज्य नहीं हुआ। इस देश के करोड़ों आदमी जो...

श्री त्रिलोकीसिंह--श्रीमन, मैं माननीय मंत्री जी से पूछूंगा कि किसी और देश में ऐसा है जहां एग्जीक्यूटिव कमेटी हो?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--श्रीमन्, प्रदेश को यह गौरव प्राप्त है कि यह दूसरों को रास्ता दिखाता है। पंचायत राज्य यहीं से शुरू हुआ। किसी प्रदेश में भी पहले पंचायत नहीं बनी थीं। ५१ जिलों में कांग्रेस जीत नहीं सकती है, ऐसा आपका दावा है। तो यह आपके लिये ही हो रहा है। मैं आपको एक मौका दे रहा हूं। मैं यह वायदा कर सकता हूं कि नाजायज हस्तक्षेप नहीं करूंगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आज हम वह नहीं हैं जो होना चाहते हैं। आज हमारा शैशवकाल है। शायद थोड़ा हाथ पकड़कर ले जाने की जरूरत है और ऐसे बच्चों को शिक्षा देना है जो गोद में से उतर पड़ते हैं। आज हमें उन लोगों की मदद करना है जो चाहते नहीं हैं और हमको अपना दुश्मन समझते हैं। लेकिन हम में इतनी अक्ल है, इतनी भलमनसाहत है, इतनी सहृदयता है कि हम समझते हैं वह भी हमारे गुमराह भाई हैं और इस वास्ते हम उनको इस रास्ते से वापस लाना चाहते हैं ताकि वह देश के रचना के काम में सहयोग दे सकें। बड़ी-बड़ी शक्ति और यह विशाल शरीर तोड़ने के काम में न लगें बल्कि देश की रचना के काम में लगें और माता की सेवा के काम में लगें। यह उनके लिये मौका है। लेकिन हर चीज को शक और सन्देह की दृष्टि से देखना ठीक नहीं है।

हमारे मित्र माननीय गोविन्द सहाय जी ने फरमाया, क्योंकि वह हमारी पार्टी में सबसे अधिक सोचने-विचारने वाले व्यक्ति हैं, कम से कम उनको इसमें शक नहीं है। उन्होंने एक बात बहुत मार्के की कही, ट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट की। या तो ट्रस्ट करो या डिस्ट्रस्ट। क्या ट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट के बीच की स्थिति हो ही नहीं सकती, थोड़ी-सी आशंका यह भी बनी रहे कि बच्चा नहाने

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

जा रहा है कहीं डूब न जाय, ऐसी आशंका उसकी मां या भाई करे ही नहीं ? क्यों यह समझा जाता है कि हर आदमी समाज के अन्दर एक दूसरे का दुश्मन है, हर इन्सान एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए आमादा है और यह मौका ढूंढ़ रहा है कि जैसे मौका मिले वह उसकी छाती पर चढ़ बैठे ? जनतंत्र इस भित्ति पर, इस वैज्ञानिक मनोदशा पर सम्भव नहीं है।

हम चाहते हैं कि लोगों को अवसर मिले। लोग गलती कर सकते हैं अच्छी से अच्छी भावना के साथ। उसके उदाहरण हमारे सामने हैं, इस समय बैठे हुए हैं। भावनाएं अच्छी हैं, रास्ता गलत है। खुद ही नहीं दूसरों को भी साथ लेकर चलते हैं। बहुत से दोस्तों ने फरमाया कि यह रिट्रोगेट स्टैप है। किसी ने कहा कि जितने अधिकार आपने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को पहले दिये थे वह भी आपने छीन लिये। उसमें सब से बड़ा अधिकार डाइरेक्ट एलेक्शन का था। जिस समय मैंने इस विधेयक को पेश किया था तो मैंने निवेदन किया था कि उसूलन यह सिद्धान्त अच्छा है। मैं स्वयं इसकी अच्छाई को महसूस करता हूं। मैंने जितने भाषण सुने मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर मैं इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों की राय को स्वीकार कर सकूं, उसके मुताबिक हम इस बिल का सुधार कर सकें तो यह बिल निश्चित रूप से अच्छा हो जायगा। मैं स्वीकार करता हूं। इसलिए उस धारणा को लेकर जो लोग चले थे कि यह सरकार उन पंचायतों की मार्फत जो कि डंडे के जोर पर आ गये हैं--हमारे एक मित्र हैं जिनकी मूछों को देख कर लोग डरते होंगे, उन्होंने भी यही कहा कि पंचायतों में डंडे के जोर से लोग चले आये हैं। ठीक है। लेकिन मैं बताऊं उसमें भी ७५ फीसदी के करीब चुनाव निर्विवाद हुए हैं। प्रधान को लेकर सबसे अधिक झगड़े हुए हैं। वह भी न होता अगर चुनाव बैलेट से होता। मैं मानता हूं। लेकिन मैं डाइरेक्ट चुनाव पसन्द करता हूं। इस वजह से नहीं कि चुनाव उनका (पंचायत का) बहुत रद्दी तरीके से हुआ, उसमें डिफेक्ट रह गया, म चाहता हू डाइरेक्ट चुनाव इसीलिये कि जब छोटा इलेक्टोरेट होता है तो उसमें राय देने वालों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, जो गलत हो सकता है। इसलिए कि एलेक्शन हमारा खराब न हो और जनता अपनी राय सही तौर से प्रगट कर सके इसलिए इसमें दोष है।

इसलिए भी एक दोष है, जो मेरे दिमाग में आता है, कि पंचायतें इस तरह से चलें कि जैसे इस भवन के अन्दर ७, ८ पार्टियां हैं, वह दंगों का विष वहां न फैले। और अगर हमने उसको परिषद् का एलेक्टोरल कालेज बनाया तो यह विष वहां भी बिना फैले रह नहीं सकता। तो यह खयाल भी मुझे आया कि पंचायतों के हित में यह होगा कि उन्हें हम एलेक्शन का अखाड़ा न बनायें। वहां पर हम अपने इस जहर को लेकर उन गरीब आदमियों को, सीधे-सादे आदमियों को कन्फ-यूज न करें, उनको हम पथभ्रष्ट न करें। इसलिए भी मैं समझता हूं कि इसको अगर हम स्वीकार कर सकें और श्रीमन्, प्रवर समिति में यह जा रहा है, मेरा खयाल है कि यह वहां से सुधर करके निकलेगा।

सबसे पहली दिक्कत कंट्रोल्स की बाबत बताई गई है। श्रीमन्, मुझे प्रलोभन होता है कि मैं पढ़ कर के सुना दूं कि क्या कंट्रोल्स हमने रखे हैं। कितने कम मौकों पर कंट्रोल्स रखे हैं जिसको कि बिलकुल निरापद कहना चाहिए। डी० एम० को तस्वीर से अधिक से अधिक अलग रखने की कोशिश की है और जहां जरूरत समझी वहां कमिश्नर को रखा है कि इंटरफियर करे तो वह करे। सिर्फ बहुत ही अपवाद के रूप में, ऐसे मौकों पर जैसे कि, प्लेग हो जाय, कालरा हो जाय, टीका लगाने की बात होती है, अध्यक्ष महोदय, या परिषद् यह कहता है कि हम टीका नहीं लगायेंगे अपने यहां, हमारे यहां ऐसे व्यक्ति हो चुके हैं जो सैद्धान्तिक रूप से टीका लगाना गलत समझते थे, माननीय पुरुषोत्तम दास टंडन जी टीका लगाने को नैतिक दृष्टि से खराब समझते हैं, तो ऐसे मौके हो सकते हैं, या बाढ़ आ जाय, हजारों एकड़ जमीन पानी के नीचे तबाह हो रही हो तो ऐसे मौकों पर इम्मीडिएट ऐक्शन लेने की जरूरत हो सकती है जहां पर कि डी० एम० वह काम करा दे क्योंकि वह सारा प्रबन्ध हम दे रहे हैं परिषद् को। अगर माननीय

सदस्यों ने पढ़ने का कष्ट किया होता तो उन्हें मालम होता कि कितने मुख्तलिफ किस्म के काम हमने उनको दिये हैं। बिना पढ़े हुए वह सोचते हैं कि क्या हमने बना दिया। पढ़ने का कष्ट नहीं किया।

श्री त्रिलोकीसिंह—अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जिस तरह से हमारे लिए कह रहे हैं कि हमने पढ़ा नहीं है, आपकी इजाजत से मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने भी शायद ठीक से पढ़ा नहीं है। से शन २७२ जरा वह पढ़ने की कृपा करें। इसमें लिखा कुछ है और कह वह कुछ और रहे हैं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, मैंने यह तो कहा नहीं कि किसी ने नहीं पढ़ा। अगर मेरा दावा यह होता कि किसी ने नहीं पढ़ा तो माननीय त्रिलोकी सिंह जी यह बात कह सकते थे। ऐसा है, बहुतों ने नहीं पढ़ा। हमारे मित्र गोविन्द सहाय जी ने तो स्वयं कहा कि मैंने पढ़ा नहीं दूसरे से पढ़वाया, उन्होंने नोट्स दे दिए। और श्रीमन्, ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं जिन्होंने कि पढ़ा हो लेकिन समझा न हो और खास तौर से जब उन्होंने सन्देह की दृष्टि से देखा हो। मैं अजहद नम्रता से, प्रेम से, विनय से किसी के पास जाऊं और वह यह सोचे कि जरूर इसकी नीयत में कुछ फितरत मालूम पड़ती है तो क्या जवाब मेरे पास है? उन्होंने देखा, उनकी आंखें ठीक हैं, दिमाग ठीक है लेकिन मन के अन्दर सन्देह है। इसलिए वह एक नार्मल इन्सान की तरह से काम न करके एक विकृत मानव की तरह से काम करेंगे। अब मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं है।

श्री प्रतापसिंह—जिस कंट्रोल की बात आप कर रहे हैं वह उसमें नहीं है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मैं उसका भी उत्तर दे सकता हूं। जो कंट्रोल्स हमने रखे हैं वह एक एक कदम पर यह समझ कर रखे हैं कि बहुत ही रेयरली, अपवाद रूप से इनकी आवश्यकता होगी और हम प्रार्थना करेंगे कि यह अपवाद रूप से भी इस्तेमाल न हों। किसी को इससे उतनी खुशी नहीं होगी जितनी हमको होगी अगर एक बार भी हमको इन रिजर्व पावर्स से काम न लेना पड़े। कौन खुशी होगी हमको हस्तक्षेप करने में? आज भी न मालूम कितने मौके ऐसे आते हैं जब कि मेरे से आकर के लोग कहते हैं बिला इस लिहाज के कि वह किस पार्टी के हैं, कि हस्तक्षेप करिए, वहां की हालत ऐसी हो रही है। मैं उनसे कहता हूं कि अगर हर एक गलती पर हम हस्तक्षेप करेंगे तो वह स्वायत्त शासन कहां रह जायगा? स्वायत्त शासन का मतलब है आजादी, और आजादी तभी रहेगी जब कि गलती करने का अधिकार हो। तो हर गलती पर हम रोकना नहीं चाहते हैं। यह हमारा उद्देश्य नहीं है। लेकिन इसलिये किसी भी गलती को न रोकें और वह एकदम चरम-सीमा तक चले जायं और उनको रोका ही न जाय यह बात जब हम उनको करोड़ों रुपया देना चाहते हैं और उनसे पब्लिक इन्टरेस्ट के काम कर ना चाहते हैं, हमारे लिये गलत बात होगी। जब तक हम यह समझते हैं कि इस सदन के अन्दर लोग गलती कर सकते हैं और अपने चुनाव में इतने बड़े प्रदेश के स्टेज पर गलती होती है तब हम यह मान लें कितने लोग गलती नहीं कर सकते हैं और उनसे गलती नहीं होगी और ५१ जिलों में एक भी ऐसा जिला नहीं होगा जो गलती करे तो यह कुछ उचित नहीं मालूम होता है। अगर वह गलती कर सकते हैं और तबाह हो सकते हैं और मंत्री की तरफ से आदेश होने पर भी गलती हो सकती है तो उस समय हम हैल्पलेसली देखते रहें यह हमसे आशा न की जाय। परमात्मा ऐसा करे कि उधर के बैठने वाले इधर आकर बैठें तो वे जैसा ठीक समझें करें। तभी उनको यह मौका मिलेगा और तब वह अधिक जिम्मेदारी से इस प्रश्न को देख सकेंगे। मेरा कहना यह है कि हर चीज को सन्देह की दृष्टि से न देखें। यह समझ कर चलना कि दूसरे लोगों के लिये कोई भला काम करना ही न चाहेंगे जो १८ घंटे काम करते हैं उनको यह समझ लें कि वे इस गर्ज से काम करते हैं कि जो कुछ हमारे हाथ से काम हो वह गलत ही हो और कोई भी भला काम किसी के लिये न हो जाय तो इस जहनियत से आप अगर सोचते हों कि

[श्री विचित्रन रायण शर्मा]

लोकतन्त्र की जड़ मजबूत हो जाय तो यह नामुमकिन है। लोकतन्त्र की जड़ इस बात पर जमती है कि हम यह सोचें कि सारे आदमी भला काम करेंगे। वह गलती करना नहीं चाहते हैं। वह मिलकर रहना चाहते हैं। यह बुनियादी चीज है उस चीज को जो मैंने पहले बयान की।

मैं समय के अभाव के कारण छोटी-छोटी बातों में जाना नहीं चाहता हूं लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि जो ये छोटी छोटी चीजें हैं यह प्रवर समिति के स्टेज पर ठीक हो सकती हैं। जैसे कि उमर की बाबत कहा गया और बड़ी गम्भीरता के साथ कहा गया कि न मालूम क्या कर दिया गया। एक साहब ने कहा कि यंगमैन के लिये रास्ता रोक दिया गया है। एक मिनिस्टर ३० साल के नीचे का हो जाता है। यहां पर सारे सूबे से आदमी चुनकर आये। उन सब ने एक प्रमुख आदमी को अगर चुना है तो उसकी अक्ल पर भरोसा करके उन्होंने चुना है। उन्होंने उसको एक जिम्मेदार आदमी समझकर लिया है। शंकराचार्य जी का तो ३०, ३२ वर्ष की उमर में निर्वाण भी हो गया था। वह एक क्रान्तिकारी काम करके चले गये। हमारे म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट में और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में ३० साल की शर्त तो है ही। मन्शा यह था कि जैसे इन्सान की उमर बढ़ती है उसकी अक्ल भी बढ़ती है, उसका अनुभव भी बढ़ता है। उस वक्त हम यह उम्मीद करते हैं कि इतनी उमर का आदमी अक्लमन्द होगा। हमने इसको यह समझकर रखा था कि योग्य आदमी उसमें आयेंगे तो उसके लिये एक बन्दिश हो जाय, लेकिन अगर यह समझा जाता है कि जैसे-जैसे इन्सान आगे बढ़ता है वैसे-वैसे उसकी अक्ल खराब होती जाती है तो ठीक है। इसमें कोई ऐसी आपत्ति की बात नहीं है। ३० की जगह २५ कर दिया जाय या बच्चों को रख दिया जाय। इस तरह की बातों को हम प्रवर समिति में ठीक कर सकते हैं।

एक हमारे मित्र दुबे जी यहां पर इस समय तशरीफ नहीं रखते, उनकी कुर्सी खाली है। मुझे आशा है कि उनकी अन्तरात्मा मेरी बात को सुनेगी। उन्होंने यहां पर यह कहा कि पार्टी को देखकर यहां निर्णय होते हैं और भिन्नाकर वह मुझसे श्रीमन्, कहने लगे, और एक जगह का जिक्र भी किया वृन्दावन का कि चूंकि वहां जनसंघ का योग्य व्यक्ति प्रेसीडेन्ट था उसको हमने अलग कर दिया। मैंने कहा कि हुजूर तशरीफ ले आइयेगा, देख लीजियेगा, और उसके बाद फरमाइयेगा। वह आये और मैंने उनके सामने वाकयात रख दिये। किस तरह से वार्निंग्स दी गयीं, किस तरह से उनको लम्बी रस्सी दी गयी, लेकिन अगर वह लम्बी रस्सी से फांसी लगा लें तो मैं क्या करूं? प्राइवेट हाउसेज पर उन्होंने लाइट्स लगवायीं, पैसे का दुरुपयोग किया। एक शब्द भी वह नहीं कह सके। एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा कि तुमने इसमें बेईमानी या बदनीयती की है। श्रीमन्, यह है स्थिति। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि मैं ऐक्शन नहीं लेता और इसका अर्थ यह लगाया जाता है कि मैं कांग्रेस का हूं, गांधीवादी हूं और इसलिये कुछ देखता नहीं।

दोनों तरफ से मुश्किल है और मेरी दिक्कत है। हर एक को देखना पड़ता है। ला डिपार्टमेंट से उसको दिखाना पड़ता है। ला डिपार्टमेंट उसको इवेड कर देता है क्योंकि उनके रिट्स जाते हैं। ऐसा है नहीं कि जो कर दूं वह लास्ट वर्ड हो। औरंगजेब ने जो कर दिया वह हो गया। लोग एफीडेविट्स दाखिल कर देते हैं। तो काफी समझ बूझ कर काम करना पड़ता है और मैं यह दावा नहीं करता कि मेरी अक्ल ऐसी है कि मैं कभी गलती नहीं करता। मुझ से कभी गलती नहीं होती। कभी मेरा जजमेंट गलत नहीं हो सकता। यह मैं दावा नहीं कर सकता, जब तक कि मेरे होशोहवाश ठीक हैं तब तक तो शायद यह दावा कभी नहीं करूंगा। यह भी मैं नहीं कहता कि कभी भी मेरी अक्ल पर अल्टीरियर इंफ्लूयेंस काम नहीं कर सकता। कोशिश करता हूं कि न करे, लेकिन सब-कांशश भी होता है जिसका इंसान को पता नहीं होता। उसम कुछ होता होगा। कोशिश

करता हूं कि जहां तक हो सके इंसाफ से काम हो और यह समझ कर मैं काम करता हूं कि मैं कांग्रेस का नहीं, प्रदेश का मिनिस्टर हूं, हर पार्टी का मिनिस्टर हूं। कोई मेरी मुखालिफत करे तो मैं उसकी मेरिट्स पर नहीं जाना चाहूंगा। उसने मेरे बरखिलाफ कहा तो मैं उसके बरखिलाफ डिसीजन दूं ऐसा अभी तो नहीं है।

मशीन के बारे में बार-बार कहा जाता है। वह मशीन इतनी एडप्टिबिल है कि जो अपनी राय हम कायम करते हैं उसको वह अपनी अक्ल और दिमाग के खिलाफ भी कैरी आउट करते हैं और वह कहते हैं कि पालिसी ले डाउन करना इस मिनिस्टरी और गवर्नमेंट का काम है हमारा काम सिर्फ यह है कि हम ईमानदारी के साथ अपनी राय दे दें कि इस पालिसी में यह नुकसान हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर हम डिसीजन लेते हैं तो जिम्मेदारी हमारी है। किसी भी ऐक्शन की जिम्मेदारी गवर्नमेंट सर्वेन्ट पर नहीं है और हमारे लिये यह निहायत लगो बात होगी कि अगर हम यह कहें कि हमारे आफिसर्स ठीक काम नहीं करते। यह नहीं कि वह गलत नहीं हो सकते या उनसे काम में देर नहीं हो सकती, लेकिन वह हमें गलत ले जाते हैं यह कहना आपको अपनी और हमारी अक्ल पर शक करने की बात करना है।

मैं इतना महसूस करता हूं कि जो हम ठीक समझते हैं उसे हम करा सकते हैं और हमारी सरकार के जो नौकर हैं, कोलीग्स हैं, वह कभी इस तरह की बात नहीं करेंगे कि वह उसको अपोज करें। वह ईमानदारी से काम करते हैं। पालिसी हम ले डाउन करते हैं और जो हम ठीक समझते हैं कराते हैं और इसीलिये इस विधेयक में यह रखा गया है कि जो कार्याधिकारी होगा उसकी ड्यूटी होगी कि जो पालिसी वह ले डाउन करे उनको वह इम्प्लीमेंट कराये। शुरू के चार साल के लिये उसका अप्वाइंटमेंट सरकार की तरफ से होगा। चार साल के बाद परिषद् को पूर्ण अधिकार होगा कि वह जैसे चाहे, जिसको चाहे, अगर वह कंडीशन्स को पूरा करता है, अप्वाइंट करे। पिछले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को अगर हमें बनाना होता तो हम सेक्रेटरीज एप्वाइन्ट करने की आज से ही इजाजत दे देते, लेकिन हम करोड़ों रुपये के प्लानिंग का काम उनके सुपुर्द कर रहे हैं। हमारी योजनाएं जो चल रही हैं उनको हम जब देखते हैं तो एक साल के टाइम में तो वह समझ भी नहीं सकेंगे, इसलिए ४ साल का इसमें प्राविधान रखा है कि सरकार का कार्याधिकारी काम करता रहेगा। यह कोई बड़ा भारी समय नहीं है। यह तो एक एक्सपेरीमेंट हो रहा है उसमें किसी के हाथ में पावर देने क सवाल नहीं है। अगर इस दृष्टि से देखेंगे तो इसमें दोष दिखाई नहीं देंगे बल्कि वह इस बिल के गुण हो जायंगे जो अब दोष दिखाई दे रहे हैं।

प्राविश्यलाइजेशन आफ सर्विसेज की बाबत भी कहा गया। एक आध महाशय ने कहा कि इसी में रख देते। वह रख नहीं सकते हैं, उसके लिए अलग बिल लाना होगा। जब वह तैयार हो जायगा तो वह रखा जायगा। इसमें ऐसी पेचीदा चीजें हैं. कुछ लास होने का अन्देशा है। अब उसको सरकार उठाये या म्युनिसिपल बोर्ड या परिषदें उठायें, यह भी एक सवाल है। फंड्स का क्या होगा? ट्रांस्फर्स किस तरीके से होंगे, कौन करेगा? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनको ठीक से देखना होगा और जब वह विधेयक तैयार हो जायगा तो इस माननीय सदन के सामने रखा जायगा और सदन की राय से उसे आगे बढ़ाया जायगा।

दो साल की सजा जो हमने रखी है उसकी बाबत बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। हमने कोई नयी चीज नहीं रखी। रेप्रेजेन्टेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट में जो प्राविधान है उसी को हू बहू हमने रख लिया है और जो सारे देश की पार्लियामेंट में मान्य सिद्धान्त है उसी को रखा है, अपनी तरफ से कुछ नहीं किया है।

अब मैं एक चीज कह कर अपना स्थान लूंगा। एक चीज पर जोर दिया गया कि २०० रुपये को भी टैक्सेशन में रख दिया गया है। श्रीमन्, इस देश का दुर्भाग्य है कि हम बहुत

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

अमीर नहीं हैं। करीब-करीब ५० फीसदी इस देश की जनता ऐसी है जिसकी आमदनी फी कस १० आने रोज से कम है। डेढ़ करोड़ के करीब ऐसे आदमी हैं जिनकी आमदनी ३ आने रोज है। ५ करोड़ के करीब ऐसे हैं जिनकी ६ आने रोज है। यह जो (sample) सैम्पिल सर्वे के जरिये स्ट्रेचिंग किया गया है उसके ५-७ साल पहले के पुराने आंकड़े हैं। अब अगर गरीबों से टैक्स न लें उन योजनाओं के लिये जो उनके फायदे के लिये बन रही हैं, तो कहां से पैसा लायें। फिर भी हमने सिर्फ यह रखा है कि वह टैक्स कर सकते हैं। वह करें ही, करना पड़ेगा, यह इसमें कहीं नहीं है। जिन परिषदों की बाबत यह दावा किया जा रहा है कि वह सब कुछ कर सकती हैं, जो कुछ करेंगी ठीक ही करेंगी, यहां से हमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर, उनकी डिस्क्रीशन पर अगर हमने छोड़ दिया कि वह जो ठीक हो वह करें तो फिर शिकायत किस बात की है? दोनों तरह की बात कही गयीं। यह भी कहा गया कि हाथ-पैर बांध कर इस तरह बेकाबू कर दो कि कुछ कर न पायें, उनको अधिकार न दो और यह भी कहा गया कि उनके मामले में हस्तक्षेप न करो। शायद हम इसे बदलने की कोशिश करते, पर हमने देखा कि अगर करते हैं तो अभी तो कांस्टीट्यूशन में इस कर को छूट मिली हुई है, अगर जरा हमने टैम्पर किया, २०० का ढाई सौ किया तो डर है कि वह अनकांस्टीट्यूशनल हो जायगा और एक बड़ा भारी सोर्स आफ इन्कम जो परिषदों के हाथ में आने वाला है वह गायब हो जायगा। इसलिए इस खतरे की वजह से इस पर हाथ नहीं लगाया है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो चाहती है कि यह न हो तो अच्छा है, क्योंकि इससे इन्कम टैक्स में बाधा पड़ती है। श्रीमन्, मैं और समय इस सदन का नहीं लूंगा। यहां पर बहुत सारी बातें कही गईं लेकिन मैं समझता हूं कि जिन बातों का जवाब नहीं दे सका वह प्रवर समिति की स्टेज में देख लूंगा। इसके साथ मैं प्रार्थना करता हूं माननीय सदस्यों से कि जो प्रस्ताव मैंने रखा है कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेज दिया जाय, उसको स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष--मैं संशोधनों पर पहले मत ले लेता हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् विधेयक, १९५९ को जनमत संग्रह के हेतु वितरित कर दिया जावे। यह संग्रह आगामी तीन सप्ताह में प्राप्त करके उस पर आधारित प्रतिवेदन सहित विधेयक प्रस्तुत कर दिया जावे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् विधेयक, १९५९ को इस सदन की एक सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय, जो एक माह में अपनी रिपोर्ट इस सदन के सम्मुख उपस्थित करे।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहता हूं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उक्त प्रस्ताव वापस करने की अनुमति दी जाय।

(श्री राजनारायण ने विभाजन की मांग की और विभाजन के लिये घंटी बजाई गई।)

श्री राजनारायण--अध्यक्ष महोदय, त्रिलोकीसिंह जी कह रहे हैं कि शायद सरकार ने इसको मान लिया है, समय रखने के लिये, कि इतने समय के अन्दर सेलेक्ट कमेटी से आ जायगा। अगर ऐसी बात है तो, उसका कुछ दूसरा अर्थ है। क्या मंत्री जी इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे?

श्री त्रिलोकीसिंह--अगर समय का निर्धारण नहीं होगा तो तीन महीने के अन्दर रिपोर्ट जरूर आ जायगी। मंत्री जी कहते हैं कि शायद तीन महीने के अन्दर इस रिपोर्ट को वहां से वापस करा देंगे।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि पुराने नियमों में यही था कि अगर कोई समय नहीं दिया है तो रिपोर्ट तीन महीने के अन्दर आ जानी चाहिए, लेकिन नये नियमों के बारे में मैं तत्काल नहीं कह सकता।

श्री राजनारायण--माननीय मंत्री जी को कुछ लिमिट तो बतला ही देनी चाहिये।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--मैं तो निवेदन कर चुका हूं, अगर माननीय सदस्य सदन में न रहे तो इसमें मेरा क्या दोष है।

श्री उग्रसेन--श्रीमन्, नियम की भाषा स्पष्ट नहीं है।

श्री अध्यक्ष-- ह नियम में दिया है कि अगर वह कोई समय मुकर्रर करना चाहते हैं तो वह कहेंगे नहीं तो चुप बैठेंगे। आप २५८ नियम देख लीजिये।

(घंटी बन्द होने के उपरान्त)

प्रश्न यह है कि उक्त प्रस्ताव वापस करने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् विधेयक, १९५९ को संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--नियम के अनुसार पहले परिषद् में यह प्रस्ताव जायगा। उनकी स्वीकृति होने के बाद परिषद् की तरफ से नाम आवेंगे। उस समय सदन को मौका होगा कि वह संयुक्त प्रवर समिति के लिये नाम चुने।

२८ जुलाई, १९५९ के तारांकित प्रश्न २५-२६ से सम्बद्ध सहारनपुर-बागपत रोड के निर्माणार्थ ली गई जमीन के बारे में विवाद

श्री अध्यक्ष--अब इस समय और कोई काम न लेकर श्री गयूर अली खां के प्रश्नों पर वाद-विवाद होगा।

श्री गयूर अली खां (जिला मुजफ्फरनगर)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा मशकूर हूं कि आपने मुझे जलालाबाद के उन काश्तकारों की ओर से कुछ बातें रखने का मौका दिया जिनकी जमीन ११, १२ साल हुए इस सरकार ने सड़क बनाने को ले ली थी और आज तक उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया। जमीन लेने के वक्त खड़ी फसलों का भी कोई मुआवजा नहीं दिया और आज तक सरकार किसानों से लगान ले रही है और वे अदा कर रहे हैं।

सन् १९५४ में फिर इस सड़क को सीधा करने के लिये सरकार ने काश्तकारों की जमीन ली और उसका या खड़ी फसल का कोई मुआवजा आज तक नहीं दिया गया है....

श्री अध्यक्ष--माननीय निर्माण मंत्री के ये सवालात हैं, वे नहीं हैं। उनसे व मुझसे आज टेलीफोन पर सुबह बातचीत भी हुई थी। शायद चूंकि अभी ५ नहीं बजे हैं, वह ५ बजने के इंतजार में होंगे। कोई डिप्टी मिनिस्टर या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी उनके हों तो वे सुन लें।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)--इसे कल रख लें।

श्री अध्यक्ष--कल आपके प्रश्न पर बहस है आपने विशेष दिन मांगा था, इसलिये मैंने गुरुवार के लिये रखा है ।

श्री गयूर अली खां--न उनका लगान काटा जा सका । मेरे सवालों के जवाब में बतलाया गया कि चूंकि वहां चकबन्दी हो रही है इसलिये न मुआवजा ही दिया जा सकता है और न लगान ही माफ हो सकता है । मैं नहीं समझ सका कि यह कौन सी मिन्तक है जब कि सरकार उस सड़क से फायदा भी उठा रही है जिस पर कि ७०, ७५ बसें चल रही हैं । ऐसा जवाब वाकये के बिलकुल खिलाफ है । सरकार काश्तकारों को जल्द मुआवजा अदा करे, जो लगान उनसे १०, १२ साल से वसूल हो रहा है वह वापस किया जाय और ए० आई० टी० का रुपया काश्तकारों की जोत से जो नंबर नहीं काटे गये हैं, वह उनका रुपया भी वापस किया जाय । मैं चाहूंगा कि मंत्री जी अधिकारियों से सही रिपोर्ट लेकर इस वाकये पर सही प्रकाश डालें । मंत्री जी का जवाब कुछ सन्तोषजनक नहीं था ।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)--अध्यक्ष महोदय, वास्तव में इस सवाल के सिलसिले में कुछ गलतफहमी हो गयी । इसमें दो बातें हैं--एक तो यह कि काश्तकारों को रिलीफ मिलना चाहिये और दूसरा यह कि जो १०-१२ साल का लगान लिया गया है वह वापस होना चाहिये । और मुआवजा भी उनको मिलना चाहिये । मैं इन सब बातों से सहमत हूं लेकिन चकबन्दी के दौरान में मुआवजा नहीं दिया गया । इस प्रश्न का जवाब जो नीचे से आया था उसके अनुसार मैंने जवाब दिया । उससे ज्यादा इस वक्त मेरे पास कोई और सूचना नहीं है जिससे मैं उस पर कोई और रोशनी डाल सकूं । जो लगान उन लोगों से लिया जा रहा है वह उनको वापस किया जायगा मुआवजा भी बहुत जल्द उनको दिया जायगा क्योंकि कान्सोलिडेशन का जितना भी काम है अब समाप्त हो गया होगा इसलिये मुआवजा देने में कोई देरी अब नहीं होनी चाहिये ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--क्या माननीय निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार भविष्य में कोई ऐसे स्टेप्स लेने जा रही है कि जिन किसानों को मुआवजा नहीं मिला है उनको मिल जाय और जो लगान उनसे ज्यादा लिया गया है वह उनको वापस कर दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष--उसके लिये तो कह दिया कि वे वापस करेंगे।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह लगान कब तक उनको वापस हो जायगा ?

श्री गिरधारीलाल--जल्द से जल्द वापस करने की कोशिश की जायगी ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो लगान उन लोगों से १२ साल तक लिया गया है वह उनको मय सूद के वापस किया जायगा या खाली लगान ही वापस किया जायगा ?

श्री गिरधारीलाल--जो भी कुछ नियमों में होगा, वैसा किया जायगा ।

श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)--क्या माननीय मंत्री जी कृपया यह बतायेंगे कि इस बारे में फौरन कोई आदेश वह देने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--उन्होंने जवाब दिया कि जल्द से जल्द ।

श्री गयूर अली खां--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या वे अपने आफीसरों को यह आदेश दे रहे हैं कि काश्तकारों से आगे और लगान वसूल न किया जाय ?

श्री गिरधारीलाल—प्रश्न का जो उत्तर दिया गया था उसमें काफी प्रकाश डाल दिया गया था । अगर कान्सोलिडेशन आफ होल्डिंग्स का काम पूरा हो गया होगा, तब तो ये बातें पूरी हो जाती हैं और अगर पूरा नहीं हुआ है तो अभी कुछ रुकना पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष—आपका प्रश्न बिलकुल साफ है । पुराने के लिये तो आपने जवाब दिया कि जल्द से जल्द वापस किया जायगा, लेकिन उसको आप आगे भी न लेंगे जो आप अभी ले रहे हैं । इस बारे में वे जवाब चाहते हैं । यह तो एक अजीब बात हो जायगी कि आप आगे भी वसूली करते जायं और पिछली वापस करते जायं ।

श्री गिरधारीलाल—आगे लेने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता ।

श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)—जब कोई जमीन किसी निर्माण कार्य के लिये हासिल की जाय तो उसी वक्त ऐसा भी आदेश जारी करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है कि उसी दिन से उस काश्तकार से लगान लेना भी बन्द हो जाय ?

श्री गिरधारीलाल—इस पर भी हम विचार कर रहे हैं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—अभी जैसा कि मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि हमारे पास अभी इसका पूरा विवरण नहीं आया है तो क्या वे फिर इस विषय में पूरा विवरण मंगवाने की कृपा करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल—अगर कोई जरूरत इसके विवरण की होगी तो जरूर मंगवाऊंगा ।

श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी हो जाने के बाद कोई नम्बर दूसरे काश्तकारों के पास चला जाय तो यह मुआवजा किस काश्तकार को दिया जायगा, जो पहले से उसे जोतता था उसे दिया जायगा या जिसके पास वह नम्बर जायगा उसे दिया जायगा और लगान भी पहले वाले काश्तकार को वापस होगा या बाद वाले काश्तकार को वापस होगा ?

श्री अध्यक्ष—यह तो कानूनी सवाल आप पूछ रहे हैं मैं इसकी इजाजत नहीं देता ।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—क्या निर्माण मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कितना लगान किसानों से वसूल किया गया है ?

श्री अध्यक्ष—अभी उन्होंने यह बतलाया कि जिला मैजिस्ट्रेट से जो सूचना उनके पास आयी थी उसके आधार पर उन्होंने जवाब दिया कि तहकीकात करने वाले हैं, इतना ब्योरा वे नहीं जानते हैं ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन काश्तकारों से गैरकानूनी तरीके से लगान वसूल किया गया है उससे जो उनको नुकसान हुआ उसका कम्पेनसेशन भी देने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष—मैं इस सवाल की इजाजत नहीं देता, क्योंकि आप मान कर चल रहे हैं कि गैरकानूनी काम किया गया ।

श्री प्रतापसिंह—क्या निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश के पास से जो रिपोर्ट आयी उसकी पूरी छानबीन करने के बाद और जिनकी जमीन सरकार ने ली उस जमीन का लगान उनसे लिया जाता रहा है जिससे उनका नुकसान हुआ, तो उसके लिये उनको भी कम्पेनसेशन वगैरह दिया जायगा ?

श्री गिरधारीलाल—मैंने सवाल को ठीक से समझा नहीं, लेकिन मैं इतना कह देना चाहता हूं कि जब जमीन सरकार ने ले ली तो उसी दिन से लगान से काश्तकारों को छुट्टी मिल गयी। जब जमीन सरकार के पास है तो काश्तकारों के नुकसान का कोई सवाल ही नहीं उठता। बल्कि उसी टाइम से काश्तकार लोग उससे जो फायदा उठा रहे हैं उसके लिये तो प्रताप सिंह जी को उनसे सरकार को पैसा दिलाना चाहिये।

श्री प्रतापसिंह—जब सन् १९४७-४८ में काश्तकारों की जमीन सरकार द्वारा ले ली गयी और उनसे उन्हीं दिनों से लगान भी लिया जा रहा है, तो उनको जो नुकसान हुआ है उसके लिये सरकार कुछ कम्पेनसेट करने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष—क्या आपका मतलब यह है कि लगान वापसी के साथ में सरकार उसका ब्याज भी अदा करे ?

श्री त्रिलोकीसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब जमीन सड़क बनाने में ले ली गयी और उसके लेने के १० साल बाद तक उसका लगान नहीं कटा और जिनकी जमीन सरकार के कब्जे में है उसका भी लगान सरकार उनसे ले रही है तो इस १० साल में उनको जो नुकसान हुआ है क्या सरकार उसके लिये किसानों को कम्पेनसेट करने का विचार कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल—जमीन सन् १९४७ में ली गयी थी और वह सरकार की हो गयी। जितना भी नुकसान इससे पहले हुआ है उसका मुआवजा दिया जायगा। और जितना भी लगान गवर्नमेंट ने ले लिया है वह उनको वापस कर दिया जायगा।

श्री अहमद बख्श—क्या सरकार बतलायेगी कि वह जमीन काश्तकारों के नाम से नहीं कटी, उनके जोत में ही रही और उस जमीन पर उन्होंने एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स अदा किया तो क्या सरकार उसको भी वापस करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—इसकी मुझे कोई सूचना नहीं है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी इस प्रकार की भूमि जो दूसरे जिलों में भी सरकारी कब्जे में ले ली गयी है, और उन पर मालगुजारी नहीं छोड़ी गयी, और न उनको मुआवजा ही मिला, तो उनके प्रश्न पर भी विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी ने भविष्य में इस प्रकार की कार्यवाही न हो सके उसके लिये अपने अधिकारियों को कोई आदेश दिया है ?

श्री अध्यक्ष—इसके लिये वह एक बार जवाब दे चुके हैं कि वह सोंचेंगे कि इस तरह की चीज आगे न हो सके।

श्री अहमद बख्श—जो जमीन काश्तकारों से ले ली गई है और उस पर उन्होंने एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स अदा किया है तो क्या सरकार उसको भी उन काश्तकारों को वापस करेगी ?

श्री अध्यक्ष—जब लगान वापस करने को कहा है तो उसके साथ वह तो आ ही जाता है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---यह स्पष्ट है कि चकबन्दी पूरा न न होने के कारण किसानों से लगान वसूल होता रहा तो क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्होंने जिलाधीश को इस प्रकार का कोई आदेश दिया है कि वे जल्दी से जल्दी स्टाफ वगैरह बढ़ाकर चकबन्दी के काम को पूरा करें जिससे किसानों का १२ साल का लगान उनको जल्दी मिल सके ?

श्री गिरधारीलाल---जैसा कि उस दिन कहा गया था, चकबन्दी का काम दो महीने में खत्म होने वाला है और जुलाई में वे दो महीने पूरे होने को थे। मैं समझता हूं कि अब इसकी जरूरत नहीं होगी।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जो जमीनें ली जाती हैं उसके मुआवजे के नियम दूसरे हैं और चकबन्दी से उसका क्या ताल्लुक है, इसको मंत्री जी साफ़ करने की कृपा करेंगे ? उन्होंने श्रीमन्, कहा है कि चकबन्दी होने के कारण मुआवजा नहीं दिया गया, तो पी० डब्लू० डी० क कायदे जब अलग हैं तो चकबन्दी का उन पर क्या असर पड़ा ?

श्री गिरधारीलाल---वास्तव में जो सड़क निकाली जायगी वह केवल शहर से ही नहीं बल्कि देहात के खेतों से भी निकलेगी और अगर वहां कोई टाइटिल का झगड़ा होगा तो इस तरह के जितने भी एवार्ड होंगे वह सब रोक दिये जांयगे।

श्री गयूर अली खां---क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने इस जमीन पर पहले कब्जा किया था और बाद में एक्वीजिशन की कार्यवाही हुई या पहले एक्वीजीशन की कार्यवाही हो गई और बाद में कब्जा किया गया ?

श्री गिरधारीलाल---मैंने इसका जवाब उस दिन भी दिया था, मैं समझता हूं कि पहले जमीन ली गई थी और बाद में लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट के मातहत एक्वीजिशन की प्रोसीडिंग्ज हुईं।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि पी० डब्लू० डी० द्वारा ली जाने वाली जमीनों का नोटिफिकेशन होने के बाद से उनका लगान न लिया जाय ?

श्री अध्यक्ष---यह तो उन्होंने बता दिया कि सरकार विचार करेगी।

श्री जंगबहादुर वर्मा---जो जमीन सड़क निर्माण के लिये ली गई वह कितने एकड़ थी ?

श्री गिरधारीलाल---२२.३५ एकड़।

श्री जंगबहादुर वर्मा---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन अधिकारियों के द्वारा यह जमीन ली गई थी उनक द्वारा मंत्री जी को यह सूचना दी गई थी कि उनका लगान काट दिया जाय ?

श्री गिरधारीलाल--- इसकी कोई सूचना यहां नहीं आई।

श्री प्रतापसिंह--- क्या मंत्री जी को सूचना है कि जलालाबाद में सन् १९५७ में चकबन्दी समाप्त हुई ? और क्या उसके बाद भी इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही हुई या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--वह तो कहते हैं कि अभी चकबन्दी जारी है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---वहां के जिन अधिकारियों द्वारा दस बारह वर्ष तक यह गलती की जाती रही कि उनसे लगान लिया जाता रहा क्या भविष्य में मंत्री जी उनको सजा देकर ऐसी मिसाल कायम करेंगे कि कोई ऐसी गलती न करे ?

श्री गिरधारीलाल---हम देखेंगे कि कैसे यह बात हुई। और उसके बाद जो मुनासिब कार्यवाही होगी वह की जायगी।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या मंत्री जी इस बात का प्रबन्ध करेंगे कि जब मुआवजा लेने के लिये और वापसी लगान लेने के लिये वह किसान तहसील में जायेंगे तो उनको जितना मिलना होगा उसका आधा यों ही देना होगा, उसके लिये कोई प्रबन्ध किया जायगा ?

श्री अध्यक्ष---यह आम सवाल है।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बगैर लैंड एक्वीजिशन की कार्यवाही मुकम्मिल हुये निर्माण की कार्यवाही क्यों शुरू की गई ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि नियम आप को देख लेना चाहिये। इसमें ऐसा होता है। ऐक्ट में ऐसी चीज है कि वह कब्जा कर सकते हैं।

श्री रामायणराय---क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जमीन पहले ली गई या चकबन्दी पहले शुरू हुई ? उन्होंने बताया कि चकबन्दी की वजह से..

श्री अध्यक्ष---आपको मालूम है कि चकबन्दी बाद में हुई है। आप यह मान कर चलें और फिर सवाल करें। आप यह न पूछें कि पहले क्या हुआ।

श्री रामायण राय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस समय जमीन ली गई उस समय जब चकबन्दी नहीं थी तो मुआवजा उसी समय क्यों नहीं दिया गया ?

श्री गिरधारीलाल---उस वक्त मुआवजा दिया जा रहा था। मेरे खयाल से सन् १९४९-५० की बात है। लेकिन वहां के जो काश्तकार थे उन्होंने, जैसा कि उन्हें अधिकार था, कुछ एतराज किया और मुआवजा लेने से इंकार कर दिया।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---क्योंकि यह मामला सन् १९४७ से पड़ा हुआ है और १२ साल पुराना हो गया है तो क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यदि मुआवजे के कागजात बनाये गये तो उसके बाद ऐसी कोई अड़चन तो नहीं होगी कि १२ साल हो जाने के कारण टाइम बार्ड हो जावें ?

श्री अध्यक्ष---वह तो वायदा हो गया, अब 'टाइम बार्ड' नहीं होना चाहिए।

(कुछ ठहर कर)

श्री अध्यक्ष---अब प्रश्न समाप्त हुए। माननीय गयूर अली खां, आपको जवाब में कुछ कहना हो तो कहें।

श्री गयूर अली खां---मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि सन् १९४७-४८ में सरकार ने जमीन ली। सन् १९५० तक वह सड़क कच्ची बन कर तैयार हो गई और सन् १९५४ में सड़क पुख्ता बन गई। चकबन्दी जलालाबाद में सन् १९५४ में शुरू हुई और सन् १९५७ में खत्म हो गई। लेकिन एक दो रिट हाईकोर्ट में थीं जिनकी वजह से कब्जा नहीं दिया जा सका। वह कब्जे भी पिछले साल दिये गये हैं और चकबन्दी वहां की बिलकुल खत्म हो चुकी है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि अभी तक चकबन्दी चल रही है वहां पर, मैं इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं हूं।

दूसरी बात यह है कि जलालाबाद के किसी काश्तकार ने–यह मेरी खुद की जानकारी है–कोई उज्रदारी या कोई मुकदमेबाजी नहीं की । माननीय मंत्री जी ने कहा कि काश्तकारों ने उज्रदारी की और मुकदमें लड़ाये और मुआवजा लेने से इंकार किया । यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि काश्तकार को सरकार मुआवजा दे और काश्तकार न लेना चाहे ।.....

श्री अध्यक्ष––उन्होंने कहा था कि जो मुआवज देने के लिये सरकार ने तय किया था उतना लेने से वह एतराज करते थे । वह ज्यादा चाहते होंगे । इस जवाब को सामने रखकर आप जवाब दें ।

श्री गयूर अली खां––श्रीमन्, किसी काश्तकार ने मुआवजा लेने से इंकार नहीं किया । यह मेरी खुद की जानकारी है । उसमें मेरी भी जमीन है । मुझे अच्छे तरीके से सब मालूमात है कि वहां के काश्तकार बहुत परेशान हैं । उनकी दिक्कत दूर हो जाय, उनका लगान वापस किया जाय, उन्हें मुआवजा दिया जाय । जब सरकार ने जमीन ले ली और सड़क चल रही है तो वह रकबा क्यों न उनकी जोत से काट दिया जाय ?

श्री गिरधारीलाल––अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले कहा, वास्तव में इस प्रश्न के लिये जो समय मिला–उस दिन जवाब देने के बाद से इस वक्त तक–वह वक्त नाकाफी रहा । इसमें माननीय सदस्यों ने जो भी बातें कहीं, यदि इसकी पूरी छानबीन का मौका मिलने के बाद मैं जवाब देता तो मैं इस चीज को ज्यादा साफ करने की अवस्था में होता । अब जो सूचना मैंने दी है वह जिले के जो अधिकारी हैं और जो विभाग के कर्मचारी हैं उन्होंने जो सूचना दी उसके अनुसार ही है । माननीय प्रश्नकर्त्ता मतभेद रखते हैं तो मैं फिर देख लूंगा और उसके बाद या तो दूसरे प्रश्न के जरिये से या मेरे दफ्तर में वह आ जायं तो मैं बतला दूंगा या और जो तीसरा तरीका हो .....

श्री अध्यक्ष––ऐसे मामले में यदि आपको जानकारी पूरी नहीं है तो इस वक्त बहस काफी हो चुकी और लोगों ने सवालात कर लिये तो उनकी सहूलियत को सामने रखते हुये आप जानकारी हासिल कर लें और एक छोटा सा वक्तव्य जिस रोज आप चाहें, क्योंकि नियम में है मंत्री जी जिस रोज चाहें, एक वक्तव्य दे कर सदन को सूचना दे सकते हैं । तो आप एक छोटा सा वक्तव्य दे दें कि यह परिस्थिति है और अमुक कार्यवाही की गई और मुआवजा देने के आर्डर्स दे दिये गये और जो लगान वसूल किया गया है वह इस तरह से वापस होगा, वगैरह, वगैरह । जो वक्तव्य आप देना चाहें दे सकते हैं, छोटा सा, जिस वक्त आपको पूरी जानकारी मिल जाय ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ ;
१२ अगस्त, १९५९ ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९१ पर)

क्रम संख्या	पुजारी का नाम			स्थान	मासिक वृत्ति
१	श्री राम सहाय उपाध्याय समथर	..	..	समथर	४०.६९
२	श्री जानकी वल्लभ समथर	..	..	समथर	११.१२
३	श्री रामपुरी समथर	..	..	समथर	४.८७
४	श्री बलराम दास समथर	..	..	समथर	२.२५
५	श्री जगन्नाथ लोहागढ़	..	..	लोहागढ़	२.८१
६	श्री भगवान दास दतावली कलां		..	दतावली कलां	३.१२
७	श्री भगवत दास सारिवन	..	..	सारिवन	५.०६
८	श्री श्रीनिवास वृन्दावन (मथुरा)	..	..	वृन्दावन (मथुरा)	२३.६९
९	श्री भगवानदास महाराजगंज	..	..	महाराजगंज	५.७५
१०	श्री देवकीनन्दन अमरा	..	..	अमरा	०.२५
११	श्री भगवानदास अमरा	..	..	अमरा	१.६९
१२	श्री भोलानाथ अमरा	..	..	अमरा	०.२५
१३	श्री रामदास अमरा	..	..	अमरा	११.००
१४	श्री नाथुराम छैबटा	..	..	छैबटा	२.०६
१५	श्री हरप्रसाद समथर	..	..	समथर	३.६२
१६	श्री द्वारका प्रसाद उपाध्याय	..	..	समथर	२.६२
१७	श्री सरजू प्रसाद नागाच	..	..	समथर	३.००
१८	श्री किशोरी शरण समथर	..	..	समथर	१.५६
१९	श्री चतुर्भुज दास कोंच	..	..	खूबा	२.९४
२०	श्री साधूराम समथर	..	..	समथर	३२.१९
२१	श्री सुरेश समथर ..	..	..	समथर	१.५६
२२	श्री राधारमन समथर	..	..	समथर	३२.१९
२३	श्री रामदयाल गुसाईं समथर	..	..	समथर	३७.२५
२४	श्री किशोरी शरन उपाध्याय	..	..	समथर	३५.३७
२५	श्री राधाचरन दुबे समथर	..	..	समथर	२९.४४
२६	श्री बाबू प्रसाद पुरोहित	..	..	समथर	१०.२०
२७	श्री मनोहरदास समथर	..	..	समथर	१४.१२
२८	श्री छोटेलाल समथर	..	..	समथर	७.१२

विधान सभा उत्तर प्रदेश

क्रम संख्या	पुजारी का नाम	स्थान	मासिक वृत्ति
२९	श्री कामता प्रसाद समथर	समथर	३.३१
३०	श्री डबल साई समथर	समथर	१.००
३१	श्रीमती श्यामा देवी समथर	समथर	२.००
३२	श्री नाथुराम माली समथर	समथर	२.००
३३	श्रीमती बृजरानी मालिन	समथर	२.००
३४	श्री डाल चन्द्र सेरसा	सेरसा	३.३७
३५	श्री नाथुराम सेवरा पहाड़	सेवरा पहाड़	१.१९
३६	श्री गंगादीन तिवारी समथर	समथर	१.६९
३७	श्री आनन्द गोसाई अमरा	अमरा	२.४४
३८	श्री नन्दन जैन अमरा	अमरा	२.०६
३९	श्री राज मन्दिर समथर	समथर	इसकी धनराशि निश्चित नहीं है, मन्दिर की जमीन लगी है जो अब समाप्त हो चुकी है कमेटी द्वारा इसका कार्य चलाया जा रहा है।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

पी० एस० यू० पी०—ब० बी०—११७ एल० ए०—१९५९—८४५।